शुक्रवार,
१६ मार्च, १९५६

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

खण्ड २, १९५६

(१६ मार्च से १६ अप्रैल, १९५६)

सत्यमेव जयते

1st Lok Sabha

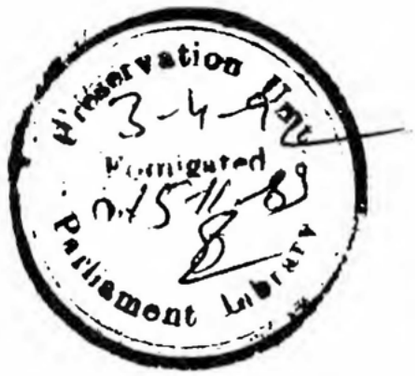

बारहवां सत्र, १९५६

(खण्ड २ में अंक २१ से अंक ४० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

विषय-सूची

(खण्ड २—१६ मार्च से १६ अप्रैल, १९५६)

अंक २१—शुक्रवार, १६ मार्च, १९५६ पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७३५ से ७३८, ७४०, ७४३, ७४४, ७४९, ७५४ से ७५६, ७५८, ७६०, ७६२ से ७६४, ७३९, ७४६, ७५१ और ७५२ ६९२–७१२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७४१, ७४२, ७४६, ७४७, ७४८, ७५०, ७५३, ७५७, ७५९ और ७६१ ... ... ७१२–१६

अतारांकित प्रश्न संख्या ४१९ से ४४० ... ७१६–२१

दैनिक संक्षेपिका **७२२–२३**

अंक २२—सोमवार, १९ मार्च, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७६५, ७९१, ७९७, ७६६, ७६७, ७६९ से ७७३, ७७६ से ७७९, ७८१, ७८४, ७८७, ७८९, ७९०, ७९२ से ७९५, ७९८ और ७९९ ... ७२४–४७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७६८, ७७४, ७७५, ७८०, ७८२, ७८३, ७८५, ७८६, ७८८ और ७९६ ... ... ७४७–५०

अतारांकित प्रश्न संख्या ४४१ से ४७७ ७५०–६३

दैनिक संक्षपिका **७६४–६५**

अंक २३—मंगलवार, २० मार्च, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८०० से ८०८, ८११ से ८१४, ८१६, ८२० से ८२६, ८२८, ६१६, ८१० और ८१७ ७६६–८६

एक प्रश्न के उत्तर में शुद्धि **७८६**

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ और ५ ७८६–८८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८०९, ८१५, ८१८, ८१९ और ८२७ ७८८–८९

अतारांकित प्रश्न संख्या ४७८ से ४८६ ७८९–९२

दैनिक संक्षेपिका **७९३–९४**

पृष्ठ

अंक २४—बुधवार, २१ मार्च, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८२९ से ८३१, ८३३ से ८३९, ८४१, ८४३ और ८४५ से ८५६ ७९५–८१६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८३२, ८४० से ८४२ और ८४४ ... ८१६–१७

अतारांकित प्रश्न संख्या ४८७ से ४९९ ८१७–२०

दैनिक संक्षेपिका ८२१–२२

———

अंक २५—गुरुवार, २२ मार्च, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८५७, ८५९ से ८६३, ८६५ से ८६७, ८६९, ८७१ से ८७४, ८७६ से ८७८, ८८०, ८८२, ८८५, ८५८, ८६४ और ८८१ ८२३–४५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८६८, ८७०, ८७५, ८७९, ८८३, ८८४ और ८८६ ८४५–४७

अतारांकित प्रश्न संख्या ५०० से ५१७ ८४७–५३

दैनिक संक्षेपिका ८५४–५५

———

अंक २६—शुक्रवार, २३ मार्च, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८८७ से ८९२, ८९६ से ८९८, ९००, ९०२, ९०४, ९०६, ९०७, ९०९, ९११, ८९४, ८९९, ९०१, ९१० और ८९५ ८५६–७३

प्रश्नों का उत्तर देने के लिये विभिन्न मंत्रालय के लिये दिन नियत करना ८७४

प्रश्न के उत्तर की शुद्धि ८७४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८९३, ९०३ और ९०५ ८७४–७५

अतारांकित प्रश्न संख्या ५१८ से ५२२ ८७५–७६

दैनिक संक्षेपिका ८७७–७८

———

अंक २७—बुधवार, २८ मार्च, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९१२, ९१५, ९१९, ९२१, ९२३ से ९२५, ९२८, ९२९, ९३१, ९४० से ९४३, ९४६ से ९४९, ९१६, ९१७, ९२६, ९२७, ९३३, ९३४, ९३८ और ९४४ ८७९–९०१

पृष्ठ

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६ ९०१–०३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९१३, ९१४, ९१८, ९२०, ९२२, ९३०, ९३२, ९३५ से ९३७, ९३९ और ९४५ ९०४–०७

अतारांकित प्रश्न संख्या ५२३ से ५४९ ९०७–१८

दैनिक संक्षेपिका ९१९–२०

अंक २८—गुरुवार, २९ मार्च, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९५१, ९५३, ९५४, ९५६ से ९५९, ९६३, ९६५, ९६८, ९७४, ९७५, ९७८, ९८०, ९८२, ९८४ से ९८६, ९८९ से ९९१, ९९३, ९९६ और ९६० ९२१–४०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९५०, ९५२, ९५५, ९६१, ९६२, ९६४, ९६७, ९६९ से ९७३, ९७६, ९७७, ९७९, ९८१, ९८३, ९८७, ९८८, ९९२, ९९४, ९९५ और ९९८ से १००० ... ९४१–४८

अतारांकित प्रश्न संख्या ५५० से ५५६ और ५५८ से ६०२ ९४८–६७

दैनिक संक्षेपिका ९६८–७०

अंक २९—शनिवार, ३१ मार्च, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १००१, १००३, १००६, १००७, १०११ से १०१३, १०१५, १०१७ से १०२२, १०२४, १०२६ से १०२८, १०३० से १०३२, १०३४ से १०३७, १०३९ और १०४० ९७१–९४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १००२, १००४, १००५, १००८ से १०१०, १०१४, १०१६, १०२३, १०२५, १०२९, १०३३, १०३८ और १०४१ ९९४–९८

अतारांकित प्रश्न संख्या ६०३ से ६२९ ... ९९८–१००८

दैनिक संक्षेपिका १००९–११

अंक ३०—सोमवार, २ अप्रैल, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०४२ से १०४६, १०४९, १०५३, १०५७, १०५९, १०६१, १०६३ १०६५, १०६९, १०७८, १०८०, १०७०, १०७१, १०७५, १०७९ और १०८१ से १०८४ ... १०१२–३४

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १०४७, १०४८, १०५० से १०५२, १०५४ से १०५६, १०५८, १०६०, १०६२, १०६४, १०६७, १०७२ से १०७४ और १०७६ ... १०३५–३९

अतारांकित प्रश्न संख्या ६३० से ६३७ १०३९–४१

दैनिक संक्षेपिका **१०४२–४३**

अंक ३१—मंगलवार, ३ अप्रैल, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०८५, १०८७ से १०९१, १०९३ से १०९५, ११००, ११०१, ११०३ ११०५ से ११०७, १११०, ११३६, १११९ से १११६, १११९ और ११२० ... ... १०४४–६५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ७ और ८ ... १०६५–६९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०८६, १०९२, १०९६ से १०९९, ११०२, ११०४, ११०८, ११०९, १११७, १११८, ११२१ से ११३५, ११३७ से ११४२ और ११४४ से ११४९ ... ... १०६९–८०

अतारांकित प्रश्न संख्या ६३८ से ६५२ और ६५४ से ६९४ १०८०–११०३

दैनिक संक्षेपिका **११०४–०७**

अंक ३२—बुधवार, ४ अप्रैल, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११५०, ११५४ से ११५६, ११५९, ११६४, ११६५, ११६७ से ११६९, ११७१, ११७३ से ११७५, ११८० से ११८२, ११८६, ११८८, ११५२, ११६० और ११७९ ११०८–२८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११५१, ११५३, ११५७, ११५८, ११६१ से ११६३, ११६६, ११७०, ११७२, ११७६ से ११७८, ११८३ से ११८५, ११८७ और ११८९ से ११९१ ११२८–३३

अतारांकित प्रश्न संख्या ६९५ से ७२५ और ७२७ से ७३५ ११३४–४७

दैनिक संक्षेपिका **११४८–५०**

अंक ३३—गुरुवार, ५ अप्रैल, १९५६

बैठकों का समय **११५१**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११९२, ११९४ से ११९६, १२०१, १२०२, १२०५ से १२०७, १२०९ से १२१४, १२१७ से १२२० ११५२–७१

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११९३, ११९७ से १२००, १२०३, १२०४, १२०८, १२१५, १२१६, १२२१, १२२२ ... ... ११७१–७५

अतारांकित प्रश्न संख्या ७३६ से ७४३ ११७५–७७

दैनिक संक्षेपिका **११७८–७९**

अंक ३४—शुक्रवार, ६ अप्रैल, १९५६

सत्र काल में संसदीय समितियों की बैठकों का समय **११८०**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२२३, १२२५, १२२६, १२२९, १२३१, १२३२, १२३४, १२३७, १२३८, १२४१, १२४३, १२४५ से १२५०, १२५२, १२५३, १२५५ और १२५७ से १२६३ ११८०–१२०२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ९ १२०२–०३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२२४, १२२७, १२२८, १२३०, १२३३, १२३५, १२३६, १२३९, १२४०, १२४२, १२४४, १२५१, १२५४, १२५६, १२६४ और १२६५ ... ... १२०३–०८

अतारांकित प्रश्न संख्या ७४४ से ७९७ १२०८–२७

दैनिक संक्षेपिका ... **१२२८–३०**

अंक ३५—सोमवार, ९ अप्रैल, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२६७ से १२७४, १२७७, १२७८, १२८४, १२८६, १२८८, १२९० से १२९२, १२९४ से १२९६, १२९९, १२७५, १२८२, १२८७ और १२९७ १२३१–५२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२६६, १२७६, १२७९ से १२८१, १२८३, १२८५, १२८९, १२९३ और १२९८ ... ... १२५३–५५

अतारांकित प्रश्न संख्या ७९८ से ८४० १२५६–७०

दैनिक संक्षेपिका **१२७१–७३**

अंक ३६—मंगलवार, १० अप्रैल, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३०३ से १३०६, १३०८, १३११, १३१२, १३१४ से १३१७, १३१९ से १३२१, १३२३ से १३२५, १३२७ से १३२९, १३३१, १३३३ से १३३५ और १३०० ... १२७४–९६

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १३०१, १३०२, १३०७, १३०९, १३१०, १३१३, १३१८, १३२२, १३२६, १३३०, १३३२, १३३६ और १३३७ ... ... १२९६–९९

अतारांकित प्रश्न संख्या ८४१, ८४२ और ८४४ से ८६४ १३००–०७

दैनिक संक्षेपिका ... १३०८–०९

अंक ३७—बुधवार, ११ अप्रैल, १९५६

सदस्य द्वारा शपथ-ग्रहण ... **१३१०**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १३३९ से १३४२, १३५०, १३५१, १३५३ से १३५५, १३५७, १३५९, १३६०, १३६३, १३६५, १३६६, १३६८, १३७० से १३७२, १३७७, १३७९, १३८१ और १३८२ ... १३१०–३१

प्रश्नों के लिखित उत्तर---

तारांकित प्रश्न संख्या १३३८, १३४३ से १३४९, १३५२, १३५६, १३५८, १३६१, १३६२, १३६४, १३६७, १३६९, १३७३ से १३७६, १३७८, १३८० और १३८३ से १३८५ १३३१–३९

अतारांकित प्रश्न संख्या ८६५ से ९३०क १३३९–६१

दैनिक संक्षेपिका ... **१३६२–६५**

अंक ३८—गुरुवार, १२ अप्रैल, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३८६ से १३८८, १३९०, १३९२, १३९८, १४०१, १४०४, १४०६, १४०८, १४१० से १४१२, १४१६ से १४१८, १३९७, १४००, १४०९, १४१३ और १४१४ १३६६–८४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १० और ११ ... १३८४–८८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३८९, १३९१, १३९३, १३९४, १३९६, १३९९, १४०२, १४०३, १४०५ और १४०७ १३८८–९१

अतारांकित प्रश्न संख्या ९३१ और ९३३ से ९५२ १३९१–९८

दैनिक संक्षेपिका **१३९९–१४००**

अंक ३९—शनिवार, १४ अप्रैल, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४१९, १४२०, १४२२, १४२३, १४२५ से १४२७, १४३० से १४३९ और १४४१ से १४४६ १४०१–२१

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १४२१, १४२४, १४२८, १४२९, १४४० और १४४७ से १४५२ १४२१–२४

अतारांकित प्रश्न संख्या ९५३ से ९७४ १४२४–३४

दैनिक संक्षेपिका १३३५–३६

अंक ४०--सोमवार, १६ अप्रैल, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १४५४ से १४५९, १४६४, १४६६ से १४६८, १४७०, १५०१, १४७३ से १४७५, १४७८, १४७९, १४८१, १४८२, १४८४ से १४८६ और १४८८ से १४९० १४३७–५९

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १४६० से १४६३, १४६५, १४७१, १४७२, १४७६, १४७७, १४८०, १४८३, १४८७, १९९१ से १५००, १५०२ और १५०३ १४५९–६६

अतारांकित प्रश्न संख्या ९७५ से १०६९ १४६६–१५०३

दैनिक संक्षेपिका १५०४–०७

लोक-सभा

शुक्रवार, १६ मार्च, १९५६

लोक-सभा साढ़े दस बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

सभी धातुओं का बोर्ड

†*७३५. **श्री राधा रमण :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उद्योग के योजनाबद्ध विकास के लिये आवश्यक वस्तुओं के संभरण को सुनिश्चित करने के लिये समग्र धातुओं के एक बोर्ड की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस बोर्ड के कार्य क्या होंगे, और किन-किन पहलुओं से इसका सम्बन्ध रहेगा; और

(ग) क्या यह प्रकटतः सरकारी निकाय रहेगा अथवा इस में गैर-सरकारी क्षेत्रों का भी प्रतिनिधित्व रहेगा ?

†**उद्योग मंत्री (श्री काननगो) :** (क) से (ग). लोहा और इस्पात नियंत्रण संगठन के स्थान पर संविहित निकाय बनाने का प्रश्न विचाराधीन है । इस प्रश्न पर कि किसी और दूसरी धातुओं का नियंत्रण इस बोर्ड को देना चाहिये अथवा नहीं बाद को विचार किया जायेगा ।

प्रस्तावित बोर्ड के कार्यों के बारे में कोई स्पष्ट बात बताना इस समय कठिन है ।

†**श्री राधा रमण :** क्या इस बोर्ड के बनाने के सम्बन्ध में विभिन्न राज्यों से पूछा गया था और क्या उनमें से कुछ राज्यों ने उत्तर दिया है ?

†**श्री कानूनगो :** राज्यों से तो नहीं पूछा गया है क्योंकि अभी वह स्थिति नहीं आई है ।

†**श्री राधा रमण :** इस परियोजना के बारे में अन्तिम निर्णय करने में सरकार को लगभग कितना समय लगेगा ?

†**श्री कानूनगो :** यह परियोजना बिल्कुल नहीं है; यह तो प्रशासन सम्बन्धी सुविधा का प्रश्न है । आजकल यह लगभग ३० लाख टन इस्पात, जिस में आयातित तथा स्वदेशी इस्पात भी सम्मिलित है, का नियंत्रण कर रहा है । हम आशा करते हैं कि आगामी ५ अथवा १० वर्षों के दौरान

---

†मूल अंग्रेजी में

में हम लगभग ६० टन अथवा १०० टन इस्पात का नियंत्रण करेंगे । अतः प्रशाशन के लिये एक संविहित संगठन की स्थापना करने के बारे में विचार किया जा रहा है ।

†**श्री राधा रमण :** क्या सरकार ने कोई ऐसी योजना सोची है जिसके द्वारा गैर-सरकारी क्षेत्रों का सहयोग प्राप्त किया जा सके । अथवा यह बिल्कुल ही सरकारी संविहित निकाय होगा ।

†**श्री कानूनगो :** यह बिल्कुल ही सरकारी निकाय होगा और यह केवल प्रशासन में सुविधा देने के लिये है । गैर-सरकारी क्षेत्रों के अथवा इसी प्रकार अन्य संस्थानों के सहयोग का प्रश्न नहीं उठता ।

†**श्री हेडा :** क्या सरकार अनुभव करती है कि इस्पात के अतिरिक्त अन्य दूसरी धातुओं के संभरण में कमी अथवा अस्थिरता है; यदि नहीं तो फिर अन्य दूसरी धातुओं के बारे में क्यों विचार करते हैं ?

†**श्री कानूनगो :** प्रश्न में यह कहा है कि दूसरी धातुओं के बारे में बिल्कुल भी विचार नहीं किया जा रहा है ।

उत्तर-पूर्व सीमान्त अभिकरण

†*७३६. **श्री कृष्णाचार्य जोशी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर-पूर्व सीमान्त अभिकरण के क्षेत्र में आवागमन के साधनों का सुधार करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ख) क्या उन दो उच्च अधिकारीय समितियों ने जिन की स्थापना दिल्ली और शिलांग में हुई थी वहां के आवागमन साधनों में किये गये सुधारों के बारे में अपने प्रतिवेदन दे दिये हैं; और

(ग) यदि हां, तो मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री जे० एन० हजारिका) :** (क) उत्तर-पूर्व सीमान्त अभिकरण के लिये हवाई अड्डों, मोटर और जीप गाड़ियों के लिये सड़क, पगडंडी, खच्चरों और कुलियों के लिये रास्ता बनाने के लिये एक संयुक्त योजना तैयार की गई है, और क्रियान्वित की जा रही है ।

(ख) और (ग). जी हां ।

मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित हैं :

(१) एक अल्प कालीन योजना जो कि शीघ्रातिशीघ्र क्रियान्वित की जायेगी और एक दीर्घ-कालीन योजना जो आगे आने वाले वर्षों में लागू होगी ।

(२) स्वयं सहायता के आधार पर कबाइली जनता के सहयोग और सहायता से समस्त अभिकरण क्षेत्र में पगडंडी और खच्चरों के लिये कम खर्च वाला रास्ता तैयार करना ।

(३) अलांग, जीरो, दीरागंद-जोंग फुट हिल रोड, और किमीन-जीरो में अच्छे मौसम में काम आने वाली हवाई पट्टियां बनाना ।

(४) सम्पूर्ण अभिकरण में हवाई यातायात का इस दृष्टि से विकास कि हवाई साधनों द्वारा अधिक से अधिक प्रशासनीय केंद्रों को जोड़ा जा सके ।

(५) स्थानों का पता लगाने के लिये बोर्ड, अर्थात् वायुयानों के उतरने का स्थान तथा वायुयान से माल डालने के सब संभावित स्थानों का विमान से पता लगाना और भूमि पर पता लगाना ।

(६) बड़ी-बड़ी मशीनें सामान जैसे बुलडोज़र, हैमिल्टन ब्रिज आदि का संभरण ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(७) उत्तर-पूर्व सीमान्त अभिकरण के लिये पुनरीक्षित सीधो-साधी कार्य करने की प्रक्रिया क्योंकि निर्माण कार्य के लिये केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की वर्तमान निर्माण प्रक्रिया उत्तर-पूर्व सीमान्त अभिकरण की वर्तमान स्थितियों के लिये उपयुक्त नहीं है ।

(८) प्रशिक्षित श्रमिकों की कमी को दूर करने के लिये श्रमिकों की संख्या बढ़ाना ।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : कितनी हवाई पट्टियों के बनाये जाने की संभावना है ?

†**श्री जे० एन० हजारिका** : सभी मौसमों में काम के योग्य हवाई पट्टियों में से दो पट्टियां तो लगभग बन चुकी हैं और योजना काल में एक पट्टी के निर्माण की संभावना है । निर्माण कार्यक्रम में अच्छे मौसम के लिये कुछ और पट्टियां बनाने का काम सम्मिलित कर लिया गया है ।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : निर्माण की जाने वाली सड़कों की कुल लम्बाई कितनी होगी, और उनके निर्माण पर कुल कितना व्यय होगा ।

†**श्री जे० एन० हजारिका** : आगामी पंचवर्षीय योजना में सड़कों और रास्तों के निर्माण के लिये हमने २५० लाख रुपयों का अनुमान किया है । हमारा विचार ४६५ मील लम्बी सड़क बनाने का है जिस में वर्तमान सड़कों का सुधार और कुछ नई सड़कों के निर्माण के अतिरिक्त कुछ दूसरी सड़कों को पूरा करना भी है ।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : इन उच्च अधिकारीय समितियों के सदस्यों के नाम क्या हैं ?

†**श्री जे० एन० हजारिका** : नाम तो मैं नहीं जानता । किन्तु वैदेशिक-कार्य, परिवहन और प्रतिरक्षा मंत्रालयों में से प्रत्येक मंत्रालय का एक एक प्रतिनिधि उस समिति में है । इनके अतिरिक्त एक प्रतिनिधि सेना और एक प्रतिनिधि वायु मुख्यालय का है ।

†**श्री कामत** : क्या यह सच है कि ये विभिन्न आर्थिक और सामाजिक उपबन्ध जो उत्तर-पूर्व सीमान्त अभिकरण क्षेत्र में किये गये हैं अथवा किये जा रहे हैं; वे जहां तक कि मनोवैज्ञानिक अथवा मानवीय समस्याओं का सम्बन्ध है, सैनिक अथवा पुलिस के हिंसक कार्यों से जो सरकार वहां कर रही है निष्फलित हो जाते हैं ।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : माननीय सदस्य ने जिन सैनिक कार्यों का उल्लेख किया है, उनकी उत्तर-पूर्व सीमान्त अभिकरण के एक छोटे से क्षेत्र, त्वेनसांग क्षेत्र को छोड़कर, कोई आवश्यकता नहीं पड़ी है । निस्संदेह वहां कुछ कार्य किये गये थे किन्तु कुछ दिनों से वहां का वातावरण बिल्कुल शान्त है ।

कोयला

*७३७. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) धातु शोधन के काम में आने वाले कोयले के खर्च में बचत करने के लिये क्या सरकार ने कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और वह कब तक क्रियान्वित की जायेगी ?

उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र): (क) सिद्धांत रूप में यह निर्णय कर लिया गया है कि जहां तक संभव हो सके, भविष्य में धातु शोधन के काम में आने वाले सभी कोयले को उपयोग करने से पहले धोया जाये तथा उसका उपयोग केवल धातु शोधन के लिये ही किया जायें ।

(ख) बोकारो—कर्गली की कोयले की खान में कोयला धोने का एक यंत्र खरीदने के लिये आदेश जारी किये जा चुके हैं । आशा है यह यंत्र १९५८ में कार्य आरम्भ करेगा । इस्पात की कारखानों की बाकी मांग की पूर्ति के लिये, कोयले की धुलाई के और यन्त्र लगाने पर विचार हो रहा है ।

†मूल अंग्रेजी में

श्री विभूति मिश्र : क्या सरकार ने अन्दाजा लगाया है कि सारे हिन्दुस्तान में धातु शोधन करने वाले कोयले की क्या तादाद है ?

श्री सतीश चन्द्र : इस्पात के नये कारखाने जब लग जायेंगे तो १,६०,००,००० मन कोयले की आवश्यकता होगी ।

श्री विभूति मिश्र : मैंने यह पूछा था कि सरकार के पास कितनी तादाद में यह कोयला है, क्या इसका कुछ अन्दाज़ा लगाया है ?

श्री सतीश चन्द्र : अन्दाज़ा यह है कि अगर इसको धोने के बाद ठीक तरह से इस्तेमाल किया जाये तो करीब सौ साल तक चलेगा ।

†**श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या इस बात को देखते हुये कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में हम कार्य-क्रम के अनुसार कार्य नहीं कर सके, इंजनों में धातु शोधन करने वाले कोयले के प्रयोग को निरुत्साहित करने के लिये क्या अग्रेतर कार्यवाही की गई है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : इस इस्पात कारखानों के बनते ही धातु शोधन करने वाले कोयले का प्रयोग किसी अन्य कार्य में नहीं किया जायेगा । चूंकि इस समय हम धातु शोधन करने वाले कोयले का उत्पादन बढ़ा रहे हैं, अतः इस में से कुछ का प्रयोग अन्तरिम काल में रेलों में किया जा रहा है ।

श्री विभूति मिश्र : हिन्दुस्तान के किस हिस्से में यह धातु शोधन करने वाला कोयला पाया जाता है ?

श्री सतीश चन्द्र : यह मुख्यतः बंगाल, बिहार में रानीगंज, झरिया आदि के कोलफील्ड्स में पाया जाता है ।

†**श्री पी० सी० बोस** : क्या सरकार ने इस बारे में विचार किया है कि यदि इंजनों में घटिया किस्म का कोयला प्रयोग में लाया जाता है, तो बॉयलरों को बदलना होगा ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : रेलों में मध्यम किस्म का कोयला प्रयोग में लाया जा सकता है जो शोधन करने वाले के पश्चात दूसरी निम्न श्रेणी का होता है ।

साबुन

†*७३८. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश की साबुन की आवश्यकता की पूर्त्ति क्रमशः कहां तक देश में उत्पादन से और कहां तक निर्यात से पूरी होती है;

(ख) देशी उत्पादन में कुटीर उद्योग का कितना अंश है;

(ग) देशी उत्पादन से कितने व्यक्तियों का जीवन निर्वाह होता है;

(घ) क्या इस सम्बन्ध में भारत को आत्म निर्भर बनाने के लिये कुछ प्रयत्न किये गये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो क्या परिणाम निकला है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) लगभग समस्त आवश्यकता की पूर्त्ति देशी उत्पादन से हो जाती है ।

(ख) लगभग २,१५,००० टन कुल उत्पादन में से अनुमान लगाया जाता है कि छोटे पैमाने और घरेलू उद्योग एककों का अंश १,२०,००० टन है ।

(ग) सूचना उपलब्ध नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) साबुन के बारे में देश पहले से ही आत्म निर्भर है ।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री डी० सी० शर्मा** : भारत के साबुन उद्योग में कितनी विदेशी पूंजी और इस उद्योग में कितनी भारतीय पूंजी लगी हुई है ?

†**श्री कानूनगो** : लगी हुई पूंजी के आंकड़े म नहीं बता सकता किन्तु विदेशी सूत्रों से वित्त पोषित कारखाने प्रति वर्ष मोटे तौर से ५८,००० टन साबुन तैयार करते हैं ।

†**श्री डी० सी० शर्मा** : जहां तक साबुन के उत्पादन का सम्बन्ध है विदेशी फर्मों और देशी फर्मों के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ?

†**श्री कानूनगो** : मैं बता चुका हूं कि बड़े पैमाने में कुल उत्पादन ९९,००० टन प्रति वर्ष होता है जिस में से विदेशी स्वामित्व वाली फर्में ५८.००० टन साबुन तैयार करती हैं ।

†**श्री जोकीम आल्वा** : क्या सरकार ने भारतीय साबुन और प्रसाधन सामग्री निर्माताओं की यह सहानुभूतिपूर्ण अपील देखी है जिस में उन्होंने लिखा है, "भारत के नाम पर.....७३ राष्ट्रीय साबुन कारखानों को समाप्त होने से बचाइये ?"

†**श्री कानूनगो** : हमने वह अपील विशेष नहीं देखी है किन्तु साबुन निर्माताओं की कठिनाइयों से हमारा लगातार सम्पर्क बना रहता है ।

†**श्री ए० एम० थामस** : क्या मैं जान सकता हूं कि भारत में लीवर ब्रदर्स से अन्य कोई व्यापार संस्था प्रतिद्वंदिता नहीं कर सकती ? यदि ऐसा है, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार करती है ?

†**श्री कानूनगो**: इस समय हमने लीवर ब्रदर्स की साबुन बनाने की क्षमता में वृद्धि करने की अनुमति न देने की कार्यवाही की है ।

†**श्री साधन गुप्त** : बड़े पैमाने पर उत्पादन करने वाले कितने कारखाने विदेशी हैं और कितने भारतीय ?

†**श्री कानूनगो** : उनमें से तीन विदेशी और शेष भारतीय हैं ।

†**श्री साधन गुप्त** : 'शेष' की संख्या कितनी हैं ?

†**श्री कानूनगो** : साठ के आस-पास ।

†**श्रीमती जयश्री** : क्या सरकार को बिना विद्युत के चलाये जाने वाले कारखानों द्वारा बनाये गये साबुन पर प्रस्तावित उत्पादन शुल्क के सम्बन्ध में साबुन निर्माता संघ और बंबई के बिना विद्युत की सहायता के साबुन बनाने वाले निर्माता संघ का अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ?

†**श्री कानूनगो** : स्पष्ट है कि वह अभ्यावेदन वित्त मंत्रालय भेज दिया गया होगा ?

†**श्री जोकीम आल्वा** : क्या यह सच है कि लीवर ब्रदर्स की बिक्री भारत में साबुन कीस मस्त बिक्री का स्तर प्रतिशत है और क्या वाणिज्य मंत्रालय ने १२ जनवरी को संसदीय परामर्श समिति के सम्मुख १२ जनवरी को प्रधान मंत्री द्वारा दी गई इस घोषणा की ओर ध्यान दिया है जिस में यह कहा गया है कि 'धन' के उत्पादन में उसके प्रकार और तरीकों पर भी विचार करना चाहिये क्योंकि ऐसे तरीके नहीं अपनाना चाहिये जिन से गलती प्रवृत्तियां आरम्भ हो जायें अर्थात् एकाधिकार की वृद्धि होने लगे ?

†**श्री कानूनगो** : माननीय प्रधान मंत्री द्वारा दिया गया वक्तव्य हमें मालूम है और हम उसके अनुसार कार्यवाही कर रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सारंगधर दास** : क्या यह सच है कि देश के बहुत बड़े भाग की आवश्यकता की पूर्ति करने वाले इन बड़े-बड़े उत्पादकों के कारण, छोटे उत्पादकों की क्षमता बेकार जाती है ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : वास्तव में बात यह है। यदि आप का विचार यह है कि उपभोक्ताओं का अधिक व्यय कराकर हमें छोटे उत्पादकों की सहायता करनी चाहिये, तो ऐसा हो सकता है किन्तु यदि यह सिद्ध हो जाता है कि बड़े उत्पादक छोटे उत्पादकों के कम मूल्य पर वस्तुएं बेच रहे हैं तो हम कुछ कार्यवाही कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि अभी दोनों में से कोई भी बात स्पष्ट नहीं हुई है।

†**श्री डी० सी० शर्मा** : क्या सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में साबुन का स्थान छोटे पैमाने के उद्योग में रखा है अथवा कुटीर उद्योग में और यदि हां, तो वह योजना क्या है ?

†**श्री कानूनगो** : वास्तव में अधिकांश साबुन कुटीर और छोटे पैमाने के उद्योगों द्वारा तैयार किया जाता है।

†**श्री डी० सी० शर्मा** : क्या सरकार ने कोई निश्चित योजना बनाई है ?

†**श्री कानूनगो** : करारोपण संगठन की संपूर्ण नीति ही इसी पर आधारित है।

भेषजीय उद्योग

†*७४०. **श्री बी० एस० मूर्ति** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस ने भारत में भेषजीय उद्योग के विकास के लिये कोई सहायता देने का वचन दिया है; और

(ख) यदि हां, तो सहायता किस प्रकार की होगी ?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). जी हां। सोवियत सरकार ने भेषजीय उद्योग का प्रारम्भिक सर्वेक्षण करने और भविष्य में उसके विकास की एक योजना तैयार करने के लिये एक विशेषज्ञ दल भारत में भेजा है।

†**श्री बी० एस० मूर्ति** : क्या उन्होंने योजना अन्तिम रूप से तैयार कर ली है और यदि हां, तो योजना का क्या परिणाम निकला ?

†**श्री कानूनगो** : वे अभी मार्च में आये हैं।

†**श्री केशव आय्यंगार** : क्या यह सच है कि सरकार ने मेजर-जनरल भाटिया के सभापतित्व में एक समिति नियुक्त की थी और क्या उसने इस उद्योग के बारे में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ? क्या उसकी सिफारिशें सरकार ने स्वीकार कर ली हैं और यदि हां तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : जी हां। यह सच है कि एक समिति नियुक्त की गई थी और यह भी सच है कि उसने प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है। यह भी सच है कि प्रतिवेदन सभा के सम्मुख रखा गया था और सिफारिशों को लागू करने के लिये हमने जो कार्यवाही की है वह भी मैं समय-समय पर सभा को बता चुका हूं।

†**श्री जी० पी० सिन्हा** : क्या इन उत्पादों के निर्माण में पश्चिमी जर्मनी ने भी सहायता करने का वचन दिया है ?

†**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी** : जी नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जोकीम आल्वा** : भारत में विदेशी गुटों द्वारा उत्पादित भेषजीय उत्पादों के सम्बन्ध में क्या सरकार ने कोई लागत लेखा पद्धति बनाई है। उदाहरणार्थ हमारे यहां अमरीकी, अंग्रेजी और जर्मनी गुट हैं ? सोवियत विशेषज्ञों के दौरे के परिणामस्वरूप निर्मित भेषजीय उत्पादों की क्या लागत होगी ?

†**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी** : इन सब सम्भावनाओं की कल्पना करने और उनका उत्तर देने में मैं असमर्थ हूँ।

लाओस में भारतीय राजदूतावास

†*७४३. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार और लाओस सरकार ने राजदूत (लीगेशन) स्तर पर राजनयिक सम्बन्ध स्थापित करने का निश्चय किया है; और

(ख) यदि हां, तो भारत अपने प्रतिनिधि लाओस कब तक भेजेगा ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा)** : (क) हां।

(ख) हमारे थियनटाइन के महावाणिज्य दौत्य की पदोन्नति करके उन्हें राजदूतावास अधिकारी (लीगेशन) बना दिया गया है और महावाणिज्य दूत को अंतकालीन कार्यदूत बना दिया गया है।

†**श्री गाडिलिंगन गौड** : पदोन्नति से कितना व्यय हुआ ?

†**श्री अनिल के० चन्दा** : चूंकि महावाणिज्य दौत्य वहां पहले से ही थे इस कारण मैं नहीं समझता कि व्यय अधिक हुआ होगा। व्यय थोड़ा ही हुआ होगा।

†**श्री कामत** : इस बात को देखते हुये कि जेनेवा के बाद का आयोग—तटस्थ राष्ट्र पर्यवेक्षकारी आयोग—द्वारा निर्दिष्ट तिथि दूर नहीं है। मैं समझता हूं कि वह जुलाई होगी और यह देखते हुये, हिन्द-चीन के लिये यह सन्धि असुविधाजनक प्रतीत होती है, क्या सरकार इस बात से सन्तुष्ट है कि लाओस का यह राज्य एक स्थायी राज्य है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : स्पष्टतः क्योंकि सरकार ने सोचा था कि स्थिति काफी स्थायी है और इसीलिये उसने ऐसी कार्यवाही की। इन मामलों के बारे में कोई भी व्यक्ति बिल्कुल ठीक नहीं कह सकता। माननीय सदस्य को याद होगा कि कुछ समय पूर्व कम्बोडिया के साथ हमने राजनयिक व्यक्तियों का आदान-प्रदान किया था और अब हम लाओस के साथ ऐसा करने के लिये सहमत हो गये हैं।

†**श्री कामत** : क्या यह सच नहीं कि कुछ वर्ष पूर्व—पिछली संसद में—जब यह पूछा गया था कि इज़राइल को मान्यता देने में सरकार ने दो-तीन वर्ष क्यों लगाये, तो प्रधान मंत्री ने यह सुझाव दिया था कि इज़रायल एक स्थायी राज्य नहीं था। फिर लाओस के बारे में यह विभिन्न रवैया क्यों अपनाया जा रहा है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : क्योंकि स्थिति भिन्न है।

विस्थापित ठेकेदारों के दावे

†*७४४. **श्री झुनझुनवाला** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ जनवरी, १९५६ तक भारत के केन्द्रीय दावा संगठन को कुल कितने तथा कितनी राशि के ठेकेदारों के ऐसे दावे (अतिरिक्त भण्डार—संभरण और उत्सर्जन मुख्य निदेशक के बिक्री निक्षेप अथवा संभरण करने के लिये अविभाजित भारत सरकार के विरुद्ध), प्राप्त हुये हैं जो पाकिस्तान सरकार को सत्यापन, स्वीकार करने तथा भुगतान का अधिकार देने के लिये भेजे गये हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) ३१ जनवरी, १९५६ तक कितने और कुल कितनी राशि के विस्थापित ठेकेदारों के दावे पाकिस्तान केंन्द्रीय दावा संगठन द्वारा भारत सरकार को भेजे गये हैं;

(ग) ३१ जनवरी, १९५६ तक कितने और कुल कितनी राशि के उक्त दावों को पाकिस्तान सरकार ने स्वीकार किया और भारत में ठेकेदारों को भुगतान किया गया; और

(घ) भारतीय राष्ट्रजनों के शेष दावों के भुगतान में विलम्ब के क्या कारण हैं और क्या दोनों सरकारों में से किसी ने इस प्रकार के दावों को स्वीकार करने और भुगतान के लिये अधिकृत करने अथवा अस्वीकार करने तथा वापस करने के लिये कोई समय सीमा निर्धारित की है ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले)** : (क) ६०·८९ लाख रुपये के ५९५ दावे जिनमें से ३८·२२ लाख रुपये के मूल्य के ४१० दावे सत्यापन, स्वीकार करने और भुगतान के लिये प्राधिकृत करने हेतु पाकिस्तान सरकार को भेज दिये गये हैं ।

(ख) ७·४६ लाख रुपये के ६७ दावे ।

(ग) और (घ). केन्द्रीय दावा संगठन पाकिस्तान से भुगतान करने के लिये कोई अधिकार प्राप्त नहीं हुआ है । इस सम्बन्ध में पाकिस्तान सरकार को लिखा जा रहा है ।

†**श्री झुनझुनवाला** : इस कार्य में शीघ्रता करने के लिये पाकिस्तान सरकार से अंतिम बार कब कहा गया था ?

†**श्री जे० के० भोंसले** : २९ फरवरी को ।

†**श्री झुनझुनवाला** : क्या कोई उत्तर प्राप्त हुआ है ?

†**श्री जे० के० भोंसले** : अभी तक नहीं । अभी कुछ ही दिन हुये हैं जब हमने उन्हें लिखा था ।

अहमदाबाद में कोयले की कमी

†*७४९. **श्री एच० जी० वैष्णव** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदाबाद के सूती वस्त्र मिलों को इस समय कोयले की कमी है और क्या इस कमी के कारण फरवरी, १९५६ के मध्य में कोई मिल बन्द हो गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो उन मिलों को पर्याप्त मात्रा में कोयला देने के लिये क्या प्रबन्ध किया गया है ?

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) अहमदाबाद में कोयले की कुछ कमी रही है । सरकार या कोयला नियंत्रक के पास इस आशय की कोई सूचना नहीं है कि कोई मिल बन्द हो गयी है किन्तु प्रतीत होता है कि एक मिल ने फरवरी १९५६, के मध्य में, रविवार के कारण, एक दिन की छुट्टी की घोषणा की थी ।

(ख) एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३४]**

†**श्री एच० जी० वैष्णव:** अहमदाबाद के मिलों द्वारा इस कमी को अनुभव करने का क्या कारण है?

†**श्री सतीश चन्द्र** : कुछ परिवहन सम्बन्धी कठिनाइयां थीं । पंजाब और उत्तर प्रदेश की बाढ़ों के कारण, कुछ माल डिब्बों को उन क्षेत्रों में भेजना पड़ा था । किन्तु कोई भी मिल बन्द नहीं हुई है, और शीघ्र ही कोयला भेजा जा रहा है ।

†**श्री एच० जी० वैष्णव** : माननीय उपमंत्री ने कहा है कि माल डिब्बों की कमी के कारण वहां कोयला नहीं भेजा जा सका । मैं जानना चाहता हूं कि क्या माल डिब्बों के भेजने के लिये अब पर्याप्त प्रबन्ध किये गये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सतीश चन्द्र** : यदि माननीय सदस्य विवरण को देखें तो उन्हें मालूम होगा कि हमने यह ब्योरा दिया है कि उस क्षेत्र के लिये किस प्रकार माल डिब्बों का संभरण बढ़ा दिया गया है ।

पुराना किला शरणार्थी शिविर

†***७५४. श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुराना किला शरणार्थी शिविर को बन्द करने का अन्तिम निर्णय किया जा चुका है;

(ख) यदि हां, तो अब जो विस्थापित लोग वहां रह रहे हैं, उनको सरकार कौन सा वैकल्पिक आवास देने का विचार करती है;

(ग) क्या सरकार विस्थापित लोगों को पुराने किले से हटाते हुये उन सिद्धांतों और आश्वासनों का पालन करेगी, जो इस सभा में दिये गये थे; और

(घ) शिविर के बन्द हो जाने के पश्चात्, वहां जो इस समय मकान और दुकानें बनी हुई हैं, उनके बारे में सरकार क्या करना चाहती है ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले)** : (क) जी, हां ।

(ख) उन्हें लाजपत नगर, कालका जी और दूसरी शरणार्थी बस्तियों में सरकार द्वारा बनाये गये घर आवंटित करने का विचार है ।

(ग) विस्थापित व्यक्तियों को एक बस्ती से दूसरी बस्ती में स्थानान्तरण के सम्बन्ध में सभा में कोई आश्वासन नहीं दिया गया था ।

(घ) इनको गिरा दिया जायगा, क्योंकि वानस्पतिक तथा प्राणिकीय उद्यान के लिये इस स्थान की आवश्यकता है ।

†**श्री डी० सी० शर्मा** : यह शरणार्थी शिविर एक बस्ती के रूप में बसा हुआ है, इसलिये क्या इसकी समस्त जनसंख्या को समूचे रूप में स्थानान्तरित करना ठीक नहीं है ?

†**श्री जे० के० भोंसले** : हमने इस प्रश्न पर विचार किया था. किन्तु क्योंकि तीनों बस्तियों में लगभग ८०० मकान खाली हैं, जिसका मैंने अभी उल्लेख किया, इसलिये सरकार के लिये वह सब धन खर्च करना और इन ८०० परिवारों के लिये नये घर बनाना संभव नहीं है, जिन्हें पुराने किले से दूसरे स्थानों पर स्थानान्तरित किया जायेगा ।

†**श्री डी० सी० शर्मा** : क्या यह सच नहीं है कि इस पुराने किले के समीप स्थान उपलब्ध है, और यदि हां, तो क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार ने इस शिविर के निवासियों को यह स्थान देने की संभवता पर विचार किया है, ताकि वे वहां पर अपनी बस्ती बना सकें ?

†**श्री जे० के० भोंसले** : जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं वहां लगभग ८०० मकान खाली हैं और दूसरे स्थानों का विचार करने से पूर्व इनको बसाना होगा ।

†**श्री डी० सी० शर्मा** : क्या यह सच नहीं कि इन बस्तियों से इस बस्ती के निर्माण के लिये ६०,००० रुपये एकत्रित किये गये थे और यदि हां, तो उस धन का क्या हुआ है ?

†**श्री जे० के० भोंसले** : यह ठीक नहीं है कि ६०,००० रुपये एकत्रित किये गय थे । जो धन इकट्ठा किया गया था वह लगभग ४५,००० रुपये है और इन आवंटियों की ओर किराये की जो राशि निकलती थी, वह उसमें से काट दी गई है ।

†**श्री डी० सी० शर्मा** : क्या यह सच नहीं है कि इन आवंटियों को जो रसीदें दी गई थीं, उनमें कहा गया कि धन निर्माण व्यय के लिये वसूल किया जा रहा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जे० के० भोंसले** : जी, नहीं । अब जब कि हमने यह निर्णय कर लिया है कि पुराना किला खाली करवाया जाये, इनको पुराने किले से बाहर भेजने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है ।

भारत संभरण मिशन, वाशिंगटन

†***७५५. श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत संभरण मिशन, वाशिंगटन, ने सरकार द्वारा भेजे गये व्यादेशों के आधार पर सामुदायिक योजनाओं के लिये परिवहन, कृषि स्वास्थ्य, दृष्य सहायता आदि का सामान भेज दिया है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी राशि का सामान प्राप्त हुआ है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र)** : (क) जी, हां ।

(ख) लगभग ८० लाख डालर ।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : जो सामान प्राप्त हुआ है, क्या वह सामुदायिक परियोजनाओं को दिया जायेगा और यदि हां, तो किस प्रकार उसका वितरण किया जायेगा ?

†**श्री एस० एन० मिश्र** : विभिन्न राज्यों की आवश्यकताओं के अनुसार यह सामान दिया जायेगा ।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : जितने सामान की आवश्यकता है, उसकी लागत क्या होगी ?

†**श्री एस० एन० मिश्र** : हमने १ करोड़ २७ लाख ७० हज़ार डालर की वस्तुओं का व्यादेश भेजा है ।

पश्चिमी बंगाल के पटसन-उत्पादक

†***७५६. श्री विभूति मिश्र** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल प्रांतीय विधान सभा ने पटसन के उचित विपणन के बारे में अनुभव होने वाली कठिनाइयों के बारे में सरकार को अभ्यावेदन दिया था, क्योंकि वह जो पटसन पैदा करते हैं, उसे खरीदने में पश्चिम बंगाल के पटसन मिल आना कानी करते हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में कोई कार्रवाई की गई है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री विभूति मिश्र : क्या सरकार को पता है कि बंगाल और बिहार में बहुत से किसानों के पास जूट पड़ा हुआ है और मिल वाले उसे खरीद नहीं रहे हैं ?

श्री करमरकर : मेरी समझ से यह बात ठीक नहीं है क्योंकि १९५४-५५ में करीब ५७ लाख बेल्स (गांठ) खरीदा गया था जिसमें से सिर्फ १२ लाख बेल्स (गांठ) बाहर का था । शायद कोई माल पड़ा रह गया हो क्योंकि कभी-कभी बिकने से रह जाता है ।

श्री विभूति मिश्र : अभी हमारे कामर्स मिनिस्टर साहब ने अपनी ऐडवॉइजरी कमेटी के व्याख्यान में कहा था कि जूट की क्वालिटी को हमें बढ़ाना चाहिये । लेकिन जूट एक ऐसी चीज है कि अगर वह किसानों के घर में पड़ा रहता है तो उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है । मिल वाले चाहते हैं कि कुछ दिन ठहर कर खरीदें ताकि वह उनको सस्ते दाम पर मिले । तो क्या सरकार इसके लिये कोई प्रबन्ध कर रही है कि जूट जल्दी से जल्दी खरीद लिया जाये ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री करमरकर : जूट की क्वालिटी बढ़ाने की जो बात कही जा रही है वह खेतों में । घर में जो माल हो उसको तो जल्दी से जल्दी बेच देना चाहिये । कोई-कोई लोग तो ज्यादा कीमत पाने के ख्याल से ठहर जाते हैं । मैं तो माननीय सदस्य से यही कहूंगा कि जितनी जल्दी हो सके उसे बेच देना चाहिये ।

श्री विभूति मिश्र : क्या मंत्री जी ने यह किसानों के हित की बात कही है कि जोकि हिन्दुस्तान में ८० फी सदी हैं ? मैं कहता हूँ कि जब उन्हें पैसा ही नहीं मिलेगा, जब उनको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन (उत्पादन लागत) ही नहीं मिलेगा तो वह उसको कैसे बेचेंगे ? मैं जानना चाहता हूं कि सरकार इसके लिये क्या इन्तजाम कर रही है कि किसानों के पास जो माल पड़ा हुआ है उसको जल्दी से जल्दी खरीद लिया जाये ।

श्री करमरकर : अगर यह सवाल मुझसे बाहर किया जाये तो हम लोग इस पर वहां ज्यादा अच्छी तरह चर्चा कर सकते हैं ।

†**श्री झुनझुनवाला** : इस उत्तर के सम्बन्ध में, कि कृषक ऊंचे मूल्य प्राप्त करने की आशा में अपना पटसन रखे रखते हैं, क्या माननीय मंत्री यह कह सकते हैं कि कितने कृषकों ने पटसन अपने पास रखा और अधिक मूल्य प्राप्त किया ?

†**श्री करमरकर** : यदि माननीय मित्र मुझे सहयोग दें, तो प्रश्न का उत्तर देने की मुझे कुछ आशा हो सकती है । ऐसा होता है कि मूल्य कम भी होता है और फिर बढ़ भी जाता है । किन्तु, जैसा कि मैंने कहा. प्रयोक्ता अर्थात् मिल स्थानीय पटसन उत्पाद को खरीदने में आना-कानी करते हैं, यह धारणा ठीक नहीं है, क्योंकि जैसा कि हम देख चुके हैं कि कुल प्रयोग में आने वाली ५७·९२ लाख गांठों में से पाकिस्तान से केवल १२·०८ लाख गांठों का आयात हुआ है, अर्थात गत वर्ष की तुलना में लगभग ३ लाख गांठों की कमी हुई है । यदि कुछ कठिनाइयां हों, तो माननीय सदस्य या संबद्ध व्यक्ति कुछ संभव सहायता के लिये इस मामले को उठा सकते हैं ।

†**श्री झुनझुनवाला** : मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री ने किन आंकड़ों के आधार पर यह कहा था कि कृषक अधिक मूल्य की आशा में अपना पटसन अपने पास रखे रहते हैं । मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि क्या उन्हें किसी समय अधिक मूल्य प्राप्त हुआ अथवा मिल मालिकों के मेल के कारण वे अपने मूल्य निश्चित करते हैं और कभी-कभी उनसे पटसन नहीं खरीदते ।

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : भूतकाल में इन आरोपों में चाहे कुछ भी सचाई रही हो, इस समय और पिछले तीन महीनों से पटसन का मूल्य उचित है—हो सकता है किसी व्यक्ति ने अपने पटसन के स्टाक रख छोड़े हों—और यह सूचना हमें साधारणतया राज्य सरकारों से मिलती है । वास्तव में—माननीय सदस्य हमसे, यह आशा नहीं करते कि हम वहां जाकर यह देखें कि क्या विशिष्ट बातें सच हैं— हमें केवल उन सूत्रों पर निर्भर रहना पड़ता है जो हमें यह सूचना देते हैं । यदि माननीय सदस्य यह समझते हैं कि सूचना गलत है, तो मैं यह कहने को तैयार हूँ कि माननीय सदस्य को वह मत रखने का अधिकार है, क्योंकि मैं उस सूत्र की सत्यता पर कोई सन्देह नहीं कर सकता, जहां से मुझे सूचना मिली है । किन्तु, बात यह है कि इस समय भारतीय पटसन का जो मूल्य मिलता है वह ठीक है और पटसन वस्तुओं की उत्पादन लागत के आधार पर, मूल्य इस प्रकार रखा जाता है कि कोई अन्तर नहीं रहता ।

†**श्री जी० पी० सिन्हा** : क्या पाकिस्तान से पटसन का आयात कम करने का और कोई आधार है ?

†**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी** : पाकिस्तान के पटसन आयात को कम करने के प्रश्न का बिलकुल दूसरा आधार है । ऐसी बात नहीं कि हम पाकिस्तान से पटसन का आयात करना चाहते हैं और अपने

†मूल अंग्रेजी में

पटसन उत्पादकों को पटसन उद्योग से होने वाले लाभ से वंचित रखना चाहते हैं। पाकिस्तानी पटसन का गुण प्रकार ऐसा है जिसका टाट के उत्पादन के लिये सम्मिलित करना अत्यन्त अनिवार्य है और यदि उस गुण प्रकार का पटसन न हो, जो भारत में बहुतायत से नहीं मिलता, तो हमारा निर्यात बाजार मन्दा हो जाता है।

ताज-नमूना उद्योग

†*७५८. **श्री गार्डिलिंगन गौड़** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आगरा विश्व-प्रसिद्ध ताज-नमूना उद्योग के समाप्त होने का भय है;

(ख) क्या छोटे पैमाने के उद्योगों के निदेशक, आगरा, ने यह प्रतिवेदन दिया है कि यदि ताज-नमूने बनाने के लिये लोगों को प्रशिक्षण देने के लिये शीघ्र उपाय न किये गये, तो यह डर है कि कहीं कला समाप्त न हो जाये; और

(ग) यदि हां, तो इस कला के संरक्षण के लिये क्या कार्रवाइयां करने का विचार किया गया है ?

†**उत्पादन मंत्री के सभासचिव (श्री आर० जी० दुबे)** : (क) जी नहीं।

(ख) जी, हां।

(ग) उद्योग को वित्तीय सहायता देने की प्रस्थापना विचाराधीन है।

†**श्री गार्डिलिंगन गौड़** : क्या छोटे पैमाने के उद्योगों के निदेशक ने कोई निश्चित सुझाव दिया है, और यदि हां, तो क्या ?

†**श्री आर० जी० दुबे** : उत्तर प्रदेश सरकार ने एक योजना प्रस्तुत की है, जिसमें कुछ सुझाव दिये गये हैं और अखिल भारतीय हस्त शिल्प बोर्ड ने इस पर विचार किया है और अब अन्त में यह सिफारिश की है कि उद्योग निदेशक, उत्तर प्रदेश, को इन कलाकारों को आवश्यक सहायता देने के लिये, १५,००० रुपये दिये जाने चाहियें।

†**श्री गार्डिलिंगन गौड़** : यह विश्वविख्यात स्मारक है। इसलिये मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने इन नमूनों के पोषित मूल्यों पर बेचे जाने के बारे में, कोई कदम उठाये हैं, ताकि सब वर्गों के लोग इन को खरीद सकें ?

†**श्री आर० जी० दुबे** : मैं पोषित मूल्यों के बारे में कुछ नहीं कह सकता, किन्तु मैं यह कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक प्रशिक्षण संस्था स्थापित की है और उसने इन नमूनों के निर्माण के लिये अल्वास्टर पत्थर का आयात करने के लिये भी कुछ प्रबन्ध किये हैं। और वह कलाकारों को उचित दामों पर यह दे रही है।

†**श्री हेडा** : इन नमूनों को यथा संभव कम दामों पर बेचे जाने की मांग होने के कारण उनके गुण प्रकार के बारे में गारंटी नहीं होती। इस बात को ध्यान में रखते हुये, क्या सरकार इनके प्रमापीकरण के लिये और शिल्पकारों को न्यूनतम मूल्य का आश्वासन देने के बारे में कोई कार्यवाही कर रही है ?

†**श्री आर० जी० दुबे** : ऐसा हुआ कि पिछले कुछ वर्षों में अल्वास्टर पत्थर की अधिक मांग थी और हमने इन नमूनों को तैयार करने के लिये कच्चे सामान के रूप में इसका प्रयोग किया। इसीलिये शिल्प-कला बोर्ड ने इन विशिष्ट परिवारों को, जो आगरा में विद्यमान हैं, संगमरमर पत्थर से नमूने तैयार करने के लिये, कुछ सहायता देना उचित समझा। इसी कारण स्थानीय संस्था को १५,००० रूपये देने का विचार किया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों का सामुदायिक विकास खण्डों में परिवर्तन

†*७६०. **श्री एच० जी० वैष्णव** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग की केन्द्रीय समिति द्वारा अप्रैल, १९५६ के प्रारम्भ से कुछ राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंडों को सामुदायिक विकास खंडों में परिवर्तित करने का निर्णय किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक खण्ड को परिवर्तित करने के लिये औसतन अतिरिक्त व्यय कितना होगा ?

†**योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र)** : (क) जी, हां ।

(ख) १०।। लाख रुपये प्रति खण्ड । यह इस धारणा पर है कि राष्ट्रीय विस्तार सेवा बजट में ४।। लाख रुपये का जो सम्पूर्ण सरकारी व्यय है उसका पूर्ण उपयोग कर लिया गया है । इस प्रयोजन के लिये राष्ट्रीय विस्तार सेवा अवस्था में 'कर्मचारी वर्ग' पर खर्च की गयी ५०,००० रुपये की राशि लेखे में नहीं जोड़ी जायगी ।

†**श्री एच० जी० वैष्णव** : राष्ट्रीय विस्तार खण्ड को सामुदायिक विकास खंड में परिवर्तित करने का क्या मापदण्ड है ?

†**श्री एस० एन० मिश्र** : खर्च की गतिवृद्धि, भौतिक (फ़िज़ीकल) लक्ष्य की सफलता और जनता के उत्साह को ध्यान में रखते हुये किये जाते हैं ।

†**श्री एच० जी० वैष्णव** : इस वर्ष सामुदायिक विकास खण्डों में परिवर्तित किये जाने वाले राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंडों की कुल संख्या कितनी है ?

†**श्री एस० एन० मिश्र** : वर्तमान योजना के दौरान में लगभग ४०० खण्ड गहन विकास खण्डों में परिवर्तित किये जाने वाले थे किन्तु निर्णय वस्तुतः ३३७ खण्डों के सम्बन्ध में ही किये गये हैं ।

†**श्री केशव अय्यंगार**: मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या मैसूर राज्य में इस प्रकार खण्ड परिवर्तित किये जायेंगे ?

†**श्री एस० एन० मिश्र** : हां, मैसूर राज्य में भी ।

†**श्री बी० के० दास** : क्या परिवर्तित खण्डों पर किया जाने वाला व्यय उन सामुदायिक विकास योजना क्षेत्रों के समान होगा जो वर्तमान में क्रियाशील हैं अथवा अक्टूबर, १९५२ में आरम्भ किये गये खण्डों से अधिक है ?

†**श्री एस० एन० मिश्र** : यह व्यय गहन विकास खण्डों की उस स्थिति के समान होगा जबकि व्यय १५,००,००० रुपये है ।

†**पण्डित डी० एन० तिवारी** : क्या माननीय मंत्री ने इस बात का निश्चय कर लिया है कि क्या परिवर्तन सम्बन्धी सिफारिशें जिला पदाधिकारियों द्वारा की गई थी और क्या संसत्सदस्यों की राय भी ली गई थी तथा क्या मंत्री ने इन खण्डों को परिवर्तित करने के लिये संसत्सदस्यों की राय जानने की कभी कोशिश की है ?

†**श्री एस० एन० मिश्र** : यह निर्णय केन्द्रीय समिति करती है और जहां तक संसत्सदस्यों की रायों का सम्बन्ध है वह परामर्शदात्री समितियों में व्यक्त की जाती है लेकिन हम सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर संसत्सदस्यों के साथ जब कभी भी वे अपनी इच्छा प्रकट करते हैं, चर्चा का अवसर भी प्राप्त करते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० सुरेश चन्द्र** : मैं जानना चाहता हूँ कि जैसा स्थानीय विकास मंत्रणा समिति एवं उस क्षेत्र के संसत्सदस्यों ने सिफारिश की है और गांजाद जिले के सामुदायिक विकास खंडों को सामुदायिक योजना में परिवर्तित करने का सरकार ने निर्णय किया है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : हम विस्तृत चर्चा में जा रहे हैं । यदि माननीय सदस्य को आपत्ति न हो तो माननीय मंत्री लोक सभा पटल पर एक सूची प्रस्तुत कर दें जिसमें यह बताया हो कि कितने खंडों का परिवर्तन किया गया है ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : मैं जानना चाहता हूँ कि परिवर्तित खण्डों पर कुल कितना व्यय होगा तथा क्या इस प्रकार के परिवर्तित खण्डों के सम्बन्ध में कर्मचारीवर्ग पर खर्च अधिकतम सीमा निर्धारित की जायेगी ? आजकल अधिकांश खर्च कर्मचारीवर्ग पर ही किया जाता है ।

†**श्री एस० एन० मिश्र** : जहां तक कर्मचारीवर्ग पर व्यय का सम्बन्ध है वह बजट के प्राक्कलन में पहले ही बता दिया गया है । लेकिन जहां तक राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों का स्थान लेने वाले गहन विकास खण्डों का सम्बन्ध है मैंने अपने उत्तर में स्थिति बता दी है ।

श्री राधे लाल व्यास : क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि कुछ जगह ऐसे भी एन० ई० एस० ब्लाक्स हैं जिनके अन्दर १०० गांव रखने के बजाय २८५ गांव रखे जाते हैं, जैसे कि उज्जैन तहसील में है और खर्चा भी ऐसे ब्लाक्स के लिये केवल साढ़े सात लाख ही दिया जाता है जिसका अधिकांश भाग तनख्वाहों और पैट्रोल इत्यादि में निकल जाता है ? यदि हा, तो क्या ऐसे ब्लाक्स को कम्युनिटी डिवेलपमेंट ब्लाक्स में परिवर्तित करते समय कोई प्राथमिकता दी जायेगी ताकि उनका काम ठीक ढंग से चल सके ?

श्री एस० एन० मिश्र : मैंने माननीय सदस्य का अभिप्राय समझा नहीं है । लेकिन अगर उनका आक्षेप यह है कि ज्यादा पैसा कर्मचारियों की तनख्वाह पर खर्च हो जाता है तो·····

†**श्री राधे लाल व्यास** : श्रीमान, मैं समझा दूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मंत्री उत्तर देंगे ।

श्री राधे लाल व्यास : वह मेरा प्रश्न नहीं समझे हैं अतः मैं उसे स्पष्ट करना चाहता हू । मैंने यह कहा था कि उज्जैन तहसील में जो एन० ई० एस० ब्लाक्स है, उसके अन्तर्गत १०० गांवों के बजाय २८५ गांव रखे गये हैं और रुपया जो इस ब्लाक पर खर्चे के लिये दिया जाता है वह साढ़े सात लाख है जोकि बहुत कम है क्योंकि इसमें से अधिकतर रुपया कर्मचारियों की तनख्वाहों और पैट्रोल में चला जाता है । क्या ऐसे जो बहुत अधिक गांव वाले एन० ई० एस० ब्लाक्स हैं उन को पहले कम्युनिटी डिवेलपमेंट ब्लाक्स में परिवर्तित करने के बारे में सोचा जायेगा ताकि उनको और रुपया खर्च करने के लिये मिल सके और उनका काम चल सके ?

श्री एस० एन० मिश्र : माननीय सदस्य के सवाल के दो तीन हिस्से हैं । एक हिस्सा तो यह है कि इस ब्लाक में २८५ गांव आते हैं । मैं समझता हूँ कि २८५ गांव के होते हुए भी उसकी जन संख्या कुछ ज्यादा नहीं होगी···

श्री राधे लाल व्यास : ज्यादा है ।

श्री एस० एन० मिश्र : इसके बारे में मैं जानकारी हासिल करूंगा ।

दूसरा हिस्सा उनके सवाल का यह है कि ज्यादातर पैसा कर्मचारियों पर खर्च हो जाता है । इसके बारे में माननीय सदस्य को बतलाना चाहता हूँ कि कर्मचारियों के ऊपर जितना हमने बजट में रखा है उससे ज्यादा खर्च नहीं हो सकता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

तीसरा हिस्सा उनके सवाल का यह है कि ऐसे ब्लाक्स को पहले कम्युनिटी डिवेलपमेंट ब्लाक्स में कनवर्ट किया जाये। इसके बारे में हमने अभी कोई निर्णय नहीं किया है।

†**डा० लंका सुन्दरम** : मंत्री महोदय यह बता रहे थे कि एक प्रकार के खंडों को दूसरे प्रकार के खंडों में परिवर्तित करने के लिये क्या प्रक्रिया अपनाई गई है। जहां तक मैं समझा हूं प्रश्न यह है कि क्या सरकार ने कभी संसत्सदस्यों से परामर्श किया है और यदि हां तो कब कैसे और किस रूप में ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मंत्री महोदय ने निश्चित रूप से कह दिया है कि यह कार्य मंत्रणा समिति द्वारा किया जाता है तथा संसत्सदस्य समिति के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं और जब कभी भी उनके दृष्टिकोण मंत्री के ध्यान में लाये जाते हैं वह उन पर विचार करते हैं।

†**श्री डी० सी० शर्मा** : देश की विभिन्न विधान सभाओं में इस आशय के निराधार आरोप लगाये गये हैं कि अधिकांश राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड तथा अन्य योजनायें मंत्रियों अथवा उपमंत्रियों के निर्वाचन क्षेत्रों में मजूर की गई हैं। क्या माननीय मंत्री इन निराधार आरोपों की जांच पड़ताल के लिये कुछ करेंगे ?

†**अध्यक्ष महोदय** : निराधार आरोप क्या हैं ?

†**श्री ए० एम० थामस** : आरोप यह हैं कि विस्तार सेवा खंड मंत्रियों और राज्य के मंत्रियों के निर्वाचन क्षेत्रों में मंजूर किये गये हैं।

†**श्री एस० एन० मिश्र** : यदि स्वयं माननीय सदस्य आरोपों को निराधार बताते हैं तो मैं नहीं समझता कि उनकी जांच किस प्रकार की जा सकती है ?

†**श्री बी० के० दास** : मंत्री महोदय ने कहा था कि उन सब विकास खंडों में जहां पर कार्यक्रम इस वर्ष ३१ मार्च तक पूरा हो जायेगा उनमें राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंडों के समान स्थायी प्रतिष्ठान रहेगा। मैं जानना चाहता हूँ कि इन खंडों पर कितना व्यय होगा ?

†**श्री एस० एन० मिश्र** : कदाचित् माननीय सदस्य ने मेरे उत्तर के द्वितीय भाग को ध्यानपूर्वक नहीं सुना। मैंने पहले बता दिया है कि राष्ट्रीय विस्तार सेवा परिवर्तन के पश्चात प्रति खण्ड १०।। लाख रुपये इस धारणा पर खर्च किये जायेंगे कि ४।। लाख रुपयों का पूरी तरह उपयोग किया जा चुका है।

†**श्री केशव अय्यंगार** : मैं जानना चाहता हूं कि जिन खण्डों को परिवर्तित किया जा चुका है क्या सरकार उनके स्थान पर नये राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड स्थापित करने का विचार रखती है ?

†**श्री एस० एन० मिश्र** : द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हम देश में इस कार्यक्रम का प्रसार कर रहे हैं।

अखिल भारतीय हस्तशिल्प सप्ताह

†*७६२. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **उत्पादन** मंत्री २० दिसम्बर, १९५५ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ६८२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि २३ सितम्बर से ३० सितम्बर, १९५५ तक मनाये गये अखिल भारत हस्तशिल्प सप्ताह में कुल कितनी रकम संग्रहीत की गई है ?

†**उत्पादन मंत्री के सभासचिव (श्री आर० जी० दुबे)** : कुछ संग्रह नहीं किया गया। इस सप्ताह में हस्तशिल्प वस्तुओं की लगभग १ लाख २३ हजार रुपयों की बिक्री हुई।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : मैं जानना चाहता हूँ कि क्या उक्त सप्ताह में बेची गई हस्तशिल्प वस्तुओं पर कुछ छूट दी गई थी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री आर० जी० दुबे** : कुछ राज्यों में छूट दी गई थी।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इस वर्ष भी हस्तशिल्प सप्ताह मनाने का प्रस्ताव है ?

†**श्री आर० जी० दुबे** : संभवतः इसका आयोजन किया जायेगा।

राष्ट्रीय उपकरण कारखाना

†*७६३. **श्री राधा रमण** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय उपकरण कारखाना जिसका इस समय कलकत्ता में निर्माण हो रहा है कब पूरा हो जायेगा; और

(ख) इसके निर्माण पर कुल कितने व्यय का अनुमान है ?

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) राष्ट्रीय उपकरण कारखाने का भवन १९५६ तक सम्पूर्ण हो जाने की आशा है।

(ख) लगभग ३९ लाख रुपये।

†**श्री राधा रमण** : मैं जानना चाहता हूँ कि क्या फैक्टरी के निर्माण व्यय के मूल अनुमान में कोई परिवर्तन हुआ है और यदि इसका उत्तर स्वीकारात्मक है तो परिवर्तन का क्या स्वरूप है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : इस फैक्टरी के विस्तार के सम्बन्ध में एक वृहद् कार्यक्रम निर्धारित किया गया था। पूरे कार्यक्रम पर १ करोड़ और ८८ लाख रुपये खर्च होना था। किन्तु, इस समय हमने पहले भाग पर कार्य आरम्भ किया है जिस पर लगभग ७० लाख रुपये खर्च होंगे।

†**श्री भागवत झा आजाद** : फैक्टरी में उत्पादन आरम्भ हो जाने पर हमारी कितने प्रतिशत आवश्यकताओं की पूर्ति होगी ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : यह नवीन फैक्टरी नहीं है। कलकत्ता में एक उपकरण फैक्टरी पहले से ही है। चूंकि वहां पर्याप्त स्थान नहीं था—यह अत्यन्त घनी बस्ती में थी—फैक्टरी नये स्थान पर स्थानान्तरित की जा रही है जहां यह अपने कार्यों को विस्तृत रूप दे सकेगी। ज्योंही भवन तैयार हो जायेगा और नये भवन का कुछ निर्माण होने पर ही फैक्टरी का कुछ भाग वहां भेजा जा रहा है अथवा भेजा जायेगा। मशीनों के भेज देने के पश्चात नये स्थान पर कार्य आरम्भ हो जायेगा।

†**श्री कामत** : द्वितीयपंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत निर्माण किये जाने वाले विभिन्न उपकरण क्या-क्या हैं तथा क्या इस फैक्टरी में उपकरण निर्माण के सम्बन्ध में कोई प्राथमिकता सूची है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : लगभग २५० उपकरण इस फैक्टरी में निर्मित हो रहे हैं। और उपकरणों का भी निर्माण किया जायेगा। यह सब वैज्ञानिक तथा सर्वेक्षण सम्बन्धी आवश्यकताओं के लिये विशिष्ट उपकरणों की मांग पर निर्भर है।

†**पण्डित डी० एन० तिवारी** : मैं जानना चाहता हूं कि फैक्टरी में स्थान बढ़ जाने के परिणामस्वरूप उत्पादन बढ़ेगा अथवा स्थिर रहेगा ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : निस्संदेह उत्पादन में वृद्धि होगी तथा नये उपकरणों का उत्पादन आरम्भ किया जायेगा।

†**श्री राधा रमण** : फैक्टरी के स्थानान्तरित होने एवं उत्पादन की पूर्ण गति धारण करने पर हमारी कितने प्रतिशत आवश्यकताओं की पूर्ति होगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सतीश चन्द्र** : वस्तुतः हमें सम्पूर्ण देश की आवश्यकतायें ज्ञात नहीं हैं । इस समय हम उन २५० उपकरणों का उत्पादन कर रहे हैं जिनकी मांग है ।

†**श्री कामत** : वाद्य उपकरण भी ?

†**श्री यू० एम० त्रिवेदी** : मैं जानना चाहता हूँ कि इस फैक्टरी के कर्मचारीवर्ग की भरती किस प्रकार की जाती है तथा कितने व्यक्ति संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भरती किये गये हैं ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : सभी वरिष्ठ कर्मचारीवर्ग संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भरती किये जाते हैं । केवल इसी एक फैक्टरी का प्रबन्ध विभागीय रूप में उत्पादन मंत्रालय द्वारा किया जाता है । अतः सामान्य सरकारी प्रक्रिया का अनुकरण किया जाता है ।

रेडियो सप्ताह

†*७६४. **श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष रेडियो सप्ताह पर कुल कितना खर्च किया गया है ?

†**सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : अखिल भारत आकाशवाणी के सामान्य व्यय से रेडियो सप्ताह सम्बन्धी व्यय के आंकड़े अलग बताना संभव नहीं है । इस सप्ताह में महत्वपूर्ण कार्यक्रम सम्मिलित किये गये थे जो आकाशवाणी की क्रियाओं का सामान्य अंग होते हैं । यह सब आकाशवाणी के कार्यक्रमों के लिये निर्धारित समूचे बजट के अन्तर्गत ही किया था अतः अतिरिक्त व्यय का प्रश्न नहीं उठता है ।

†**श्री गाडिलिंगन गौड़** : मैं यह जानना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री ने जिन बातों या कार्यक्रमों का उल्लेख किया है, उन सब पर इस वर्ष कुल कितना धन अधिक खर्च हुआ है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री ने कहा है कि अतिरिक्त राशि सामान्य व्यय का अंग है । किन्तु माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि इस रेडियो सप्ताह के द्वारा कितना व्यय बढ़ गया है ।

†**डा० केसकर** : मैं नहीं समझता कि कुछ वृद्धि हुई है । उदाहरणार्थ प्रत्येक स्टेशन, वर्ष के दौरान में, कुछ उत्सवों का आयोजन करता है, और उन्हें भी कार्यक्रम का अंग ही माना जाता है । इस विशेष कार्यक्रम के लिये न किसी विशेष व्यय की मंजूरी दी गई थी और न ही कोई विशेष व्यय हुआ है । बात केवल इतनी थी कि चार या पांच सप्ताहों में कार्यक्रम करने के बजाये एक ही सप्ताह के अन्दर कुछ उत्सवों का इकट्ठा आयोजन कर लिया गया ।

†**श्री कामत** : जैसी कि मंत्रालय की प्रथा या रीति है, क्या उसने इस विषय में जनता का विचार जानने की दृष्टि से, कि क्या रेडियो सप्ताह रेडियो का प्रचार करने के लिये सफल हुआ है, जनता में प्रश्नावली जारी की थी ।

†**डा० केसकर** : रेडियो सप्ताह पहली बार मनाया गया है । गत वर्ष हमने रेडियो मास मनाया था और मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूँ कि रेडियो मास में लोगों ने आशातीत रुचि ली थी, और उसका ध्यान रखते हुये प्रति वर्ष एक उत्सव रखने का निर्णय किया गया, ताकि जनता और आकाशवाणी के बीच अधिक सम्पर्क स्थापित किया जा सके । किन्तु यह अनुभव किया गया कि मासिक उत्सव बड़ा लम्बा होता है और उस पर बहुत अधिक व्यय और कर्मचारियों की बड़ी शक्ति खर्च होती है, इसलिये रेडियो सप्ताह मनाया गया था । रेडियो सप्ताह कोई बहुत बड़ा असाधारण उत्सव नहीं था, इसलिये कोई अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता नहीं थी, जिस का माननीय सदस्य अनुमान कर रहे हैं । संभवतः उन्होंने भारी व्यय का अनुमान लगाया था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कामत** : क्या लोगों में निश्चय ही अब रेडियो का अधिक शौक हो गया है ?

†**डा० केसकर** : जी, हां । जैसा कि आंकड़ों से पता चलता है, प्रतिवर्ष हमारे लाइसेंसों की संख्या लगभग १,००,००० बढ़ जाती है ।

†**श्री ए० एम० थामस** : यद्यपि इसका उद्देश्य लोगों में रेडियो का शौक पैदा करना है, किन्तु मूल समस्या यह है कि साधारण व्यक्ति रेडियो नहीं खरीद सकता । सरकार ने इस विषय में क्या कदम उठाये हैं ?

†**डा० केसकर** : माननीय मित्र द्वारा व्यक्त किये गये विचार से मैं पूर्णतः सहमत हूँ । हमने कई बार सभा में कहा है कि देश में अधिक संख्या में रेडियो होने के लिये सस्ते रेडियो का होना अत्यावश्यक है । इस मामले में, हम गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योग पर जोर दे रहे हैं, कि यह सस्ते से सस्ते रेडियो बनाये और यद्यपि हम अपेक्षित मात्रा तक इसमें सफल नहीं हो सके हैं, मैं कह सकता हूँ कि इस समय रेडियो के मूल्य पहले की अपेक्षा बहुत कम हैं । किन्तु हमने साथ ही उद्योग को यह भी चेतावनी दे दी है कि यदि उचित समय के अन्दर पर्याप्त संख्या में सस्ते रेडियो मिलने आरंभ नहीं होते, तो संभवतः हमें स्वयं इस मामले पर विचार करना पड़ेगा ।

†**श्रीमती ए० काले** : मंत्री महोदय ने कहा है कि रेडियो मास बहुत सफल रहा है । इसलिये मैं इनसे प्रार्थना करती हूँ कि प्रति तीन महीनों में एक रेडियो सप्ताह मनाया जाये, ताकि बहुत अधिक व्यय न हो ।

†**डा० लंका सुन्दरम्** : क्या यह सच है कि दो वर्ष पूर्व आकाशवाणी के गवेषणा विभाग ने ८० रुपये की लागत का एक नमूनें का रेडियो तैयार किया था, और यदि हां, तो उनके अधिक उत्पादन क बारे में उसका क्या हुआ ?

†**डा० केसकर** : गवेषणा विभाग ने एक रेडियो अवश्य तैयार किया था, जिस पर ठीक ८० रुपये तो नहीं कह सकता, परन्तु इसके लगभग लागत आई थी । इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन करना हमारे लिये कठिन काम था । हमने उद्योग को इस प्रश्न को लेने के लिये कहा । रेडियो सेट् संभवतः १०० रुपये से कुछ अधिक दामों पर भी मिलते हैं । किन्तु यह केवल एक तरंग या मध्यम तरंग का रेडियो होता है और अब भी दो तरंगों का रेडियो नहीं बना है । कम से कम उद्योग हमें ऐसा रेडियो देने में सफल नहीं हुआ है ।

†**डा० लंका सुन्दरम** : क्या यह सच है कि आकाशवाणी गवेषणा विभाग ने किसी संविहित समिति के सामने उपस्थित हो कर इस रेडियो सेट का प्रदर्शन किया था और बड़े पैमाने पर इसका निर्माण करने के लिये धन की प्रार्थना की थी ?

†**डा० केसकर** : आकाशवाणी ने बड़े पैमाने पर इसके निर्माण की बात नहीं कही, किन्तु हम चाहते थे कि ऐसा रेडियो बनाया जाना चाहिये । जैसा कि मैंने पिछले प्रश्न के उत्तर में कहा, अभी भी हमें विश्वास नहीं है कि ऐसा समय आ गया है जब हमें सस्ते रेडियो उत्पादन के लिये हस्तक्षेप करना चाहिये, क्योंकि और भी कई समस्यायें सामने हैं, जिन पर हमारा बहुत समय खर्च हो रहा है । यदि हम देखेंगे कि शीघ्र ही बाजार में सस्ते रेडियो सेट नहीं आ रहे हैं तो हमें इस प्रश्न पर विचार करना पड़ेगा ।

†**सरदार इकबाल सिंह** : क्या इन कार्यक्रमों का कोई प्रादेशिक नमूने का सर्वेक्षण किया गया था, और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम हुआ है ?

†**डा० केसकर** : न केवल इस कार्यक्रम के बारे में, अपितु सामान्य श्रेणियों के कार्यक्रमों के बारे में भी, साधारणतया सब स्टेशनों पर, प्रादेशिक नमूने का सर्वेक्षण किया जाता है । इसके बारे में भी यह

†मूल अंग्रेजी में

सर्वेक्षण किया गया है, और जैसा कि मैंने कहा, पिछले रेडियो मास के पश्चात्, यह अनुभव किया गया कि यह बहुत सफल रहा है ।

सेठ गोविंद दास : अभी माननीय मंत्री ने कहा था कि इस बात का प्रयत्न वे कर रहे हैं कि सस्ते से सस्ते रेडियो सेट जल्दी से जल्दी इस देश में मिलने लगें, तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि यह कब तक आशा की जानी चाहिये कि इस सम्बन्ध में सरकार कोई न कोई निर्णय कर लेगी और बड़ी तादाद में सस्ते रेडियो सेट यहां पर कब तक मिलना सम्भव हो सकेगा ?

डा० केसकर : चूंकि रेडियो सेट प्राइवेट इंडस्ट्री बनाती है, इसलिये कब तक मिलेंगे, यह तो मैं नहीं कह सकता लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि एक, आध साल हम और इसका इन्तजार करेंगे और देखेंगे कि सेट्स की कीमत कितनी नीचे उतरती है, कुछ तो उतर भी गई है और हो सकता है कि अभी और भी उतरे और जितनी हम कम कीमत चाहते हैं उतनी कम कीमत तक अगर वे न उतरे तब हम इस मामले में आगे बढ़ेंगे ।

कम आय वाल लोगों के लिये गृह-निर्माण योजना

†*७३९. **श्री गिडवानी** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री सभा-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह दिखलाया गया हो :

(क) १९५४-५५ और १९५५-५६ में कम आय वाले लोगों के लिये गृह-निर्माण योजना के अधीन कितना ऋण राज्यवार आवंटित किया गया है; और

(ख) राज्य सरकारों को राज्यवार वास्तव में कितना धन दिया गया है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री के सभासचिव (श्री पी० एस० नासकर)** : (क) तथा (ख). एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । योजना के अधीन ऋणों का आवंटन फरवरी १९५५ से आरंभ किया गया है और यह पहली योजना की कालावधि के लिये किया गया था । [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३५**]

†**श्री गिडवानी** : विवरण से पता चलता है कि २१५३·२ लाख रुपये की आवंटित राशि में से, वास्तव में केवल ९३२·६३ लाख रुपये ही बांटे गये हैं । मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने राज्य सरकारों से पूछताछ की है कि अधिक धन का क्यों उपयोग नहीं किया गया है ?

†**श्री पी० एस० नास्कर** : संभवत: कुछ राज्य सरकारें लोगों में शौक या उत्साह पैदा नहीं कर सकीं या लोग इस योजना का लाभ उठाने के लिये आगे नहीं बढ़े ।

†**श्री गिडवानी** : मैं समझता हूँ कि आसाम, कच्छ और उड़ीसा आदि कुछ राज्यों ने कुछ भी धन खर्च नहीं किया है, और बम्बई जैसे प्रगतिशील राज्य ने (**श्री यू० ए० त्रिवेदी** : इसे प्रगतिशील क्यों कहा जा रहा है) २० प्रतिशत से अधिक व्यय नहीं किया है । यद्यपि वहां आवास की अत्यधिक कमी है उस राज्य ने २० प्रतिशत का भी उपयोग नहीं किया है । क्या सरकार अपनी शर्तों में संशोधन करेगी ताकि राज्य इस धन का पूर्ण उपयोग कर सकें ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : हमने इस बात पर विचार किया है । परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है । और मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करूंगा कि वह बम्बई के लोगों में इन ऋणों का उपयोग करने का पर्याप्त उत्साह पैदा करें ।

†**अध्यक्ष महोदय** : जिन प्रश्नों के सदस्य अनुपस्थित थे, अब मैं उनको केवल एक या दो अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर देता हूँ, ताकि वे यहां समय पर उपस्थित रहा करें ।

---

†मूल अँग्रेजी में

†**श्री कामत** : दण्ड के रूप में ।

नार्वे सरकार का प्रधान मंत्री को निमंत्रण

*७४६. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नार्वे सरकार ने उनको आमन्त्रित किया था; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि उन्होंने उस निमंत्रण को स्वीकार करने में अपनी असमर्थता प्रगट की है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा०) : (क) तथा (ख). प्रधान मंत्री को (नार्वे सहित) संसार के कई हिस्सों के देशों से सद्भावना यात्रा करने के लिये निमंत्रण मिले हैं । उन्होंने इन निमंत्रणों के लिये आभार प्रकट किया है और कहा है कि वे इन देशों में जाने के अवसरों का स्वागत करते हैं, लेकिन निकट भविष्य में समय न मिलने की वजह से उनका वहां जाना मुश्किल है । वे उम्मीद करते हैं कि बाद में वे इनमें से कुछ देशों की यात्रा कर सकेंगे ।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : क्या प्रधान मंत्री निकट भविष्य में नार्वे जा रहे हैं ?

†**श्री अनिल के० चन्दा** : मैं इसका उत्तर देने में असमर्थ हूँ ?

†**श्री कामत** : क्या यह सच है कि विश्व में दूसरा कोई ऐसा प्रधान मंत्री नहीं है, जिसे विदेशों से इतने अधिक निमंत्रण आते हों, और वह इतने अधिक निमंत्रण स्वीकार करता हो ?

†**श्री अनिल के० चन्दा** : संसार में हमारे प्रधान मंत्री की तुलना का कोई प्रधान मंत्री नहीं है ।

†**श्री कामत** : मेरा अर्थ था केवल इस विषय में ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य को इसका गर्व होना चाहिये ।

मशीन बनाने वाला कारखाना

*७५१. **श्री आर० एस० तिवारी** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चेकोस्लोवेकिया सरकार ने भारत में मशीन बनाने का एक कारखाना स्थापित करने के लिय सरकार को प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले की स्थिति क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री आर० एस० तिवारी : यदि भारत सरकार ने यहां पर उनको कारखाना खोलने की मंजूरी दे दी है तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि उस काम में अभी तक क्या प्रगति हुई है ?

श्री कानूनगो : कोई मंजूरी नहीं दी गई है । प्रश्न (क) के उत्तर में मैंने कहा है जी, नहीं ।

सेठ गोविन्द दास : चेकोस्लोवेकिया के सिवाय क्या इस प्रकार के कारखाने बनाने का और कहीं से विचार चल रहा है ?

श्री कानूनगो : जी, नहीं ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : मैं वह कारण जानना चाहता हूँ जिनके आधार पर भारत सरकार द्वारा उक्त सरकार का प्रस्ताव नामंजूर कर दिया गया है। यदि नहीं, तो किस प्रक्रिया पर विचार किया जा रहा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कानूनगो :** प्रस्ताव ही नहीं था ।

विशेष प्रचार कार्यक्रम

†*७५२. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये विशेष प्रचार कार्यक्रम निश्चित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो कार्यक्रम का क्या ब्योरा है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) :** (क) और (ख). द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये एकीकृत प्रचार कार्यक्रम के ब्योरे को अन्तिम रूप दिया जा रहा है । सदस्यों को छपी हुई तथा चक्रलिखित (साइक्लोस्टाइल्ड) पत्र यथासम्भव शीघ्र उपलब्ध करा देने का विचार है । प्रस्ताव प्रश्न के साथ परिशिष्ट रूप में नहीं दिया जा सकता है क्योंकि यह अत्यन्त जटिल एवं लम्बा है ।

मैं माननीय सदस्य को जानकारी दे दूं कि सम्पूर्ण पंचवर्षीय योजना के लिये ५ करोड़ रुपये निर्धारित किये गये हैं । इसमें से ८५ लाख रुपये १९५६-५७ में खर्च होने की आशा है; और इस वर्ष का व्यय सम्बन्धी ब्यौरा बजट के आंकड़ों में है ।

†**सरदार इकबाल सिंह :** मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार द्वितीय पंचवर्षीय योजना को ग्राम्य क्षेत्रों में लोकप्रिय बनाने के लिये कोई विशेष कार्यवाही करेगी क्योंकि ग्राम्य क्षेत्रों में प्रकाशन हेतु कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई है ?

†**डा० केसकर :** मैं माननीय सदस्य के कथन से पूर्ण सहमत हूँ । लेकिन योजना आयोग द्वारा जो रकम निर्धारित की गई है उससे मैं मर्यादित हो गया हूँ और मैं इस रकम के अन्दर ही कार्य करूंगा । यह सदस्यों का काम है कि वह इस पर जोर देकर योजना आयोग से अधिक रुपया प्राप्त करें ।

सेठ गोविन्द दास : जहां तक इस प्रचार का सम्बन्ध है, यह प्रचार केवल लिखी हुई सामग्री से होगा या किसी अन्य प्रकार से भी होगा और अगर लिखी हुई सामग्री से होगा तो क्या वह हिन्दी और अन्य प्रांतीय भाषाओं में भी लिखी जायेगी ?

डा० केसकर : प्रचार के माध्यम हैं चलचित्र, सूचना केंद्र, प्रकाशन, चित्रों द्वारा प्रचार, पोस्टर प्रदर्शनियां, गाने तथा ड्रामा, यह मुख्य तरीके हैं ।

सेठ गोविन्द दास : यह किन-किन भाषाओं में होंगे ?

डा० केसकर : यह हिन्दी में और भारत की जितनी अन्य भाषायें हैं उनमें होंगे ।

†**श्री भागवत झा आजाद :** माननीय मंत्री ने बताया कि उनके पास स्वल्प राशि है । मैं जानना चाहता हूँ कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में ग्राम्य क्षेत्रों में उनके पास क्या रिकार्ड है ? कितने प्रतिशत गांवों में यह काम किया जा चुका है ?

†**डा० केसकर :** बहुत शीघ्र ही मैं इस प्रश्न का उत्तर दे सकूंगा । आगामी अवसर पर मैं सहर्ष यह बताऊंगा कि कितना कार्य हो चुका है और कितना कार्य होना चाहिये था ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

मशीनों के पुर्जों का निर्माण

७४१. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंचाई तथा विद्युत् योजनाओं के लिये आवश्यक मशीनों के पुर्जों का निर्माण करने के लिये कोई व्यापक एवं समन्वित प्रयत्न है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या कोई योजनायें तैयार की गई हैं;

(ग) वर्तमान राज्य उद्योगों और गैर-सरकारी उद्योगों के उन कन्द्रों की संख्या जहां इस योजना के आरम्भ होने पर यह कार्य किया जा सकता है;

(घ) क्या इस कार्य के लिये दामोदर घाटी निगम में इस प्रकार के छोटे एवं मध्यम श्रेणी के उद्योग आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) इन प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है ?

†**उद्योग मन्त्री (श्री कानूनगो)**: (क) से (ग). द्वितीय पंचवर्षीय योजना में नदी घाटी योजनाओं के लिये अपेक्षित मिट्टी हटाने वाले तथा अन्य प्रकार के संयंत्र और मशीनों के निर्माण की संभावना की जांच के लिये बनाई गई विशेषज्ञ समिति निस्संदेह ही इस प्रकार की मशीनों के पुर्ज़े और उपकरण के सम्भरण सम्बन्धी प्रश्न पर भी विचार करेगी। अभी तक कोई योजनायें नहीं बनाई गई हैं।

(घ) जी नहीं।

(ङ) उत्पन्न नहीं होता है।

साबुन उद्योग

†*७४२. **श्री बोडयार** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारत खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड अखाद्य तैलों से साबुन निर्माण उद्योग के विकास के लिये ऋण एवं अनुदान देने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो उद्योगों द्वारा ऋण एवं अनुदान प्राप्त करने के लिये क्या शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं; और

(ग) इन उद्योगों से कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिये बोर्ड ने क्या कार्यवाही की है ?

†**उत्पादन उपमन्त्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) सहकारी समितियां और पंजीकृत संस्थाओं को अनुदान एवं ऋण मिल सकता है।

(ग) प्रशिक्षण के लिये निम्न स्थानों पर प्रबन्ध किया गया है :

(१) कोश ग्रामोद्योग केंद्र, थाना,

(२) महाराष्ट्र सेवा संघ, शोलापुर और

(३) गांधी ग्रामोद्योग मन्दिर, अमरावती।

रेशम

†*७४५. **श्री एम० इस्लामुद्दीन** : क्या **उत्पादन** मंत्री बह बताने की कृपा करेंगे कि रेशम के धागे की किस्म में सुधार करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

†**उत्पादन मंत्री के सभासचिव (श्री आर० जी० दुबे)** : उद्योग में किस्म तथा मात्रा सम्बन्धी सुधार करने के लिये निम्न कार्य किये जा रहे हैं : (१) मलबरी की कलयों की रोपणी; (२) विदेशी किस्मों के बीजों का केन्द्र; (३) रेशम के कीड़े पालने के उद्योग का गवेषणा केन्द्र; (४) धागा लपेटने के उपकरणों का आधुनिकीकरण।

दक्षिण पटेल नगर

†*७४७. **लाला अचिंत राम** : क्या **पुनर्वास** मंत्री लोक-सभा में ५ सितम्बर, १९५५ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ७७८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पटेल नगर में मकानों की वास्तविक कीमत के सम्बन्ध में उसके बाद अन्तिम निर्णय कर लिया गया है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि नहीं, तो क्या यह सच है कि ६ अक्टूबर, १९५३ के पश्चात् मकान मालिकों को १,४०४ रुपये जमा करने के लिये समय-समय पर बुलाया गया है क्योंकि वास्तविक लागत व उनके द्वारा पहले से जमा की गई ५,००० रुपये की रकम में अन्तर बताया गया है;

(ग) क्या एक मुश्त ५,००० रुपये देने वाले आवंटियों को बिना किसी अभिसंविदा के कब्जा दे दिया कि उन्हें वास्तविक लागत और उनके मकानों के लिये लगभग ५,००० रुपये की एक मुश्त किस्त का अन्तर पूरा करेंगे; और

(घ) यदि नहीं, तो इन आवंटियों को जारी किये गये पत्र की एक प्रति सभा-पटल पर रखने की कृपा की जाये ।

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले)** : (क) जी नहीं ।

(ख) जी हां, क्योंकि कीमत अन्तिम रूप से निर्णीत मान ली गई थी ।

(ग) जी हां, बिना किसी अभिसंविदा के कब्जा दिया गया था क्योंकि जमा की जाने वाली कीमत अनुमानित थी और परिवर्तन किया जा सकता था ।

(घ) सामान्य प्रस्ताव (आफर) सम्बन्धी पत्र की प्रति लोक-सभा के पटल पर रखी जाती है ।

[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३६]

निवेली लिगनाइट परियोजना

†*७४८. **श्री एस० वी० रामस्वामी** : क्या **उत्पादन** मंत्री १६ फरवरी, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ३७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अधोजल दबाव को कम करने के लिये परीक्षणों का अभी तक का परिणाम;

(ख) क्या सरकार ने पूर्वी जर्मनी के प्रस्ताव पर विचार किया है; और

(ग) क्या सरकार ने पूर्वी जर्मन लिगनाइट खदानों और लो शेफ्ट भट्टी को देखने और अध्ययन करने के लिये किन्हीं विशेषज्ञों को वहां भेजने का विचार रखती है ?

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) इतने शीघ्र कुछ नहीं कहा जा सकता । पम्पिंग परीक्षण के प्रथम सप्ताह में जो कुछ अवलोकन किया गया है उससे सफलता की आशा दिखाई देती है ।

(ख) पूर्वी जर्मनी के व्यापार मंडल ने सरकार द्वारा योजना की वर्तमान अवस्था का अध्ययन करने के लिये दी गई विशेष सुविधाओं का उपयोग किया है । अभी तक कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ग) योजना के प्रधान केमिस्ट प्रतिनियुक्ति आधार पर यूरोप भेजे गये हैं । वह पूर्वी जर्मनी के महत्वपूर्ण लिगनाइट-विद्यायन प्रस्थापनाओं को भी देखेंगे । किसी अन्य इंजीनियरिंग विशेषज्ञ को भेजने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

सरकारी विज्ञापन

†*७५०. **डा० जे० एन० पारिख** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा हाल में की गई नीति सम्बन्धी उस घोषणा के अनुरूप कि भारतीय भाषाओं के पत्रों को अधिक विज्ञापन दिये जायेंगे, भारतीय भाषाओं के पत्रों को प्रकाशन विभाग की पुस्तकों तथा प्रकाशनों सम्बन्धी विज्ञापन किस सीमा तक दिये जाते हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : प्रकाशन विभाग द्वारा हिन्दी, उर्दू और अंग्रेजी में प्रकाशित पुस्तकें तथा प्रकाशनों का उपयुक्त समाचारपत्रों और पत्रिकाओं में वर्तमान में विज्ञापन दिया जाता है। हिन्दी और उर्दू के प्रकाशनों का-विज्ञापन लगभग उसी सीमा में किया जाता है जितना अंग्रेजी प्रकाशनों के सम्बन्ध में।

अन्य प्रादेशिक भाषाओं में प्रकाशन मुख्यतः पुस्तिकाओं तथा जनसाधारण की जानकारी के लिये पंचवर्षीय योजना का प्रचार सम्बन्धी साहित्य है। विज्ञापनों के लिये जो राशि निर्धारित की गई है उससे प्रादेशिक भाषाओं के समाचारपत्रों में वाणिज्यिक स्तर पर विज्ञापन की बहुत कम गुंजाइश है।

कटक नगर का रोजगार सम्बन्धी सर्वेक्षण

†*७५३. **श्री संगण्णा** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या गवेषणा कार्यक्रम समिति द्वारा स्वीकृत उड़ीसा की कटक नगरी का सर्वेक्षण पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या परिणाम है; और

(ग) क्या ग्राम्य-नगरीय प्रव्रजन एवं रोजगार के अवसर पर विद्यमान हैं ?

†**योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र)** : (क) से (ग). क्षेत्रीय कार्य पूरा हो गया है तथा आंकड़ों की तालिकायें बनाई जा रही हैं और विश्लेषण किया जा रहा है। अभी परिणाम उपलब्ध नहीं हुये हैं।

बोकारो और तिलैया जल-विद्युत् परियोजनायें

†*७५७. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बोकारो और तिलैया में प्रति यूनिट विद्युत उत्पादन की लागत क्या है; और

(ख) थोक सम्भरण दर क्या निश्चित की गई है ?

†**सिंचाई तथा विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) पूर्ण विकास की अवस्था में बोकारो और तिलैया में उत्पादन लागत क्रमशः ०·४२ और ०·८७ आना प्रति किलोवाट होगी।

(ख) लोक सभा पटल पर विवरणपत्र रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३७]**

नौवहन

†*७५९. **श्री एम० इस्लामुद्दीन** : **क्या उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगले कुछ वर्षों में विशाखपटनम के हिन्दुस्तान शिपयार्ड में बनाये जाने वाले व्यापारी जहाजों के प्रकार के सम्बन्ध में निश्चय करने के लिये भारत सरकार और मुख्य जहाज निर्माताओं के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में क्या निश्चय किया गया ?

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) जी हां। ३१ जनवरी, १९५६ को एक सम्मेलन हुआ था।

(ख) पोत स्वामी जहाजों के प्रमापीकरण के सम्बन्ध में एक मत थे। सम्मेलन ने उन जहाज़ों का प्रमाप निश्चित करने के प्रश्न पर विचार करने के हेतु, जो जहाज़ों के कारखानों में बनाये जाने चाहियें, एक समिति नियुक्त की थी। अब यह निश्चय हो गया है कि जहाज़ों के कारखानों को भारतीय तट के लिये ८,००० टन मृत भार के सामान के जहाज़ का प्रतिमान, प्रकार और विदेशी सागर में व्यापार नौवहन के लिये ९,५०० टन मृत भार का प्रतिमान जहाज़ बनाना चाहिये। समिति यथासंभव शीघ्र ब्योरा तैयार करेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

समाज कल्याण समस्याओं सम्बन्धी प्रविधिक उप-समिति

†*७६१. **श्री संगण्णा** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाज कल्याण समस्याओं सम्बन्धी प्रविधिक उप-समिति ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की स्थिति सुधार के लिये कोई योजना प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां तो वह क्या है; और

(ग) इसे कार्यान्वित करने का कार्यक्रम क्या है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र)** : (क) समाज कल्याण की प्रविधिक उपसमिति का योजनायें प्रस्तुत करना नहीं है वरन् उन गवेषणा सम्बन्धी योजनाओं की जांच करना और उनकी गवेषणा कार्य समिति को सिफारिश करना है, जो विश्वविद्यालय और गवेषणा संस्थायें देती हैं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

सीमेंट गन्धक कारखाना

†४१९. **श्री करणी सिंह जी** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीकानेर डिवीज़न (राजस्थान) में एक सीमेंट गंधक कारखाना स्थापित करने की प्रस्थापना है; और

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य और केन्द्रीय सरकार ने उस प्रस्थापना पर विचार किया है ?

†**वाणिज्यऔरउद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : (क) तथा (ख). राजस्थान सरकार के द्वारा गैर-सरकारी व्यक्तियों की एक योजना मिली है और उस की जांच की जा रही है।

अर्जेन्टीना और बोलिविया को निर्यात

†४२०. **श्री इब्राहीम** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय अर्जेन्टीना और बोलिविया को मुख्यत: क्या वस्तुयें निर्यात की जाती हैं ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : भारत से अर्जेन्टीना और बोलिविया को निर्यात की जाने वाली मुख्य वस्तुयें ये हैं :

अर्जेन्टीना : लाख, गोंद, राल, कच्ची ऊन और पटसन की वस्तुयें।

बोलिविया : पटसन की वस्तुयें।

भारतीय विदेश सेवा के परीक्षाधीन कर्मचारी

†४२१. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विदेश सेवा परिवीक्षार्थियों की संख्या क्या है जिन्हें १९५५ में विदेशों में प्रशिक्षण दिया गया; और

(ख) उन परिवीक्षार्थियों की संख्या क्या है जिन्हें इसी काम में भारत में प्रशिक्षण दिया गया ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) चार।

(ख) पन्द्रह।

---

†मूल अंग्रेजी में

[कैनेडा में भारतीय आप्रवासी

†४२२. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रति वर्ष कितने भारतीयों को कैनेडा में आप्रवासी के रूप में जाने की अनुज्ञा दी जाती है; और

(ख) कैनेडा में ऐसे कुल कितने भारतीय प्रवासी गये जिन्हें १९५५ में वस्तुतः दृश्टांक दिये गये थे ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) २६ जनवरी, १९५१ को भारत और कैनेडा सरकारों के बीच जो करार हुआ था उसके अनुच्छेद (१) के अनुसार प्रति वर्ष १५० भारतीय नागरिक स्थायी, आवास के लिये कैनेडा में प्रविष्ट हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त करार के अनुछेद (२) में यह उपबंध किया गया है कि निर्धारित अभ्यंश के अतिरिक्त भारतीय उद्भव के किसी कैनेडियन नागरिक की पत्नी अथवा पति, और २१ वर्ष से कम आयु का अविवाहित बच्चा यदि वे कैनेडियन आप्रवास अधिनियम के उपबंधों को पूरा करते हों तो स्थायी आवास के लिये प्रविष्ट हो सकते हैं।

(ख) वर्ष १९५५ में १७ आप्रवासी दृष्टांक भारतीय नागरिकों को दिये गये थे। उनमें से १२५ 'अभ्यंश' दृश्टांक और ४१ बिना अभ्यंश वाले दृष्टांक थे।

पर्वतीय भाषाओं में प्रसारण

४२३. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के शिमला स्टेशन से पर्वतीय भाषाओं में भी वार्ताएं और लोकगीत प्रसारित किये जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो १९५५-५६ के दौरान में प्रत्येक पर्वतीय भाषा में अब तक इस प्रकार के कितने कार्य-क्रम प्रसारित किये जा चुके हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) जी हां।

(ख) सूचना, सभा की टेबल पर रखी जाती है। [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३८**]

कलई की चादरें

†४२४. **श्री इब्राहीम** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उपलब्ध जानकारी के अनुसार वर्ष १९५५-५६ में कलई की चादरों का कुल कितना उत्पादन हुआ और कितना उपभोग हुआ ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)**: अनुमान है कि वर्ष १९५५-५६ में ६८,००० टन कलई की चादरों का उत्पादन हुआ और १,००,००० टन का उपभोग हुआ, और कमी आयात द्वारा पूरी की गई।

एकीकृत प्रचार कार्यक्रम

†४२५. **श्री इब्राहीम** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एकीकृत प्रचार कार्यक्रम के अधीन प्रथम पंचवर्षीय योजना में कितनी राशि व्यय की गई; और

(ख) क्या वर्ष १९५५-५६ में विकास योजनाओं और नदी घाटी परियोजनाओं पर वृत्तांत चलचित्र बनाने के लिये कोई राशि व्यय की गई ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) तथा (ख). १९५५-५६ के वित्तीय लेखे बंद करने के समय आंकड़े सभा पटल पर रखे जायेंगे। (ख) के अधीन पृथक आंकडे देना संभव नहीं होगा। एकीकृत पंचवर्षीय योजना प्रचार के लिये चलचित्रों के लिये व्यय की गई राशि के आंकड़े १९५५-५६ के लेखे बन्द करने पर उपलब्ध हो सकेंगे।

मोटर गाड़ियां

†४२६. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री लोक सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें निम्नलिखित बातें दिखाई गई हों :

(क) (१) सरकारी खाते और (२) गैर-सरकारी खाते में, १९५५-५६ में भारत में कुल आयात की गई मोटर गाड़ियां;

(ख) प्रत्येक शीर्ष के अधीन इन आयात की गई गाड़ियों का कुल मूल्य; और

(ग) बाहर के उन देशों के नाम जहां से ये आयात की गईं और प्रत्येक देश से जितनी आयात की गई ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है। [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३९**]

मारीशस में भारतीय

†४२७. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** १९ अप्रैल, १९५५ के पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ८९६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि मारीशस में रहने वाले भारतीयों के व्यवसाय क्या हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : भारत-मारीशियन वे सब व्यवसाय करते हैं जिनका व्यवसायिक कौशल उन्हें प्राप्त होता है। भारत-मारीशियनों के वास्तविक व्यवसायों के सम्बन्ध में कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है परन्तु सूचना अनुसार वे अधिकतर कृषि-श्रमिक, कृषक, मछली पकड़ने वाले, शिल्पकार और कुशल श्रमिक हैं। कुछ छोटे बाग़ान स्वामी हैं और कुछ थोक व्यापार करते हैं। २५१४ भारत-मारीशयन सशस्त्र बल में सैनिक हैं। बहुत थोड़े वृतिक सेवाओं में हैं।

विस्थापित लोगों को प्रतिकर

†४२८. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **पुनर्वास** मंत्री विस्थापित व्यक्तियों की पाकिस्तान में छोड़ी गई कृषि सम्पत्तियों (अर्थात् भूमि, घर, दुकान इत्यादि) के प्रमाणित दावों के लिये अन्तरिम और अन्तिम क्षति पूर्ति योजनाओं के अधीन दी गई राशि के तुलनात्मक आंकड़े दर्शाने वाला एक विवरण लोक सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले)**: माननीय सदस्य ने जो जानकारी मांगी है वह उपलब्ध नहीं। अपेक्षित जानकारी एकत्र करने में जो श्रम और समय लगेगा वह इससे प्राप्त होने वाले फल के बराबर नहीं होगा।

भारतीय उद्योग मेला

†४२९. **श्री के० के० दास** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जो भारतीय उद्योग मेला १९५५ में हुआ था उस में अपने प्रदर्शन-कक्षों के संचालन पर सरकार ने कितना व्यय किया ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : १६·४ लाख रुपये (अनुमित)।

जापानी कब्र आयोग

†**४३०. श्री शिवमूर्ति स्वामी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जापानी कब्र आयोग मनीपुर राज्य में उस स्थान को देखने के लिये आया है जहां कि गत महायुद्ध में मारे गये जापानी सैनिकों को एक जगह गाड़ा गया था; और

(ख) क्या आयोग ने जापान में विधिवत् अन्त्येष्टि क्रिया करने के लिये उन जापानी सैनिकों की हड्डियां एकत्रित की हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) तथा (ख). सरकार ने जापान सरकार को इस बात की आज्ञा दी थी कि वह जापान से एक दल, गत महायुद्ध के दौरान में इम्फाल क्षेत्र में मारे गये जापानी सैनिकों के प्रति शोक प्रकट करने के लिये इम्फाल भेजे। वह दल इम्फाल आया और ४ मार्च, १६५६ को धार्मिक कृत्य करने के पश्चात ६ मार्च को वायुयान द्वारा वापस चला गया।

भारतीय विदेश सेवा

†**४३१. श्री वेलायुधन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि १६५४ और १६५५ में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचि आदिम जाति के कितने व्यक्ति भारतीय विदेशी सेवा में भर्ती किये गये ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : कोई भी नहीं। संघ-लोक-सेवा आयोग द्वारा सिफारिश किये गये नामों की सूची में इन जातियों का कोई विद्यार्थी नहीं था।

सूचनाधिकारी

†**४३२. श्री वेलायुधन** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १६५४ और १६५५ में प्रत्यक्ष रूप से कितने सूचनाधिकारी तथा सहायक सूचनाधिकारी भर्ती किये गये हैं; और

(ख) उनमें से अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के कितने हैं ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) १६५४ में प्रेस सूचना विभाग में सूचनाधिकारी की श्रेणी में सीधे ५ व्यक्ति भर्ती किये गये हैं और १६५५ में ६। सहायक सूचनाधिकारी के स्थान के लिये भर्ती किये गये व्यक्तियों की संख्या क्रमशः १६ और ५ है। यह भर्ती संघ लोक-सेवा-आयोग द्वारा की गई थी। इन दो वर्षों में सूचनाधिकारी के ८ तथा सहायक सूचनाधिकारी के ११ पदों के लिये संघ-लोक-सेवा आयोग से मांग करते समय अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को वरीयता देने के बारे में लिख दिया था।

(ख) कोई नहीं।

इस्पात संभरण

†**४३३. श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १६५५ के पत्री वर्ष में शटर (दरवाजा) बनाने का कारखाना, तुंगभद्रा बांध द्वारा कितना इस्पात मंगाया गया था;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उपरोक्त समय में वास्तव में कितना इस्पात उन्हें दिया गया था; और

(ग) क्या १९५६ के लिये इस्पात के आवंटन को बढ़ाने का विचार है ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : (क) १,८५४ टन ।

(ख) ८५३ टन ।

(ग) जी, नहीं ।

मेले और प्रदर्शनियां

†४३४. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना (प्रति वर्ष) के दौरान में विदेशों में ऐसे कितने मेले तथा प्रदर्शनियां हुईं जिनमें भारत ने भाग लिया;

(ख) इन मेलों में कौन-कौन सी भारतीय वस्तुयें लोक-प्रिय हुईं;

(ग) क्या ये लोकप्रिय वस्तुयें विदेशों में हमारे दूतावासों के प्रदर्शन कक्षों में रखी गई हैं;

(घ) यदि हां, तो कहां; और

(ङ) क्या किसी विदेशी अभिकरणों को भी यह कार्य दिया गया है ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णामाचारी)** : एक विवरण संलग्न है । **[देखिए परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४०]**

भारत सेवक समाज

†४३५. **श्री हेमराज** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५ में भारत सेवक समाज के द्वारा प्रत्येक राज्य में स्थानीय सुधारों पर कुल कितना धन व्यय किया गया था;

(ख) कितनी तथा किस प्रकार की योजनाओं पर व्यय किया गया; और

(ग) इस संस्था के द्वारा १९५६-५७ में कितना धन व्यय करने का विचार है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र)** : (क) और (ख). एक विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है । **[देखिए परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४१]**

(ग) इस प्रश्न पर तो अभी विचार करना है ।

भारत सेवक समाज

†४३६. **श्री एच० जी० वैष्णव** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सेवक समाज के द्वारा १९५४ और १९५५ में स्थानीय सुधार कार्यों पर हैदराबाद राज्य में कुल कितना व्यय किया गया है; और

(ख) इन वर्षों में इस राज्य में कुल कितनी योजनायें चालू की गईं ?

†**योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र)** : (क) जहां तक कि केन्द्र द्वारा स्वीकृत स्थानीय कार्यों का सम्बन्ध है उत्तर नकारात्मक है ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अन्तर्राष्ट्रीय पारपत्र

†४३७. **सरदार इकबाल सिंह :**
श्री आर० के० गुप्त :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५ तथा १९५६ में अब तक कितने व्यक्तियों ने अन्तर्राष्ट्रीय पारपत्रों के लिये प्रार्थना-पत्र दिये हैं; और

(ख) कितने व्यक्तियों को पारपत्र दिये गये हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) और (ख). जिस दौरान में राज्य सरकारें पारपत्र दिया करती थीं उसकी हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। किन्तु जब से क्षेत्रीय पारपत्र कार्यालय केन्द्र के अन्तर्गत खोले गये हैं तब से स्थिति निम्न प्रकार है :–

२८–१०–५४ से (जबकि प्रथम क्षेत्रीय कार्यालय खोला गया था) ३१–१२–५५ तक

पारपत्र के लिये प्राप्त कुल प्रार्थनापत्रों की संख्या	४५,५९२
दिये गये पारपत्रों की कुल संख्या	३३,७८३

१-१-५६ से ३१-१-५६ तक

पारपत्र के लिये प्राप्त कुल प्रार्थनापत्रों की संख्या	२,७०३
दिये गये पारपत्रों की कुल संख्या	२,६२६

निष्क्रमणार्थियों के मकान

†४३८. **डा० सत्यवादी** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली राज्य में अब तक आवास योग्य कुल कितनी निष्क्राम्य सम्पत्ति नीलाम की गई अथवा अन्य प्रकार से बेची गई है; और

(ख) इन सम्पत्तियों का अनुमानतः कितना मूल्यांकन हुआ और वास्तव में कितना मूल्य मिला ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले)** : (क) २९ फरवरी, १९५६ तक दिल्ली में बेची गई निष्क्राम्य सम्पत्ति (आवास योग्य तथा व्यापार योग्य) की कुल संख्या १२३० है।

(ख) सम्पत्ति का अनुमानित मूल्यांकन ३,१०,२८,१५५ रुपये है। और वे ३,८८,६३,३९५ रुपये में बेची गई हैं।

प्रत्यर्पण संधियां

†४३९. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि उन राज्यों के क्या नाम हैं जिनसे भारत की प्रत्यर्पण संधियां हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : स्वतन्त्रता से पूर्व भारत की ओर से विदेशी राष्ट्रों से ब्रिटिश सरकार द्वारा की गई प्रत्यर्पण संधियों की सूची जो अभी भी लागू हैं, लोक-सभा के पटल पर रखी जाती है। [**देखिए परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४२**]

स्वतन्त्रता के पश्चात् भारत और नैपाल के बीच २ अक्तूबर, १९५३ को प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर हुये थे और २ नवम्बर, १९५३ से यह लागू हुई थी।

उत्तर प्रदेश और बम्बई के लिए राष्ट्रीय विस्तार खंड

†४४०. **श्री जी० एल० चौधरी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश और बम्बई के लिये कितने राष्ट्रीय विकास खंड नियत किये गये हैं जो १ अप्रैल, १९५६ से चालू होंगे ?

†**योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र)** :

(१) उत्तर प्रदेश ६, (२) बम्बई १८।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

[शुक्रवार, १६ मार्च, १९५६]

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर	६९२–७१२
तारांकित प्रश्न संख्या		
७३५	सभी धातुओं का बोर्ड	६९२–९३
७३६	उत्तर पूर्व सीमान्त अभिकरण	६९३–९४
७३७	कोयला	६९४–९५
७३८	साबुन	६९५–९७
७४०	भेषजीय उद्योग	६९७–९८
७४३	लाओस में भारतीय राजदूतावास	६९८
७४४	विस्थापित ठेकेदारों के दावे	६९८–९९
७४९	अहमदाबाद में कोयले की कमी	६९९–७००
७५४	पुराना किला शरणार्थी शिविर	७००–०१
७५५	भारत संभरण मिशन, वाशिंगटन	७०१
७५६	पश्चिमी बंगाल के पटसन-उत्पादक	७०१–०३
७५८	ताज-नमूना उद्योग	७०३
७६०	राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों का सामुदायिक विकास खंडों में परिवर्तन	७०४–०६
७६२	अखिल भारतीय हस्तशिल्प सप्ताह	७०६–०७
७६३	राष्ट्रीय उपकरण कारखाना	७०७–०८
७६४	रेडियो सप्ताह	७०८–१०
७३९	कम आय वाले लोगों के लिये गृह निर्माण योजना	७१०–११
७४६	नार्वे सरकार का प्रधान मंत्री को निमंत्रण ...	७११
७५१	मशीन बनाने वाला कारखाना	७११–१२
७५२	विशेष प्रचार कार्यक्रम	७१२
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	७१२–२१
तारांकित प्रश्न संख्या		
७४१	मशीनों के पुर्ज़ों का निर्माण	७१२–१३
७४२	साबुन उद्योग	७१३
७४५	रेशम	७१३
७४७	दक्षिण पटेल नगर	७१३–१४
७४८	निवेली लिगनाइट परियोजना	७१४
७५०	सरकारी विज्ञापन	७१४–१५
७५३	कटक नगर का रोज़गार सम्बन्धी सर्वेक्षण	७१५

विषय — पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर (क्रमश:)

तारांकित
प्रश्न संख्या

७५७	बोकारो और तिलैया जल-विद्युत् परियोजनायें	७१५
७५९	नौवहन	७१५
७६१	समाजकल्याण समस्याओं सम्बन्धी प्रविधिक उप-समिति ...	७१६

अतारांकित
प्रश्न संख्या

४१९	सीमेंट गंधक कारखाना	७१६
४२०	अर्जेन्टीना और बोलिविया को निर्यात	७१६
४२१	भारतीय विदेश सेवा के परीक्षाधीन कर्मचारी	७१६
४२२	कैनेडा में भारतीय आप्रवासी	७१७
४२३	पर्वतीय भाषाओं में प्रसारण	७१७
४२४	कलई की चादरें	७१७
४२५	एकीकृत प्रचार कार्यक्रम	७१७–१८
४२६	मोटर गाड़ियां	७१८
४२७	मारीशस में भारतीय	७१८
४२८	विस्थापित लोगों को प्रतिकर	७१८
४२९	भारतीय उद्योग मेला	७१८–१९
४३०	जापानी कब्र आयोग	७१९
४३१	भारतीय विदेश सेवा	७१९
४३२	सूचनाधिकारी	७१९
४३३	इस्पात संभरण	७१९–२०
४३४	मेले और प्रदर्शिनियां	७२०
४३५	भारत सेवक समाज	७२०
४३६	भारत सेवक समाज	७२०
४३७	अन्तर्राष्ट्रीय पारपत्र	७२१
४३८	निष्क्रमणार्थियों के मकान	७२१
४३९	प्रत्यर्पण संधियां	७२१
४४०	उत्तर प्रदेश और बम्बई के लिये राष्ट्रीय विस्तार खण्ड ...	७२१

M21LSD—23-5-57—190—GIPF.

लोक-सभा

शुक्रवार,
१६ मार्च, १९५६

वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

खण्ड २, १९५६

(५ मार्च से २३ मार्च, १९५६)

सत्यमेव जयते

1st Lok Sabha

बारहवां सत्र, १९५६

(खण्ड २ में अंक १६ से अंक ३० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

विषय-सूची

(भाग २--प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

(खण्ड २--५ मार्च से २३ मार्च, १९५६)

पृष्ठ

अंक १६, सोमवार, ५ मार्च, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ६८१
विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति ६८१
अनुपूरक अनुदानों की मांगें--रेलवे १९५५-५६ ६८२
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें, रेलवे, १९५०-५१ ६८२
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें रेलवे, १९५१-५२ ६८२
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें रेलवे, १९५२-५३ ६८२
रेलवे आय-व्ययक--सामान्य चर्चा ६८२-७२१

दैनिक संक्षेपिका ७२२

अंक १७, मंगलवार, ६ मार्च, १९५६

आय-व्ययक सम्बन्धी प्रस्तावों का भेद खुल जाने के बारे में प्रक्रिया का प्रश्न ७२३-३२
समिति के लिये निर्वाचन--भारतीय केन्द्रीय पटसन समिति ७३२
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--
ब्रिटिश बैंक दर में परिवर्तन ७३२-३३
रेलवे आय-व्ययक सामान्य चर्चा ७३३-७६

दैनिक संक्षेपिका ७७७

अंक १८, बुधवार, ७ मार्च, १९५६

विशेषाधिकार का प्रश्न--
सत्र-काल में सदस्य के बन्दीकरण का वारंट ७७९
सभा का कार्य ... ७८४
रेलवे आय-व्ययक सामान्य चर्चा ७८५-८१८
अनुदानों की मांगें--रेलवे ८१८-३८
मांग संख्या १--रेलवे बोर्ड ८१९-३८
मांग संख्या २--विविध व्यय ८१९-३९
मांग संख्या ३--चालू लाइनें आदि के लिये भुगतान ८१९-३८
मांग संख्या १४--चालू लाइनों पर काम--(राजस्व)--श्रम कल्याण के अतिरिक्त ८१९-३८
मांग संख्या १५--नये रेल-पथों का निर्माण--पूंजी और अवक्षयण रक्षित निधि ८१९-३८

दैनिक संक्षेपिका ... ८३९

पृष्ठ

अंक १६, गुरूवार, ८ मार्च, १६५६

अध्यक्ष का निर्वाचन ... ८४१–४७
तारांकित प्रश्नों के उत्तर की शुद्धि ८४७–४८
सभा का कार्य ... ८४८
अनुदानों की मांगें––रेलवे ८४८–७४
मांग संख्या १––रेलवे बोर्ड ८४८–७४
मांग संख्या २––विविध व्यय ... ८४८–७४
मांग संख्या ३––चालू लाइनें, आदि के लिये भुगतान ... ८४८–७४
मांग संख्या १४––चालू लाइनों पर काम ––(राजस्व)–– श्रम कल्याण के अतिरिक्त ८४८–७४
मांग संख्या १५––नये रेल-पथों का निर्माण–– पूंजी और अवक्षयण रक्षित निधि ... ८४८–७४
मांग संख्या ४––साधारण कार्यवहन व्यय––प्रशासन ८७४–६३
मांग संख्या ५––साधारण कार्यवहन व्यय––मरम्मत तथा संधारण ८७४–६३
दैनिक संक्षेपिका ८६४

अंक २०, शुक्रवार, ६ मार्च, १६५६

आय-व्ययक सम्बन्धी प्रस्तावों का भेद खुल जाने के बारे में वक्तव्य ८६५
अनुदानों की मांगें––रेलवे ... ८६५–६२४
मांग संख्या ४––साधारण कार्यवहन व्यय-प्रशासन ८६५–६१०
मांग संख्या ५––साधारण कार्यवहन व्यय–मरम्मत तथा संधारण ८६५–६१०
मांग संख्या ६––साधारण कार्यवहन व्यय–संचालक कर्मचारी ६११–२४
मांग संख्या ७––साधारण कार्यवहन व्यय––संचालन (ईंधन) ... ६११–२४
मांग संख्या ८––साधारण कार्यवहन व्यय––कर्मचारियों तथा ईंधन के अतिरिक्त संचालन ६११–२४
मांग संख्या ६––साधारण कार्यवहन व्यय–विविध व्यय ६११–२४
मांग संख्या १०––साधारण कार्यवहन व्यय–श्रम कल्याण ६११–२४
राष्ट्रीय विकास (जनता द्वारा भाग लिया जाना) विधेयक ६२४
राष्ट्रीय पर्व और त्यौहार पर सवेतन छुट्टी विधेयक ६२४
श्री काशी-विश्वनाथ मन्दिर विधेयक विचार करने का प्रस्ताव ... ६२४–३५
भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक (धारा ७१-क आदि का हटाया जाना) विचार करने का प्रस्ताव ... ६३५–४३
कारखाना (संशोधन) विधेयक (धारा ५६ के स्थान पर नई धारा का रखा जाना) विचार करने का प्रस्ताव ... ६४३–४५
दैनिक संक्षपिका ६४६

पृष्ठ

अंक २१, सोमवार, १२ मार्च, १९५६

विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति ... ९४७
लेखानुदानों की मांगें ९४७–५१
आय-व्ययक प्रस्थापनाओं का भेद खुल जाने के बारे में वक्तव्य ९५१–५५
विनियोग (लेखानुदान) विधेयक ९५५
अनुदानों की मांगें––रेलवे ९५५–७३
मांग संख्या ६––सामान्य कार्यवहन व्यय––संचालन कर्मचारी ९५५–६८
मांग संख्या ७––सामान्य कार्यवहन व्यय––संचालन (ईंधन) ... ९५५–६८
मांग संख्या ८––सामान्य कार्यवहन व्यय––कर्मचारियों तथा ईंधन के अतिरिक्त संचालन व्यय ९५५–६८
मांग संख्या ९––सामान्य कार्यवहन व्यय––विविध व्यय ... ९५५–६८
मांग संख्या १०––सामान्य कार्यवहन व्यय––श्रम कल्याण ९५५–६८
मांग संख्या ११––अवक्षयण रक्षित निधि के लिये विनियोग ९६८–७२
मांग संख्या १२––साधारण राजस्व में देय लाभांश ९६८–७२
मांग संख्या १३––चालू लाइनों पर काम––(राजस्व)––श्रम कल्याण... ९६८–७२
मांग संख्या १६––चालू लाइनों पर काम विस्तार ९६८–७३
मांग संख्या १७––चालू लाइनों पर काम प्रतिस्थापन ९६८–७३
मांग संख्या १८––चालू लाइनों पर काम––विकास निधि ... ९६८–७३
मांग संख्या १९––विशाखापटनम् पत्तन पर पूंजी व्यय ९६८–७३
मांग संख्या २०––विकास निधि के लिये विनियोग ९६८–७३
विनियोग (रेलवे) विधेयक ९७३
१९५५–५६ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेलवे) और १९५०–५१, १९५१–५२ और १९५२–५३ के लिये अतिरिक्त अनुदानों की मांगें––रेलवे ... ९७३–९२
विनियोग (रेलवे) संख्या २ विधेयक ९९२
विनियोग (रेलवे) संख्या ३ विधेयक ... ९९२–९३
विनियोग (रेलवे) संख्या ४ विधेयक ९९३
विनियोग (रेलवे) संख्या ५ विधेयक ९९३
प्रतिलिप्याधिकार विधेयक––
संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव ... ९९३–९५
पीलिया जांच-समिति के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में चर्चा ९९५–१००१
दैनिक संक्षेपिका १००२–०३

अंक २२, मंगलवार, १३ मार्च, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १००५
राज्य-सभा से संदेश १००५
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना––
मनीपुर खाद्यान्न (यातायात) नियंत्रण आदेश, १९५१ के अमान्यीकरण से उत्पन्न हुई स्थिति १००६
विनियोग (लेखानुदान) विधेयक ... १००६

पृष्ठ

विनियोग (रेलवे) विधेयक ... १००६
विनियोग (रेलवे) संख्या ३ विधेयक १००७
विनियोग (रेलवे) संख्या ४ विधेयक १००७
विनियोग (रेलवे) संख्या ५ विधेयक १००७–०८
सामान्य आय-व्ययक––सामान्य चर्चा ... १००८–५१
पीलिया जांच समिति के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में चर्चा १०५१–६१
दैनिक संक्षेपिका १०६२–६३

अंक २३, बुधवार, १४ मार्च, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १०६५
राज्य-सभा से संदेश १०६६
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति––
छयालीसवां प्रतिवेदन ... १०६६
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय पर ध्यान दिलाना––
पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए शरणार्थियों का त्रिपुरा में पुनर्वास १०६६–६७
विनियोग (रेलवे) संख्या २ विधेयक ... १०६७
सामान्य आय-व्ययक––सामान्य चर्चा ... १०६७–१११
दैनिक संक्षेपिका ... १११२

अंक २४, गुरुवार, १५ मार्च, १९५६

स्थगन प्रस्ताव––
जनसंघ के कार्यकर्त्ता को जम्मू जाने से मना करना १११३–१४
राज्य-सभा से संदेश १११४
भारतीय पंजीयन (संशोधन) विधेयक (धारा २ आदि का संशोधन) १११५
मनीपुर राज्य पहाड़ी लोग (प्रशासन) विनियमन (संशोधन)
विधेयक का वापस लिया जाना ... १११५
सामान्य आय-व्ययक––सामान्य चर्चा ... १११६–६३
दैनिक संक्षेपिका ... ११६४

अंक २५, शुक्रवार, १६ मार्च, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ... ११६५
राज्य-सभा से संदेश ११६५–६६, ११९८
प्राक्कलन समिति––तेईसवां प्रतिवेदन ... ११६६
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति––
तेरहवां प्रतिवेदन ११६६
याचिका समिति––
आठवां प्रतिवेदन ११६६
सामान्य आय-व्ययक––सामान्य चर्चा ११६७–९७
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति––
छियालीसवां प्रतिवेदन ११९८
मद्य-निषेध के लिये अन्तिम तारीख नियत करने के बारे में संकल्प ११९८–१२०५, १२०६–१३
सभा-पटल पर रखे गये पत्र के बारे में औचित्य प्रश्न १२०६
दैनिक संक्षेपिका ... १२१४–१५

ग्रंक २६, सोमवार, १९ मार्च, १९५६ पृष्ठ

आय-व्ययक सम्बन्धी प्रस्तावों का भेद खुल जाना १२१७–१८
विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति ... १२१८
राज्य-सभा से सन्देश १२१८
प्राक्कलन समिति—
बाईसवां प्रतिवेदन ... १२१८
अनुपस्थिति की अनुमति १२१९
जीवन-बीमा निगम विधेयक—
प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव १२१९–७०
दैनिक संक्षेपिका ... १२७१–७२

ग्रंक २७, मंगलवार, २० मार्च, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—
हुसैनीवाला हेडवर्क्स पर भारतीय तथा पाकिस्तानी सैनिक टुकड़ियों में मुठभेड़ १२७३
उपाध्यक्ष का निर्वाचन ... १२७४–७६
विदेशी मामलों के सम्बन्ध में वक्तव्य १२७६–८२
सभा-पटल पर रखा गया पत्र १२८२
जीवन-बीमा निगम विधेयक १२८२
प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव १२८२–१३१०
आय-व्ययक सम्बन्धी प्रस्तावों का भेद खुल जाना १३११–३१
दैनिक संक्षेपिका ... १३३२

ग्रंक २८, बुधवार, २१ मार्च, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ... १३३३
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
सैंतालीसवां प्रतिवेदन ... १३३३
अनुदानों की मांगें— ... १३३४–९७
मांग संख्या ११—प्रतिरक्षा मंत्रालय ... १३३४–९७
मांग संख्या १२—प्रतिरक्षा सेवायें,—क्रियाकारी-सेना ... १३३४–९७
मांग संख्या १३—प्रतिरक्षा सेवायें,—क्रियाकारी-नौ-सेना १३३४–९७
मांग संख्या १४—प्रतिरक्षा सेवायें—क्रियाकारी—वायु बल १३३४–९७
मांग संख्या १५—प्रतिरक्षा सेवायें—अक्रियाकारी व्यय १३३४–९७
मांग संख्या १६—प्रतिरक्षा मंत्रालय के अधीन विविध व्यय १३३४–९७
मांग संख्या ११७—प्रतिरक्षा पर पूंजी व्यय ... १३३४–९७
दैनिक संक्षेपिका ... १३९८

ग्रंक २९, गुरुवार, २२ मार्च, १९५६

प्रश्नों की ग्राह्यता के बारे में घोषणा १३९९
सभा का कार्य १३९९–१४००
अनुदानों की मांगें १४००–९२
मांग संख्या ५—संचार मंत्रालय १४००–९२
मांग संख्या ६—भारतीय डाक तथा तार विभाग (कार्यवहन व्यय सहित) १४००–९२

	पृष्ठ
मांग संख्या ७—अन्तरिक्ष विज्ञान	१४००–६२
मांग संख्या ८—समुद्र पार संचार सेवा ...	१४००–६२
मांग संख्या ९—उड्डयन	१४००–६२
मांग संख्या १०—संचार मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	१४००–६२
मांग संख्या ११४—भारतीय डाक तथा तार पर पूंजी व्यय (राजस्व से न देय) ...	१४००–६२
मांग संख्या ११५—असैनिक उड्डयन पर पूंजी व्यय	१४००–६२
मांग संख्या ११६—संचार मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय	१४००–६२
सभापति-तालिका के लिये नामनिर्देशन ...	१४६२
दैनिक संक्षेपिका ...	१४६३

अंक ३०, शुक्रवार, २३ मार्च, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—

त्रावनकोर-कोचीन में मंत्रिमंडल की रचना	१४६५–६६
अनुदानों की मांगें ...	१४६६–९९
मांग संख्या ९५—परिवहन मंत्रालय ...	१४६६–९९
मांग संख्या ९६—पत्तन तथा पोतमार्ग-प्रदर्शन	१४६६–९९
मांग संख्या ९७—प्रकाश स्तम्भ तथा प्रकाशपोत	१४६६–९९
मांग संख्या ९८—केन्द्रीय मार्ग निधि ...	१४६६–९९
मांग संख्या ९९—संचार (राष्ट्रीय राजपथों सहित) ...	१४६६–९९
मांग संख्या १००—परिवहन मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय ...	१४६६–९९
मांग संख्या १४०—पत्तनों पर पूंजी व्यय	१४६६–९९
मांग संख्या १४१—सड़कों पर पूंजी व्यय ...	१४६६–९९
मांग संख्या १४२—परिवहन मंत्रालय पर अन्य पूंजी व्यय	१४६६–९९
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति— सैंतालीसवां प्रतिवेदन	१५००
सभा का कार्य ...	१५००
गोद लेने की प्रथा की समाप्ति विधेयक ...	१५००
बाल-विवाह रोक (संशोधन) विधेयक (धारा २ का संशोधन)	१५०१
समान पारिश्रमिक विधेयक ...	१५०१
दण्ड विधि संशोधन विधेयक	१५०१
भारतीय पंजीयन (संशोधन) विधेयक— (धारा २, आदि का संशोधन)	१५०१
राज्य-सभा द्वारा किये गये संशोधन ...	१५०२
कारखाना (संशोधन) विधेयक—विचार करने का प्रस्ताव ...	१५०३
विधान मंडलों की कार्यवाही (प्रकाशन का संरक्षण) विधेयक ...	१५०५–१५
विचार करने का प्रस्ताव ...	१५०५
दैनिक संक्षेपिका	१५१६

M102LSD—190—21-3-58—GIPF

लोक-सभा

शुक्रवार, १६ मार्च, १९५६

लोक-सभा साढ़े दस बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

११-३० म० पू०

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

आश्वासनों आदि पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के विवरण

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : विविध सत्रों में, जैसा प्रत्येक के सामने दिखाया गया है, मंत्रियों द्वारा दिये गये विविध आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के निम्न विवरण पटल पर रखता हूं :

१. अनुपूरक विवरण संख्या ३ — लोक-सभा का ग्यारहवां सत्र, १९५५

[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४३]

२. अनुपूरक विवरण संख्या ७ — लोक-सभा का दसवां सत्र, १९५५

[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४४]

३. अनुपूरक विवरण संख्या १३ — लोक-सभा का नवां सत्र, १९५५

[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४५]

४. अनुपूरक विवरण संख्या १७ — लोक-सभा का आठवां सत्र, १९५४

[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४६]

†मूल अंग्रेजी में

५. अनुपूरक विवरण संख्या २०	लोक-सभा का सातवां सत्र, १९५४

[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४७]

६. अनुपूरक विवरण संख्या २७	लोक-सभा का छठा सत्र, १९५४

[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४८]

७. अनुपूरक विवरण संख्या ३२	लोक-सभा का पांचवां सत्र, १९५३

[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४९]

८. अनुपूरक विवरण संख्या ४२	लोक-सभा का तीसरा सत्र, १९५३

[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ५०]

राज्य-सभा से सन्देश

†**सचिव** : श्रीमान् मुझे सभा को निम्नलिखित सूचनायें देनी हैं :

(१) २४ फरवरी, १९५६ की अपनी बैठक में लोक-सभा द्वारा पारित नौवहन नियंत्रण (जारी रखना) विधेयक, १९५६ को राज्य-सभा ने बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है ।

(२) २ मार्च, १९५६ की अपनी बैठक में लोक-सभा द्वारा पारित विनियोग विधेयक, १९५६ के बारे में राज्य-सभा को कोई सिफारिश नहीं करनी है ।

प्राक्कलन समिति

तेईसवां प्रतिवेदन

†**श्री बी० जी० महता** (गोहिलवाड़) : अध्यक्ष महोदय, मैं १९५६–५७ के लिये एस्टिमेट समिति की रेलवे बजट सम्बन्धी तेईसवीं रिपोर्ट पेश करता हूं ।

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति

तेरहवां प्रतिवेदन

†**श्री आल्तेकर** (उत्तर सतारा) : मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति का तेरहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

मैं सभा-पटल पर उन सदस्यों के नाम बताने वाली एक सूची भी रखता हूं जो ग्यारहवें सत्र, १९५५ में १५ या उससे अधिक दिनों तक लगातार सभा से अनुपस्थित थे ।

याचिका समिति

आठवां प्रतिवेदन

†**डा० रामा राव** (काकिनाडा) : मैं याचिका समिति का आठवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सामान्य आय-व्ययक---सामान्य चर्चा---जारी

†**अध्यक्ष महोदय** : सामान्य आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा के लिये नियत समय में से अब केवल २ घंटे २० मिनट रह गये हैं। वित्त मंत्री को उत्तर देने में कितना समय लगेगा ?

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह)** : उन्हें उत्तर देने में ७० से ७५ मिनट लगेंगे ।

†**अध्यक्ष महोदय** : हम तीन बजे तक सरकारी कार्य जारी रखेंगे। आय-व्ययक चर्चा के पश्चात् हम कोई सरकारी कार्य नहीं रखना चाहते हैं। अतः वित्त मंत्री १ बजकर पचास मिनट पर उत्तर देना आरम्भ करेंगे और गैर-सरकारी कार्य ३ बजे से आरम्भ होगा ।

†**श्री आर० के० गुप्त** : अपना भाषण जारी रखेंगे ।

†**श्री आर० के० गुप्त** (महेन्द्रगढ़) : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैं कल कह रहा था, सब से बड़ी जरूरत आज यह है कि आमदनियों के अन्दर जो आज बड़ा भारी अन्तर है उसको कम किया जाय । इसके लिये मेरी तजवीज यह है कि जो बड़े-बड़े अफसरों की तनख्वाहें हैं वह कम कर दी जायें । दस, पन्द्रह साल पहले जब हम गांवों में जाया करते थे तो कहा करते थे कि कांग्रेस राज्य की, जनता के राज्य की सब से पहली बरकत यह होगी कि बड़े-बड़े अफसरों की तनख्वाहें भी पांच सौ रुपये से ज्यादा नहीं होंगी। मैं मानता हूं कि आज कल के हालात के मुताबिक पांच सौ रुपये बहुत कम है, लेकिन मेरी राय में दो हजार रुपये से ज्यादा किसी की भी तनख्वाह आज कल नहीं होनी चाहिए ।

इसी तरह से मेरी राय यह है कि फिल्म इन्डस्ट्री को भी नेशनलाइज किया जाय क्योंकि उससे बहुत ज्यादा फायदा होता है और वह इनकम चन्द बहुत बड़े-बड़े आदमियों के ही हाथों में जाती है ।

मेरी यह भी राय है कि पेट्रोल को स्टेट ट्रेडिंग में ले लिया जाय और सीमेन्ट के प्रोडक्शन को नेशनलाइज कर दिया जाय। लेकिन खाली नेशनलाइजेशन से ही काम नहीं चलेगा । सबसे ज्यादा जरुरत इस बात की है कि इस नेशनलाइज्ड बिजिनेस को कंट्रोल कैसे किया जाय। पिछले दिनों एअरलाइन्स कारपोरेशन बनाया गया और उसको नेशनलाइज किया गया। लेकिन जिस रोज से उसका नेशनलाइजेशन हुआ है, उसमें बराबर घाटा ही घाटा होता जा रहा है । इसलिये अगर इन तमाम नेशनलाइज्ड बिजिनेसों को अच्छी तरह से कंट्रोल नहीं किया गया तो उनमें बहुत फायदा नहीं हो सकता ।

जहां तक स्माल सेविंग्स स्कीम का सम्बन्ध है, वह बहुत अच्छी स्कीम है । कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने भी अमृतसर में इस विषय में एक प्रस्ताव पास करके तमाम देश की रहनुमाई की है । क्या अच्छा हो कि दूसरी पार्टियां भी अपने डिफरेन्सेज को भुला कर कम से कम इस कंस्ट्रक्टिव काम में एक होकर कांग्रेस का साथ दें। अगर यह चीज हो जाये तो हम ५०० करोड़ रुपये नहीं बल्कि इससे ज्यादा रुपया पांच साल के अन्दर इकट्ठा कर सकते हैं ।

जहां तक नये टैक्सेज लगाने का सवाल है, मेरी राय यह है कि नये टैक्स लगाते वक्त सबसे पहला उसूल यह होना चाहिये कि उससे आमदनी तो ज्यादा से ज्यादा हो लेकिन गरीब लोगों पर उसका भार कम से कम हो । मुझे यह बात कहनी पड़ती है कि जो नये टैक्स इस साल लगाये गये हैं उनमें इस तरफ कम ध्यान दिया गया। उदाहरण के तौर पर डीजल आयल पर जो चार आने फी गैलन का टैक्स लगाया गया है उसका तमाम बोझ हिन्दुस्तान की गरीब किसानों पर पड़ेगा और खास कर उन स्टेट्स के अन्दर तो और भी ज्यादा मुश्किल हो जायेगी जहां पहले से ही चार आने फी गैलन टैक्स लगा हुआ है। इसलिये इस टैक्स को जरूर कम किया जाना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

इसी तरह इन्फीरिअर तम्बाकू पर जो ३६ रु० मन के करीब टैक्स लगा हुआ है वह बहुत ज्यादा है। आज कल बाजार में तम्बाकू का भाव तकरीबन ४४, ४५ रु० फी मन है। ३६ रु० फी मन टैक्स देने के बाद गरीब किसान के पास सिर्फ १० या ११ रु० फी मन बच जायेगा। अगर कोई किसान दस मन तम्बाकू की काश्त साल में करता है तो वह मुश्किल से १०० या १५० रु० पैदा करता सकता है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से अपील करूंगा कि इस टैक्स को भी कम किया जाय।

मैं यह भी देखता हूं कि जितने टैक्स लगाये गये हैं उनसे जितनी आमदनी होनी चाहिये, उतनी नहीं होती। तमाम रकम सरकारी खजानों में नहीं जाती। दरअस्ल होता यह है कि बड़े बड़े सरमायेदार और कारखानेदार इनकम टैक्स अफसरों से मिलकर इसके अन्दर गोलमाल करते हैं। इसलिये इस चीज को कंट्रोल के लिये सब से ज्यादा कोशिश की जरूरत है। लोग टैक्स देने के लिये तैयार हैं अगर उन्हें यह यकीन हो जाय कि हम से जो रुपया लिया जा रहा है वह हमारी भलाई के लिये खर्च होगा। लेकिन होता क्या है ? तमाम रुपया बड़े-बड़े अफसरों की जेबों में चला जाता है और बड़े-बड़े साहूकार और कारखानेदार टैक्स देने से बच जाते हैं। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से अपील करूंगा कि वह कोई ऐसा उपाय करें जिससे तमाम टैक्सेज की आमदनी सरकार के खजाने में आवे। साथ ही साथ जो लोग इस किस्म के काम करते हैं जिनसे सरकार को नुकसान होता है उनको सजायें दी जायें।

जहां तक सेकेन्ड फाइव इअर प्लान का सवाल है उसके बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि उसको कामयाब बनाने के लिये एक फिजिकल प्लैन बनाना चाहिये। मैं मानता हूं कि हमारे पास सरमाये की कमी है लेकिन सरमाया ही सिर्फ जरूरी चीज नहीं है। कौम को मजबूत बनाने के लिये सब से ज्यादा जरूरत हौसले और मेहनत की है। इसलिये अगर कोई फिजिकल प्लैन बनाई जाती तो यह मसला काफी हद तक हल हो सकता था। आज हिन्दुस्तान के अन्दर करीब ३६ करोड़ की आबादी है। अगर कोई प्रोग्राम इस तरह का बनाया जाता कि इस प्लैन को कामयाब बनाने के लिये हर आदमी एक दिन में एक घंटा कंट्रिब्यूट करे तो भी स्कीम को हम अच्छी तरह से कामयाबी के साथ चला सकते हैं। लेकिन इस के लिये प्लैनिंग की जरूरत है। जो हमारी दो सौ साल की पुरानी मैशीनरी है वह इस काम को नहीं चला सकती। इस को चलाने के लिय मेरी राय में सबसे अच्छी चीज यह है कि हर डिस्ट्रिक्ट के अन्दर, हर जिले के अन्दर एक डेवेलपमेंट कमेटी बनाई जाय और जो वहां का एम० पी० हो वह उसका चेयरमैन इन्चार्ज हो। आजकल जितना भी रुपया पब्लिक डिवेलपमेंट के लिये दिया जाता है उसमें से आधे से ज्यादा फिजूल खर्ची में चला जाता है। आपको मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे यहां पैप्सू को सड़कें बनाने के लिये तकरीबन १ करोड़ रुपया दिया गया था। उसमें से आधा रूपया भी खर्च नहीं हुआ। इसका नतीजा यह होता है कि काम पूरा नहीं होता, और जितना रुपया बचा रहता है वह लैप्स हो जाता है। इसलिये मेरी यह राय है कि इस किस्म के कामों को पूरा करने के लिये पब्लिक के जो नुमाइंदे हैं उनको इसके साथ एसोसियेट किया जाय। जब तक आप ऐसा नहीं करते हैं आपका काम अच्छी तरह नहीं चल सकता। इस वास्ते मेरी माननीय वित्त मंत्री जी से प्रार्थना है कि वह पब्लिक के नुमाइंदों को इन कामों के साथ वाबस्ता करें।

आखिरी तजवीज मुझे अपनी कंस्टीट्युएंसी के बारे में करनी है। जिस इलाके से मैं चुनकर आया हूं वह सबसे ज्यादा बैक्वर्ड और निग्लैक्टिड एरिया है। उसके बैक्वर्ड होने का कारण यह है कि सन् १८५७ के गदर में मेरी कंस्टीट्युएंसी के लोगों ने नवाब छज्जर के मातहत आजादी की पहली लड़ाई लड़ी थी और उसमें एक नुमायां हिस्सा लिया था। नवाब को गिरफ्तार कर लिया गया और दिल्ली के चांदनी चौक बाजार में उसको फांसी दे दी गई। उसके बाद हमारी रियासत जो काफी बड़ी रियासत थी, उसको पांच छः हिस्सों में बांट दिया गया और जिन राजाओं ने अंग्रेजों की मदद की थी, उनको दे दिया गया। यही वजह है कि उस इलाके की हालत सबसे अधिक खराब है। मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूं कि वहां पर मिनरल रिसोर्सस की कमी नहीं, वहां पर मिनरल्ज़ बहुत ज्यादा तादाद में और अच्छी

[श्री आर० के० गुप्त]

किस्म की पाई जाती हैं। इसलिये मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करना चाहता हूं कि उन लोगों की हालत सुधारने के लिये उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊंचा उठाने के लिये उस इलाके को इंडस्ट्रियलाइज किया जाय। मैं आपको चन्द इंडस्ट्रीज जो वहां पर कायम की जा सकती हैं, बतलाना चाहता हूं। वहां पर आयरन ओर काफी मात्रा में मिलता है और आज से डेढ़ सौ साल पहले मिस्टर ज़ाज़ थे जो एक ज्योलोजिस्ट थे, उन्होंने इस इलाके का सर्वे किया था और बताया था कि उस इलाके में तकरीबन १५ करोड़ ५० लाख टन आयरन और मौजूद है और उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। ८८ से लेकर ९० फीसदी तक उसमें प्योर आयरन पाया जाता है जब कि हिन्दुस्तान के अन्दर कहीं भी ऐसा आयरन और नहीं पाया जाता जिसमें इतनी अधिक मात्रा में प्योर आयरन मिलता हो। इसके साथ ही साथ वहां सैंड ग्लास की कमी नहीं, चूने का पत्थर, स्लेट का पत्थर और मार्बल की भी वहां पर कोई कमी नहीं है। इसलिये मैं यह तजवीज करता हूं कि वहां पर एक अच्छा सा आयरन प्लांट लगाने की कोशिश की जाय। लेबर भी वहां बहुत चीप है। अगर वहां पर कोई इस किस्म का कारखाना स्थापित किया गया तो यह अपनी किस्म का नारदर्न इंडिया में पहला होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि यह कारखाना कामयाब होगा।

इतना कह कर आखिर में मैं माननीय मंत्री जी से अपील करूंगा कि इस जिले की हालत को सुधारने के लिये, जिसको कि पिछले सौ डेढ़ सौ सालों से एक्स्पलायट किया गया है, जरूर कोशिश की जाय ताकि वहां के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊंचा हो।

डा० एस० एन० सिंह (सारन पूर्व) : अध्यक्ष महोदय, आज जब मैं घर से चला तो मैं अपना बस्ता पोथा सब कुछ घर पर ही छोड़ आया यह सोचकर कि शायद ही बजट सम्बन्धी जपमंत्र में मुझे बोलने का अवसर प्राप्त हो। खैर जैसे ही मैंने हवाई गाड़ी वहां से छोड़ी एक गीत मुझे सुनाई दिया "चिन्तामन की गति न्यारी" इसके आगे का जो पद है वह अगर आप मुझे क्षमा करें तो मैं वह भी दोहरा दूं। वह यह है—"मूर्ख राजा राज करत है पंडित फिरत भिखारी।" पहले तो मुझे उस पर जो यह गीत गा रहा था बड़ा गुस्सा आया कि वह इस तरह से इस बजट पर टीका-टिप्पणी करता जा रहा है। राज भक्त होने के नाते मैं बहुत बिगड़ा भी। मैंने यह भी सोचा कि उसका गला पकड़ कर दबा दूं। पर फिर मैंने सोचा कि जाकर देखा जाय कि यह है कौन और क्यों ऐसी बातें कह रहा है। जब मैं उसके पास गया तो मैंने देखा कि वह तो हमारे निर्वाचन क्षेत्र का आदमी है जिसका नाम मौजू राम है। वह १३ दरिया पार करके आया हुआ है इस दिल्ली नगरी को देखने के लिये। जब मैंने उससे बात की तो उसने मुझे कहा कि देखो आज तक तो बजट को आप दूसरी दृष्टि से देखते आये थे लेकिन इसको उस दृष्टि से न देखकर एक और दृष्टि से देखना चाहिये। मैंने कहा कि बताओ भाई कि वह दृष्टिकोण क्या है। उसने कहा—"देखो। कांग्रेसी प्रसाद ! तुम्हारा सिर है सिर्फ गांधी टोपी रखने के लिये बुद्धि रखने के लिये नहीं।"

बाबू राम नारायण सिंह (हजारीबाग-पश्चिम) : वाह, वाह।

[सरदार हुक्म सिंह पीठासीन हुए]

डा० एस० एन० सिंह : उन्होंने कहा कि "तुम समझते हो कि तुम इस बजट के मुताल्लिक जानते है। भला बताओ तो यह बजट किस की औलाद है ?" मैंने कहा कि भाई यह तो मुझे मालूम नहीं। उन्होंने कहा—"मैं तुम्हें बताता हूं। ये बजट मुंशी फोकट लाल और जनाब भोपट अली की औलाद है।" मैंने कहा—"भाई यह तो बताओ कि यह दोनों कौन हैं कहां रहते हैं ?" उन्होंने कहा—"नार्थ ब्लाक और साउथ ब्लाक। दोनों पर उनका कब्जा है। अंग्रेज जब यहां से गये तो अपना राज पाट उन्हीं के हाथों में सौंप गये और जब ईस्ट इंडिया कम्पनी यहां से गई तो उसने भी लोगों से कर लेने का जो हक था वह भी उनके हाथों में सौंप दिया। ईस्ट-इंडिया कम्पनी वाले कई सौ प्रतिशत लोगों से कर लेते थे। आज के उनके वारिसों का ५० प्रतिशत तक नजराना शुरू में ही लेना तो वाजिब है। उस

के बाद जो रकम स्टेट को आती है उसका ६३ प्रतिशत तो उन्हें सिविल हेड के नाम से मिलना चाहिये। जितने सिविलियंज है उनके वेलफेयर की बात इसमें रहती है। उन्होंने ६३ प्रतिशत क्यों रखा इसका कुछ पता नहीं। हो सकता है कि शायद उनकी ६३ बरस की उम्र हो।

मौजी राम जब यह कह रहे थे तो मैंने कहा कि भाई यह तो तुम बहुत अजीब सी बात बताते हो। उन्होंने कहा—"नहीं, इसमें अजीब कुछ भी नहीं है। तुम यह जानते हो कि यह जो वर्ग है किरानियों का यह अंग्रेजों के बहुत से नये पनपाये हुये वर्गों में से एक है और आज वर्ग युद्ध जो चल रहा है वह इसके खिलाफ चल रहा है।" उन्होंने कहा कि हम लोग आप कांग्रेसियों के खिलाफ नहीं हैं हम तो किरानियों के खिलाफ है। इसकी वजह यह है कि उनको एक वरदान मिला हुआ है : मूकं करोति वाचालं। हमेशा यह कागज से काम लेते हैं। सब कुछ कागजी होता है। यह बजट जो तैयार किया गया यह भी कागजी है। कई करोड़ का खर्चा दिखाया जाता है। इसके कई विभाग हैं। और अब मैं तुम्हें कुछ विभागों में ले चलता हूं। वहां चल कर देखो कि क्या हो रहा है। मैंने कहा अच्छी बात है, चलो। मैंने गाड़ी घुमाई लेकिन उन्होंने कहा कि दूर जाने की जरूरत नहीं है, यहां से ही देखो, विद्या देवी वहां पर है वहां जो हजरत किरानी बैठे हुए हैं उनको आजकल सब से बड़ा गुस्सा इस बात का है कि ये हिन्दीवाले नागरी अंकों का व्यवहार कर सख्त हिमाकत करते हैं। इतने झगड़े के ऊपर ही ये किरानी इतना कागज खर्च कर रहे हैं कि कागजी की शायद कमी अनुभव की जा रही है। वह तो इस कमी को देखते हुये किताबों की छपाई को भी बन्द करना चाहते हैं। जब उनको कागज न मिलेगा तो शायद वे रेल के डिब्बों पर लिखेंगे, स्टेशनों के बोर्ड भी वह प्रयोग में लायेंगे। यह सब कुछ जब हो चुकेगा तो उनका खयाल है कि शायद विद्या देवी की ललाट के ऊपर वह लिखकर रखेंगे, यह रोमन अंक है। उन बातों को सुनकर विद्या देवी अचेत हो गई हैं। उन्होंने कहा, छोड़ो इस विभाग को, अब चलो देश विदेश के विभाग को देखो।

"देखो ! इस विभाग की एक बड़ी तारीफ यह है कि इस विभाग में जो लोग हैं वे किरानियों के वर्ग में से चुने हुये हैं और इस वर्ग में जो वीरवान लोग हैं वे ही इसमें हिस्सा लेते हैं उन्हें बुद्धि का अजीर्ण रहना और इतिहास के अध्ययन की अपच रहना स्वाभाविक है। यह जो अजीर्णता है वह शायद उनकी बुद्धि की प्रखरता की निशानी समझी जाती है। इनमें से ही विदेशों में लोग हमारे देश का प्रतिनिधित्व करने के लिये भेजे जाते हैं। एक ने अपने मुल्क में खत भेजा और लिखा कि मैं जिस साढ़े तीन टांग और दो हाईड्रोजन की कुर्सी पर बैठा हूं वहां से ही सब फरमान निकालता हूं। यह कोई बड़ी बात नहीं है। इसे कोई भी कर सकता है। एक बार उनकी मुलाकात हुई एक बहुत बड़े संस्कृत ज्ञाता के साथ। उस संस्कृत ज्ञाता ने कहा कि आपका देश बड़ी उन्नति कर रहा है, और यह जो अशोक का काल हुआ है वह सारे इतिहास से ऐसा काल हुआ है कि मानव कल्याण का उससे बढ़िया और कोई काल नहीं हुआ। जो हमारे वीरवान् थे उन्होंने कहा कि आपको मालूम रहे कि अशोक की तबदीली हो गयी है। वह तो पैरिस से दिल्ली चला गया है। बताइये कि इन से कौन बाजी ले जा सकता है ? क्या अक्ल है और क्या इतिहास का ज्ञान है ? शायद उन्होंने यह ज्ञान आक्सफोर्ड या केम्ब्रिज में सीखा होगा।

एक माननीय सदस्य : वह कौन हैं ?

डा० एस० एन० सिंह : वह आपको यूरोप में मिलेंगे। लेकिन आप उनको जानते हैं यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। इस तरह के वीरवान् चुने गये हैं और इस तरह से वे अपना काम चला रहे हैं। लेकिन हम उनकी व्याख्या नहीं करते।

हमारे मौजी राम ने कहा कि भाई यह बातें तो हमने तुमको दो विभागों की बतला दीं। लेकिन अभी तुमको बहुत काम है। तो फिर मैंने गाड़ी चलायी तो लोक-सभा के दरवाजे पर आया।

सभापति महोदय : क्या माननीय डाक्टर साहब को यह पता है कि १५ मिनट का ही वक्त है ?

डा० लंका सुन्दरम् (विशाखापटनम्) : माननीय सदस्य अब लोक-सभा तक तो पहुंच गये ।

डा० एस० एन० सिंह : जब मैं लोक-सभा के दरवाजे पर पहुंचा तो मैं ने कहा कि भाई आज तो यहां बजट का सवाल है । अभी चेयरमैन साहब ने भी यही बतलाया है । मैंने सोचा कि बजट में किस किस की चर्चा होगी । यहां कपड़े की बात चलेगी, साबुन की बात चलेगी और तीसरी तेल की बात चलेगी । मैंने कहा भाई यहां तो इन तीन चीजों की चर्चा चलेगी । उन्होंने कहा कि भाई यह तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के समय से झगड़ा चला आ रहा है । एक और समय लोक-सभा के सदस्य बैठे थे । उनके सामने सुझाव था कि जितने लोक-सभा के सदस्य दिल्ली आवें वे एक-एक गज की चोटी या दाढ़ी रखें । इस पर सबसे पहले गोपालन साहब ने ऐतराज किया यह कैसे हो सकता है । सोवियट यूनियन की स्थापना हुये ३८ साल हो गये हैं, इसलिये यह ३८ इंच की होनी चाहिये । उसके याद हमारे मेहता साहब ने कहा कि नहीं यह नहीं हो सकता । समाजवादी दल की स्थापना १९३३ में हुई है इसलिये इसको ३३ इंच से एक इंच भी ज्यादा नहीं होना चाहिये । फिर हमारे मोरे साहब अपना प्वाइंट आफ आर्डर लेकर आये और देशपांडे साहब आये और नंदलाल साहब आये । उन्होंने कहा कि अनर्थ हो गया । मैं यह कभी नही होने दूंगा । "सूच्यग्रमपि न दास्यामि" यह वेद वाक्य है और उस पर सेठ गोविन्द दास जी का भाष्य भी हो चुका है और वह कहते हैं कि गौ की पूंछ को नाप लिया जाय और वह अगर, ३५ इंच है तो इससे ज्यादा नहीं हो सकती । उनका कहना है कि इससे बड़ी चोटी और दाढ़ी नहीं रखनी चाहिये । जब यह सब व्याख्यान यहां चल रहे थे तो जो अधिकारी थे उन्होंने सोचा कि अच्छी बात है, किसी मारवाड़ी का घिसा हुआ गज लाओ । यह बात हमारे भगत जी ने सोची कि वह मारवाड़ी का गज साढ़े ३५ इंच का होगा । इससे मामला तै हो जायेगा । तो ठीक है ये बुद्धिमान लोगों की बातें हैं ।

लेकिन जिस वक्त हम लोक-सभा में यह बात तय कर रहे थे उसी वक्त एक बड़े मुल्ला श्री डलेस साहब हमारे यहां पधारे और उन्होंने यह फतवा दिया शुरू किया और अज़ान पढ़ कर कहना शुरू किया "काश्मीर आ, काश्मीर आ, काश्मीर आ मीन और कबालियों को उभाड़ा कि चलो झेलम पर हमला करो । जब यह सब मामला हुआ तो हमारे सुरक्षा विभाग ने कहा "वाह वह हमला कैसे करेंगे :" ३७ परसेंट हमने रख छोड़ा है पहले से । और अगर वे आवेंगे तो क्या हम स्वास्थ्य विभाग से कम हैं । उन्होंने नजफगढ़ के गन्दे पानी के नाले पर यह चिट लगा दी है कि गन्दा पानी न आने पावे । हम भी अमृतसर से आगे यह चिट लगा देंगे कि कबालियो, तुम यहां से आगे कभी नहीं बढ़ने पाओगे । "सीटो" तुम कभी नहीं आगे बढ़ने पाओगे, अगर इधर बढ़ोगे तो तुमको "पीटो" बना दिया जायेगा । अब आप ही कहिये कि जब ऐसी चिट लगा दी जायेगी तो कौन घुसेगा । तो हमारा सुरक्षा विभाग भी किसी से कम नहीं है । वह भी तेजी से काम कर रहा है । वह कहता है कि और जरूरत पड़ेगी तो हम कागज से काम निकाल लेंगे । अब आप ही देखिये कि इस मामले में दुनिया में कौन हमारा सानी हो सकता है । हम किसी से पीछे नहीं हैं । सुरक्षा में पीछे नहीं हैं, स्वास्थ्य में हम किसी से पीछे नहीं हैं ।

मौजी राम अब तक सुन रहे थे । उन्होंने मुझे कहा कि तुम लोक-सभा में जाकर सबसे पहले देशमुख जी को यह अच्छी सलाह देना कि यह जो नार्थ ब्लाक और साउथ ब्लाक में बहुत से किरानी गड़बड़ कर रहे हैं । और इनमें जो बहुत से आई० सी० एस० अफसर हैं इनके लिये एक अजायबघर बना दिया जाये और उसमें इनको रखा जाय तो बहुत अच्छा होगा । अगर वहां ये लोग बने रहेंगे तो देश को कुछ नुकसान तो नहीं पहुंचा सकेंगे ।

अब मैं यहां पर मौजी राम की बात खत्म करता हूं चूंकि इसको हमारे गोपालन साहब और बहुत से विदेशों वाले नहीं समझ सकें होंगे और कुछ शब्द अंग्रेजी में कहे देता हूं ।

†इस बार अपने आय-व्ययक में सबसे अधिक भय इस बात का है कि हमारे प्रतिरक्षा व्यय में घटा-बढ़ी नहीं होती। काश्मीर की समस्या हमारे सम्मुख ही है यद्यपि कोई कह नहीं सकता कि परिणाम क्या होगा। मैं इतना ही कह सकता हूं कि जनता की कर देने की क्षमता पर अत्यधिक प्रभाव डाला गया है।

मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि यह जो रुख हमने अपना रखा है उससे काश्मीर की समस्या के बारे में संकट उत्पन्न हो जाने पर उसका किस प्रकार सामना किया जायेगा। रूसियों ने भी यह शान्ति-पूर्ण रुख अपनाया है। मैं उनको इसके लिये हृदय से बधाई देता हूं। दक्षिण पूर्व एशियाई सन्धि संगठन की कराची में हुई बैठक में हमारी इस नीति की आलोचना की गई थी। मार्शल बुल्गानिन का काश्मीर के सम्बन्ध में दिया गया वक्तव्य बड़ा महत्व रखता है। उन्होंने बताया कि कुछ देशों ने काश्मीर के मामले में हस्तक्षेप करके अपने लिये ही कांटे बोये हैं। काश्मीर को भारत से अलग करने के प्रयत्न किये गये हैं। किन्तु जहां तक काश्मीर के लोगों का सम्बन्ध है वे इस साम्राज्यशाही नीति के विरोधी हैं। उन्होंने कहा कि सोवियत सरकार काश्मीर के सम्बन्ध में अपनाई गई भारत की नीति का समर्थन करती है। उनका यह कथन वास्तव में बड़ा यथार्थ है क्योंकि काश्मीर वास्तव में भारत का ही एक अंग है, इस कारण और लोगों को इस मामले में हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

यह कहना गलत है कि सोवियत की इस नीति से उसे खतरा पैदा होगा। वह अपनी रक्षा स्वयं करने के लिये पूर्ण समर्थ है। उसके समक्ष पाकिस्तान के सैनिक अड्डे कुछ भी नहीं हैं। इतना ही नहीं प्रति-रक्षा संगठन वालों का यह भी कहना है कि डूरन्ड रेखा अन्तर्राष्ट्रीय महत्व रखती है किन्तु बात वस्तुतः ऐसी नहीं है इस रेखा का न तो कभी अन्तर्राष्ट्रीय महत्व रहा है और न कभी होगा क्योंकि स्वतन्त्र लोग कभी भी इसे पसन्द नहीं करते हैं।

पाकिस्तान के प्रधान मंत्री ने बड़ी जोरदार घोषणा की है कि पाकिस्तान अपने आय-व्ययक का ६० प्रतिशत प्रतिरक्षा पर व्यय करता है किन्तु हमारे ऊपर इन सब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि हम जानते हैं कि हम जो कुछ कर रहे हैं, वह ठीक है। अतः हमें किसी प्रकार का भय नहीं है।

हमारे आय-व्ययक की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि उसमें देश को कल्याणकारी राज्य बनाने की बात कही गई है। वास्तव में यदि ऐसा हो गया तो अन्य चीजें तो स्वतः ही हो जायेंगी। अतः पहले तो लोक-कल्याण आता है और कुछ उसके पश्चात्।

†**श्री वी० वी० गिरि** (पातपटनम्) : मैं वित्त मंत्री को ऐसा शिक्षाप्रद एवं महत्वपूर्ण सुझाव देने वाला आय-व्ययक प्रस्तुत करने के लिये बधाई देता हूं।

यों तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना से हमें अनेक आशायें हैं किन्तु मुझे वास्तविक प्रसन्नता तो तब होती जब मजदूरों को इस योजना को सफल बनाने के उचित स्थान दिया गया होता क्योंकि मैं उन्हें निर्माण का अत्यधिक महत्वपूर्ण अंग मानता हूं जिसका कारण यह है कि उनके सहयोग के बिना यह योजना सफल भी नहीं हो सकती है। अतः प्रत्येक सरकारी और गैर सरकारी उद्योग को सफलतापूर्वक चलाने के लिये उनका सहयोग प्राप्त करना अनिवार्य है।

यदि वित्त मंत्री उद्योगपतियों से यह निवेदन करते कि इस योजनाकाल में उन्हें मजदूरों के न केवल मूल अधिकार को ही देने का प्रयत्न करना होगा वरन् उन्हें उनके कर्तव्यों, दायित्वों और विशेषाधिकारों को बनाने की भी व्यवस्था की जायेगी, तो मुझे अत्यधिक हर्ष होता। वास्तव में देखा जाय तो मजदूर काम करने में यही नहीं समझते कि वे केवल जीविकोपार्जन के लिये ऐसा कर रहे हैं वरन् वे यह भी महसूस करते हैं कि जनसमुदाय या राष्ट्र की सेवा भी करते हैं। वास्तव में अब वह समय आ गया है जब कि काम देने वालों को यह समझना चाहिये कि व्यवस्था में उनका भी कुछ हाथ हो। उनके प्रतिनिधियों को सारी व्यवस्था समझा कर उनके परामर्श से काम करने से स्थिति में काफी

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री वी० वी० गिरि]

परिवर्तन हो सकता है और वे उद्योग को अधिक कुशलतापूर्वक चलाने के तरीके और उपाय बता सकते हैं ।

कुछ दिनों से समाजवादी ढंग के समाज की बात कही जा रही है । जब वास्तव में समाजवादी राज्य की स्थापना हो जायेगी तो मजदूरों के मूल अधिकारों, कार्य करने के अधिकार और उनके सभी न्यायोचित सुविधाओं की व्यवस्था हो जायेगी । अब समय आ गया है कि सरकारी क्षेत्र के अधीन कुछ हालतों में शर्तें लगाकर सारा गैर सरकारी क्षेत्र आ जाना चाहिये । अतः सरकारी क्षेत्र को काम करने की और मजूरी आदि के बारे में एक स्तर निर्धारित करने का कार्य करना चाहिये । अतः सरकार के प्रत्येक उद्योग में संयुक्त स्थायी तंत्र की व्यवस्था करनी चाहिये जिससे मजदूरों का वास्तविक सहयोग मिल सके ।

रेलवे मंत्री काफी सहृदय व्यक्ति हैं और उनके हृदय में मानव समाज के प्रति सहानुभूति की भावना है । रेलवे आय-व्ययक पर एक सप्ताह की चर्चा में रेलवे कर्मचारियों के दो दलों में एकता स्थापित हो गई है और उन्होंने एक समझौता कर लिया है । रेलवे मंत्री ने मजदूरों के प्रतिनिधियों को व्यवस्था में सम्मिलित करने का वचन दिया था । आशा है कि अब वह रेलवे कर्मचारी संघ का रेलवे बोर्ड से सम्पर्क स्थापित कर उसे उचित स्थान देंगे ।

बेकारी को दूर करने के लिये सरकार द्वारा किये गये उचित उपायों के बावजूद भी यह समस्या अभी तक हल नहीं हो सकी है । वास्तव में जब तक बेकारी दूर नहीं हो जाती तब तक समाजवादी व्यवस्था आदि सब कोरी बातें ही रहेंगी । इस सम्बन्ध में मैं अब कुछ ठोस सुझाव देना चाहूंगा । शिक्षितों की बेकारी दूर करने की सबसे सरल उपाय यह है कि सारे देश में कृषि, उद्योग तथा अन्य कला कौशल की शिक्षा देने के लिये संस्थायें खोली जायें और प्रत्येक ताल्लुके या फिरके में—यदि सम्भव हो सके तो १००० से ३००० एकड़ भूमि कृषि के लिये दे दी जाये जहां बेकारों को काम मिल सके । १९३७–३८ में जब मैं मद्रास का उद्योग, श्रम और सहकारिता मंत्री था मैंने यह किया था कि प्रत्येक बेकार व्यक्ति की अर्हता आदि की सूचना एक फार्म पर भरवा लिया करता था किन्तु अभाग्यवश हम लोगों को वहां त्यागपत्र देना पड़ा और वह चीज ज्यों की त्यों ही रह गई । अतः होना यह चाहिये कि हमारे पास शिक्षित बेकारों की वास्तविक संख्या के आंकड़े एकत्र किये जाने चाहिये और भूदान आन्दोलन में प्राप्त भूमि में से कुछ लाख एकड़ भूमि इन बेकारों को कृषि, कुटीर उद्योग और अम्बर चर्खा आदि में प्रशिक्षण देने के लिये बस्तियां बनाने के लिये दी जानी चाहिये । इससे उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने का अवसर मिल सकेगा । मैं समझता हूं कि कुछ ऐसे भी ठोस सुझाव रखे जाने चाहियें जिनसे जनता में यह भावना उत्पन्न हो कि सरकार इस सम्बन्ध में सजग है और इस समस्या को सुलझाने का हृदय से प्रयत्न कर रही है इस प्रकार सभी शिक्षित बेकारों को काम मिल जायेगा । प्रत्येक सौ मील की दूरी पर इस प्रकार की शिक्षा देने की बस्तियां बसाई जानी चाहियें । मेरे विचार से इस विभीषिका का अन्त करने का एकमात्र यही सहज और सुगम उपाय है ।

श्री टंडन (जिला इलाहाबाद—पश्चिम) : सभापति जी, सबसे पहले मैं अपने वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं । उस रीति को बधाई नहीं जैसी हमारे बहुत से सहयोगियों ने दी है, परन्तु एक विशेष बात के लिये, और वह यह है कि उन्होंने पिछले वर्ष जो आश्वासन दिया था कि बजट के कुछ अंगों को वह हिन्दी में रखेंगे उसको उन्होंने अंशतः पूरा किया । परन्तु फिर भी कसर है । उनकी अपेक्षा रेलवे मंत्री ने हिन्दी के अंक और हिन्दी के बजट में अधिक स्फूर्ति दिखाई । मैं जानता हूं कि हमारे वित्त मंत्री जी के सामने कठिनाई है, उनके पास बहुत बड़ी बड़ी पुस्तकें हैं अंग्रेजी में, जिनको हिन्दी में करने की मेरी मांग थी । वह सब तो नहीं कर सके, परन्तु उन्होंने अंशतः किया, इसके लिये उनको मैं बधाई देता हूं । मेरा सुझाव यही है कि अगले वर्ष जब वे आवें अपना बजट लेकर, तब उनका पूरा बजट हिन्दी में होना उचित है ।

यह कोई कठिन समस्या नहीं है। उत्तर प्रदेश का तो मुझे अनुभव है। वहां पूरा बजट अर्थात् बड़ी-बड़ी पुस्तकें भी जो अंग्रेजी में पहले होती थीं अब हिन्दी में ही आती हैं। वहां हिन्दी में उनका होना आवश्यक है, बाद में उनका अनुवाद अंग्रेजी में आता है। हमारे वित्त मंत्री जी भी वही क्रम यहां रक्खें, यह मेरा सुझाव है।

बजट के सम्बन्ध में मैं बहुत आनन्द और उल्लास के साथ कुछ नहीं कह सकता। यदि मैं यह कहूं कि यह बहुत उन्नतिशील है, तो वह मेरे हृदय की बात नहीं होगी। कारण यह है कि उन्नति की दिशाओं के देखने में भेद है। व्यय तो बहुत है, उन्होंने देश के लिये बहुत सी नई-नई संस्थाओं के बनाने के लिये ३१६ करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय दिखाया है। परन्तु मेरे हृदय में तो टीस यह उठती है कि यह जो व्यय है, जिसके लाने में हमारे देश के ऊपर के स्तर के आदमियों से तो रुपया लिया ही जाता है, दीनों का भी इस भार में बहुत बड़ा हिस्सा है, उसमें हमारे दीन लोगों के लिये, देहातों के लिये क्या व्यय निकाला गया है। मेरे हृदय में यह प्रश्न उठता है। व्यय तो है, परन्तु उसे किस दृष्टिकोण से देखा जाय, इसका सवाल है। आंख वही है पर चितवन में भेद है।

इस बजट में व्यय बहुत करने की बात है परन्तु इसकी चितवन शहरी है, देहात की ओर नहीं है। देहातों में मकान बनाने के लिये थोड़ा बहुत रुपया दिखाया गया है। जहां इतने करोड़ों की चर्चा हो वहां कुछ थोड़ी सी रक.....

सरदार इकबाल सिंह (फाजिल्का--सिरसा) : सिर्फ पांच करोड़ दो सौ रुपये है।

श्री टंडन : जी हां, मुझे मालूम है। यह पांच करोड़ रुपया इस सिन्धु में बिन्दु के समान है। इस बिन्दु से इतने बड़े और इतने अधिक देहातों का क्या भला होने वाला है, यह आप ही अंदाजा लगा सकते हैं। मैं बार-बार कह चुका हूं, मैं बार-बार निवेदन कर चुका हूं कि आप देहातों की ओर ध्यान दीजिये। आप देखिये कि क्या रहन-सहन उनका है। यहां बहुत सी नई-नई योजनाओं की चर्चा हुई। कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स की बात भी आई। उसके सम्बन्ध में, उसके लाभ की गाथा भी हमारे भाई ने सुनाई है। मुझ को तो वह बहुत प्रिय लगी। कहानी और गाथा सदा प्रिय लगती हैं। परन्तु मुझे वह केवल कहानी ही लगी। इसका कारण यह है कि जब मैं देहातों में स्वयं जाता हूं तो मुझ को नहीं दिखाई पड़ता कि उनका स्तर कुछ ऊंचा हो गया है। जो पत्रिकायें हमारी गवर्नमेंट के विभागों की ओर से बांटी गई हैं उनसे भी पता लगता है कि हमारे देश में,इसके बहुत से भागों में लाखों, परिवार ऐसे हैं जिनकी आय १५ रुपये से लेकर ५० रुपये मासिक तक है। याद रखिये यह परिवार की आय है। ऐसे लाखों करोड़ों परिवार हैं जिनकी आय इतनी है। आप खुद ही अनुमान कर सकते हैं कि उनकी दशा कैसी हो सकती है जिस परिवार में चार या पांच प्राणी हों और उसकी १५ रुपये मासिक आय हो तो कैसे वह परिवार रह सकता है इसका अंदाजा आसानी से ही लगाया जा सकता है। मैं जानता हूं कि हमारे प्रदेश के कुछ भागों में तो ऐसे दरिद्र लोग हैं कि जो गोबर के भीतर से अनाज निकाल कर और उसको धोकर खाते हैं। यह कहानी नहीं है, यह सही बात है। गोरखपुर और देवरिया के जिले में इस खाने का नाम गोबरी है। जहां इतनी दरिद्रता है वहां पर यह आशा की जाती है कि उनके पास पहुंच कर हम उन्हें उठाने का कुछ यत्न करें। वह यत्न तो मैं इस बजट में कहीं भी नहीं देखता हूं। उसका नितांत अभाव है।

आचार्य कृपलानी (भागलपुर व पूर्निया) : फाइव इअर प्लान में है।

श्री टंडन : उसी की चर्चा मैं कर रहा हूं। उसके अनुसार ही तो पूंजी व्यय इस वर्ष ३१६.७ दिखाया गया है। यह तो उसी व्यवस्था के भीतर है। हां, एक बहुत बड़ी रकम कारखानों के ऊपर खर्च करने के लिये रखी गई है। यह औद्योगिक कारखानों के लिये रखी गई रकम हमारी इस दरिद्रता को, जिसकी मैंने अभी चर्चा की है, हटाने वाली नहीं है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं इस गवर्नमेंट से कि आप समाजवादी रूप की बात करते हैं। अच्छे सामाजिक रूप की कुंजी यह है कि अधिक से अधिक सुख हम पहुँचायें। मैं इधर ध्यान दिलाता हूं कि जब व्यय हम करें तब हमें चाहियें कि हम यह देखें कि एक एक

[श्री टंडन]

रुपये से अधिक से अधिक सुख प्राप्त हो, यह अच्छे सामाजिक क्रम की कुंजी है। मैं अर्थ-शास्त्र के शब्दों में कहता हूं क्योंकि यहां पर अर्थ शास्त्र के पंडित तो बहुत हैं, 'पंडितमानिनः' पाण्डित्य उनका अंकों में ही न रहे, कि यहां इतना हुआ, वहां उतना हुआ, वहां से यह निकलता है और यहां से यह निकलता है। उसी अर्थ-शास्त्र का एक बड़ा सिद्धांत यह है कि हर एक पैसे की सीमान्त-उपयोगिता, जिसको अंग्रेजी में आप मार्जिनल युटिलिटी कहते हैं, घटती जाती है, जैसे-जैसे किसी के पास अधिक पैसा होता जाता है : यह स्पष्ट नियम है, अर्थ शास्त्र का। एक रुपये की उपयोगिता हमारे देहात के गोबरी खाने वाले के लिये क्या है और आप अनुमान कीजिये कि हमारे यहां जो एक लक्ष्मीपति है उसके लिये क्या है? आकाश पाताल का अन्तर आप पायेंगे। अगर १०-२० हजार रुपया किसी लक्ष्मीपति के पास बढ़ गया तो उसकी क्या उपयोगिता है और यदि वह रुपया कुछ देहाती जनों को मिल जाये तो उसकी उपयोगिता क्या है। मैं इसीलिये कह रहा हूं कि समाज का सुख बढ़ाने की कुंजी यह है कि जितना हमारे बजट का व्यय है, उसकी सीमान्त-उपयोगिता (मार्जिनल युटिलिटी) अधिक से अधिक हो। क्या मैं आज यह कह सकता हूं कि जितने का आपने बजट बनाया है इसमें मार्जिनल यूटिलिटी अधिक से अधिक है ? यह मैं कहने में असमर्थ हूं। यदि मार्जिनल युटिलिटी आपके पैसे की उचित होती तो सुख और समृद्धि देश में फैल जाती। परन्तु वह नहीं है। यहां दिल्ली में मेरे एक सामने बात आई है कि शिक्षण विभाग मकान बनवा रहा है जिसमें कुछ नट-नागर नाच करेंगे। नट-नागरों के लिये १०-१० लाख तक रुपया खर्च करना तो मामूली बात है, इनके लिये आप बजट देखिये। इतने रुपये की लागत के मकान बनाये जा रहे हैं। मुझे पता चला है कि यहां एक भूमि के ऊपर एक करोड़ रुपया एक कला भवन बनाने पर खर्च होने वाला है जिसमें से लगभग ५० लाख रुपया तो इमारत बनाने में खर्च होगा और बाकी ५० लाख रुपया सामग्री के जुटाने में। आप जो गोबरी खाने वाले लोग इस देश में हैं, उनकी दृष्टि से इस पैसे की सीमान्त-उपयोगिता, मार्जिनल युटिलिटी, कितनी है, इस बात का आप अंदाजा लगाइये। यह मेरा आप से कहना है। मुझ को कभी कभी लगता है कि यह समाज को उठाने की बात जो हम करते हैं बात रह जाती है। क्या यह सब काम इस समय करने का है ?

श्री अलगू राय शास्त्री (जिला आजमगढ़, पूर्व व जिला बलिया, पश्चिम) : नहीं।

श्री टंडन : इस समय तो कौड़ी-कौड़ी इस काम में लगनी चाहिये कि किसी तरह से जितनी जल्दी हो सके हम गांव के भाइयों को संभालें, उनके लिये घर और भोजन का इन्तजाम करें। पांच करोड़ आपने मकानों के लिये दिया है। इससे क्या बनने वाला है। क्या इससे देहातों का उत्थान होने वाला है ? मैंने यहां कितनी बार निवेदन किया है कि आप देहात में हर परिवार के लिये घर बनाने को आधा एकड़ भूमि तो दें। हमारे वित्त मंत्री ने मुझे आश्वासन दिया था कि "आप जो बात कह रहे हैं वह मैं ऊपर पहुंचा दूंगा।" मैंने यहां आदर्श घरों की योजना कई बार रखी है। मैंने निवेदन किया है कि एक-एक घर को आधा आधा एकड़ भूमि देनी चाहिये, चाहे वह किसी दरिद्र का घर हो या किसी धन्नासेठ का घर हो। उस भूमि में वह अपना वाटिका गृह बनावें। मैं तो कहता हूं कि आप कम से कम दो एक आदर्श ग्राम बनाकर दें। वित्त मंत्री यहां मौजूद नहीं हैं। परन्तु मैं पूछता हूं कि क्या उन्होंने देश में एक भी आदर्श ग्राम बनाया ? मैं आशा करता था कि हर जिले में अधिक नहीं तो एक-एक, दो-दो आदर्श ग्राम तो बन जायेंगे। इसके लिये बराबर यत्न होना चाहिये। भूदान यज्ञ में भी इसके लिये यत्न हो रहा है। मैं स्वयं उसमें लगा हूं। परन्तु हमको बहुत कम भूमि मिलती है और कठिनाई से मिलती है जो कि हम इन बेचारे ग्राम वासियों को घर बनाने के लिये दे सकें। लेकिन इधर हमारी गवर्नमेंट नृत्यकला के लिये करोड़ों रुपये खर्च कर रही है। अगर आप देश में दस बीस करोड़ रुपया आदर्श घरों को बनाने में लगा देते तो कुछ सूरत दिखाई देती। लेकिन यह नहीं हुआ।

मेरा यह निवेदन है कि हमारा जो यह बजट ह वह बहुत त्रुटिपूर्ण है । मेरे हृदय में पीड़ा है कि हमारे देश का रुपया बरबाद हो रहा है । मैं अपनी गवर्नमेंट से, अपने सहयोगियों से, अपने साथियों से कहता हूं कि आज आपके यहां रुपये की मार्जिनल युटिलिटी खोई सी है । आप अपने अर्थशास्त्रियों से पूछें कि आज रुपये की मार्जिनल यूटिलिटी क्या है और क्या हो सकती है । जो आपके पैसों की मार्जिनल यूटिलिटी हो सकती है उससे वह आज बहुत ही नीचे है । यदि आपके पैसों की पूरी मार्जिनल यूटिलिटी होती तो आज देश सुखी और समृद्ध होता ।

मुझे कुछ शब्द शिक्षण विभाग से कहने हैं । हमारे भाई डिप्टी मिनिस्टर, डा० श्रीमाली, ने इस सम्बन्ध में यह इच्छा प्रकट की थी कि शिक्षा विभाग को अधिक अधिकार दिया जाये, आज उस विभाग के पास इतना अधिकार नहीं है कि वह उन कामों को करा सके जिनको कि वह कराना चाहता है क्योंकि शिक्षा का विषय हमारे राज्यों के अधिकार में अधिक है । यदि वे यहां हों तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जो अधिकार उनके पास हैं क्या उनका ठीक उपयोग हुआ है। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे जितने विभाग हैं उन सब में इस शिक्षा विभाग का का काम सबसे रद्दी है ।

एक माननीय सदस्य : बिल्कुल रद्दी । इस विभाग को खत्म कर दिया जाये ।

श्री टंडन : किसी ने कहा कि इस विभाग को समाप्त करो । मेरा निवेदन यह है कि वह अधिक अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है । उसकी तो अजीब बुद्धि है । अजीब तरह से वह प्रश्नों को देखता है । उस विभाग ने हिन्दी टाइपराइटर (टंकन यंत्र) के लिये एक कीबोर्ड (वर्ण पट्ट) बनाया है जिसमें अक्षर तो हिन्दी के हैं परन्तु अंक अंग्रेजी के हैं । यह कीबोर्ड वह देश भर में पहुंचाना चाहते हैं । यह क्या अक्ल की बात है ? इसको कौन हिन्दी भाषी राज्य स्वीकार करेगा ? और इसके लिये हवाला दिया जाता है कांस्टीट्यूशन का । क्या इस विभाग में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो संविधान समझ सके ? कांस्टीट्यूशन में यह स्पष्ट लिखा है कि केन्द्रीय कामों के लिये हिन्दी में अंक नागरी का भी हो सकता है और अंग्रेजी का भी हो सकता है । कांस्टीट्यूशन में यह बात नहीं है कि हमारे देश में जितने टाइप-राइटर्ज़ बरते जायें उनमें अक्षर तो हिन्दी के हों और अंक अंग्रेजी के । क्या उन्होंने यह टाइप-राइटर केवल अपने शिक्षा विभाग के लिये ही बनाया है ? नहीं । वह टाइपराइटर का वर्णपट्ट या कीबोर्ड सारे देश क लिये बनाना चाहते हैं । मैंने उस रोज कहा था कि इस देश म लगभग २२ करोड़ आदमी ऐसे हैं ।जनकी भाषा में नागरी अंकों का प्रयोग होता है ।

एक माननीय सदस्य : श्रीमाली जी आ गये ।

श्री टंडन : मैं आपकी ही चर्चा कर रहा था । डा० श्रीमाली ने शिक्षा विभाग के अधिकार बढ़ाने की बात कही थी । मैं निवेदन कर रहा था कि शिक्षा विभाग के पास जो अधिकार हैं उनका वह दुरुपयोग कर रहा है । शिक्षा विभाग के काम से रद्दी काम करने वाला हमारे यहां कोई दूसरा विभाग नहीं है । मुझे यह कहते हुये लज्जा होती है । अभी डा० श्रीमाली का इस विभाग से सम्बन्ध थोड़े दिनों का ही है । आप नौवारिद हैं । मैं आशा करता हूं कि आप यत्न करेंगे कि यह विभाग अपने अधिकारों का सदुपयोग करे, यदि ऐसा करना आपके अधिकार में हो । मैं जो चर्चा कर रहा था उसे आपके कानों के लिये दुहराये देता हूं । आपके विभाग ने यह अजीब काम किया है कि जो टाइपराइटर का वर्णपट्ट बनाया है उसमें अक्षर तो हिन्दी के रखे हैं पर अंक अंग्रेज़ी के । यह क्या बात है ? ऐसा मालूम होता है कि यह विभाग दुराग्रह से भरा हुआ है । इस विभाग से राज्यों के मंत्रियों को पत्र भजे जाते हैं कि तुम लोग जहां हिन्दी का प्रयोग करो वहां उसके साथ अंग्रेजी के अंकों का प्रयोग करो । मैं यह बात अपने मन से नहीं कह रहा हूं । मुझे यह बात एक राज्य के मुख्य मंत्री से मालूम हुई है । यह क्या है ? आप अपने अधिकार का यह सदुपयोग कर रहे हैं या दुरुपयोग कर रहे हैं ? मैं कहता हूं कि आपके विभाग का अच्छा काम नहीं है और उसका कोई अधिकार नही बढ़ना चाहिये । यह मेरा निवेदन है शिक्षण विभाग के लिये ।

[श्री टंडन]

मैं आशा करता था कि हमारा शिक्षण विभाग शिक्षण को कोई नया रूप देगा। राष्ट्रपति ने और जो हमारे देश के शिक्षण से सम्बन्ध रखने वाले अनुभवी लोग हैं उन्होंने बार-बार यह कहा है कि हमारा शिक्षण का क्रम बदलना चाहिये। हमारे शिक्षण में दो बातों की मुख्य रूप से आवश्यकता है। एक तो चारित्रिक निर्माण की और दूसरी शिक्षित लोगों में आत्मनिर्भरता की अर्थात् उनको इस प्रकार से पढ़ाया जाये कि वे आत्मनिर्भर हो सकें। यहां यह दोनों बातें नहीं हैं। जहां एक ओर हमारे देश में शिक्षणक्रम को बदलने की इतनी आवश्यकता है वहां ऐसा मालूम होता है कि हमारे शिक्षण विभाग में कल्पना का अभाव है। आज मैं और अधिक नहीं कहना चाहता। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि शिक्षण विभाग ने जो अकादमियां बनायी हैं उन पर वह लाखों रुपया बरबाद कर रहा है। अब मैं उस बात को दुहराता नहीं।

एक और विषय है जिस पर मैं कुछ शब्द कहना चाहता हूं। वह विषय है काश्मीर का। काश्मीर के सम्बन्ध में हमारे भाई फोतेदार जी ने कुछ चर्चा की थी। मेरा भी यह निवेदन है कि काश्मीर का प्रश्न बहुत लटका हुआ है। आये दिन उसके सम्बन्ध में कहीं न कहीं कुछ बात हो जाती है। यह विषय कि वहां का जनमत लिया जाये। किसी जमाने में सिक्योरिटी काउंसिल गया था परन्तु इतने दिन उसको लटकते हुये हो गये। मुझे तो ऐसा लगता है कि एक निश्चित बात हमारी गवर्नमेंट को काश्मीर के सम्बन्ध में अब कर देनी चाहिये। यह बात तो स्पष्ट रूप से कही जा चुकी है, और जहां तक मुझे स्मरण है हमारे प्रधान मंत्री जी ने भी माना है कि काश्मीर हमारे देश का अंग है। इसमें कोई सन्देह नहीं है। उसके ऊपर पाकिस्तान ने अपनी कुछ आपत्ति भी उठायी थी। परन्तु वह तो कई बातों पर अनुचित आपत्ति उठाया करता है। उनकी आपत्ति पर ध्यान न देकर मेरा निवेदन है कि आज हम को अपना चलन इस प्रकार का बनाना चाहिये कि काश्मीर हमारा एक अंग है, अर्थात् जब हम यहां कोई अधिनियम, ऐक्ट बनायें तो बारबार हम यह न कहें कि काश्मीर में यह लागू नहीं होगा। आपके यहां जितने अधिनियम बनते हैं उनमें साधारण रीति से दिखलाई पड़ता है कि काश्मीर को आप अपवाद करते चले जा रहे हैं। इस तरह के अपवाद करने की आवश्यकता नहीं है। काश्मीर को अब, जैसा हमारे फोतेदार जी की मांग थी, हम अपना एक निश्चित अंग मानें। कई बातों के लिये अंग बन भी गया है और मैं चाहता हूं कि जितने कानून आप यहां बनायें, उनमें काश्मीर भारत का पूरी तरह एक अंग समझा जाय।

काश्मीर की बात करते हुये मुझ को एक टीस सी उठती है उन भाइयों के बारे में जो हाल ही में मुझ से मिलने आये और जिन की कि दशा सुन करके मेरा हृदय रो पड़ा। काश्मीर के उस भाग से जिस भाग को काश्मीर से छीन कर पाकिस्तान में मिला लिया गया है, जैसे मीरपुर और पूंछ, उन इलाकों के बहुत से हमारे भाई भाग कर इधर हमारी शरण में आये हैं। मैं तो आज तक समझ नहीं पाया कि जब हमारी फौजें वहां तक पहुंच गयी थीं तो मीरपुर और पूंछ के इलाकों पर उन्होंने कब्जा क्यों नहीं किया और उसके पहले ही युद्धविराम रेखा बना दी गई.....

श्री कामत (होशंगाबाद) : उनको हटा दिया था।

श्री टंडन : मैं आपकी बात नहीं समझा। आप मेरी बात सुनने की कोशिश कीजिये। मैं यह कह रहा हूं कि पूंछ और मीरपुर के करीब हमारी फौजें पहुंच गयी थीं, वहां की पाकिस्तानी फौजें भाग चुकी थीं, या वहां से भाग निकली थीं परन्तु फिर भी हमारी ओर से उन इलाकों पर कब्जा नहीं किया गया.....

श्री कामत : मैं भी यही कह रहा था कि गवर्नमेंट ने उनको हटा दिया था।

श्री टंडन : मैं आपकी बात को नहीं समझा था। खैर, 'गतं न शोचामि', मैं उसको छोड़ता हूं। जो कुछ भी हुआ उसमें बुद्धिमानी या भूल हुई, मैं तो उसको भूल ही मानता हूं।

श्री अलगू राय शास्त्री : भूल होती जा रही है।

श्री टंडन : वे हमारे मुसीबतज़दा भाई जब मीरपुर और पूंछ से भाग-भाग करके काश्मीर में आते हैं तो वहां उनको जगह नहीं मिलती है और वे यहां हमारे पास आते हैं। उन्हीं भाइयों के मुंह से

उनकी कथा मैंने सुनी। किसी ने कहा कि मेरा बाप मारा गया, किसी ने कहा कि मेरा भाई वहां पर मारा गया और किसी भाई ने मुझे बतलाया कि मेरी स्त्री ने कुएँ में छलांग लगा कर अपनी जान दी और उन्होंने यह बतलाया कि कुएं के कुएं लाशों से घिर गये थे क्योंकि हमारी मां बहनों ने सोचा कि पाकिस्तानी फौज के आते ही हमारी दुर्गति होगी और उन्होंने कुओं के अन्दर छलांग लगा कर अपनी जानें दे दीं। मुझे तो यहां तक उन भाइयों ने बतलाया कि हमारी स्त्रियों ने हमसे कहा कि हमको तुम खुद अपने हाथ से मार डालो और हमको उनके लिये मत छोड़ो और उन्होंने बतलाया कि अपने घर की स्त्रियों को अपने हाथों से मार कर हम में कुछ यहां आये हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह भाई अपना सब कुछ लुटा कर यहां पर आये हैं और उनको बड़ी मुश्किल से यहां रहने को घर मिले हैं और हमारा पुनर्वास मंत्रालय उन दुःखी और मुसीबतजदा भाइयों से यह मांग करता है कि या तो उन घरों का मूल्य हमें दे दो और या उनका किराया दो। चूंकि उनकी आर्थिक दशा शोचनीय है और ठीक नहीं है इसलिये मैं चाहता हूं कि पुनर्वास विभाग उन काश्मीरी भाइयों के प्रति थोड़ा करुणामय व्यवहार करें। हमारे यह काश्मीरी भाई शरणार्थियों की गिनती में नहीं आते क्योंकि आपने जो नियम बनाया है उनके अनुसार वे लोग जो जायदाद छोड़ कर पाकिस्तान से आये हैं, उनको आप शरणार्थी गिनते हैं और यह भाई पुराने पाकिस्तान के हिस्से के तो हैं नहीं, इसलिये शरणार्थियों की आपकी परिभाषा में, डेफिनिशन में यह नहीं आते। इनका बुरा हाल है। मैं यह चाहता हूं कि जहां आपने शरणार्थियों की इतनी श्रेणियां बनाई हैं वहां इन भाइयों के लिये भी आप कोई एक नई श्रेणी बना लीजिये और तुरन्त उनकी दशा के ऊपर ध्यान दीजिये।

मैं आपसे यह आशा करता हूं कि जो कुछ मैंने कहा है उसके ऊपर आप ध्यान देंगे। समाप्त करते हुए फिर से मैं उस विशेष बात के लिये कहना चाहता हूं क्योंकि जब मैं उसके बारे में कह रहा था उस समय वित्त मंत्री जी उपस्थित नहीं थे, और वह बात यह थी कि मेरा बल इस बात पर है कि आपका बजट हमारे देहातों की दशा को उबारने वाला नहीं है। आपसे पहले भी इस सम्बन्ध में मैंने निवेदन किया था और आपने वायदा किया था कि मेरी ग्राम योजना को आप अपनायेंगे। मैं जानता हूं कि वित्त मंत्री ने उसके लिये योजना विभाग को कहला भी दिया था परन्तु आज तक कहीं पर इस प्रकार से ग्रामों की दशा सुधारने का कोई मार्ग, कोई प्रयत्न दिखाई नहीं देता। इस ओर सच्चा प्रयत्न हो और चरित्र उठाने के लिये प्रयत्न हो, यह इस समय आवश्यक है। इसकी आवश्यकता शिक्षण में है, इसकी आवश्यकता हाउसिंग स्कीम्स् (गृह निर्माण योजनाओं) में है और इसकी आवश्यकता हमारे देश को उठाने की है। सब कल्पनाओं में है।

†**श्री एस० एस० मोरे** (शोलापुर) : टण्डन जी ने भाषण में जो विचार प्रकट किये वे मेरे कानों में गूंज रहे हैं। अब हमें यह देखना है कि आय-व्ययक यह समाजवादी बजट है अथवा नहीं।

मेरे विचार से यह आय-व्ययक तो ऐसा है जिससे गरीबों की दशा और भी गिरती जायेगी और अमीरों की आय में वृद्धि। गरीबों का इससे कोई भी भला नहीं होगा।

कपड़े पर १४·५ करोड़ रुपया उत्पादन शुल्क के रूप में वसूल किया जायेगा। इसी प्रकार साबुन पर भी उत्पादन शुल्क लगेगा। मेरे पास अधिक समय नहीं है किन्तु ३४ करोड़ रुपयों में से लगभग २५ करोड़ रुपये की आय उत्पादन शुल्क से होगी।

एक साधारण व्यक्ति की हैसियत से मेरा अपना विचार यह है कि अप्रत्यक्ष करों का जन-साधारण पर अधिक भार पड़ता है और वास्तव में प्रत्यक्ष करों के द्वारा अमीरों से भी कुछ वसूल किया जा सकता है। अभाग्यवश हमारे आय-व्ययक में अप्रत्यक्ष करों की ही अधिकता है जो समस्त राजस्व का ६१ प्रतिशत है।

यदि मोटे कपड़े पर कर को लिया जाये तो हमें मानना पड़ेगा कि इसका सबसे अधिक भार कृषक-वर्ग पर पड़ेगा। वित्त मंत्री का कथन है कि कृषि पदार्थों का मूल्य बढ़ जाने से उनकी आर्थिक दशा पर

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री एस० एस० मोरे]

इसका विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा किन्तु मेरे विचार से बात वास्तव में ऐसी नहीं है। हमारे यहां छोटे-छोटे किसान हैं जिनका जीवन मध्यम श्रेणी के लोगों पर आश्रित है। मूल्यों के आंकड़ों से चाहे जो पता लगे किन्तु सच बात यह है कि छोटे-छोटे कृषकों के हित में यह चीज नहीं है। मैं तो वित्त मंत्री से पूछना चाहता हूं कि उन्हें कितना लाभ मिलता है जिसमें से आप हिस्सा बंटाना चाहते हैं? हमारे यहां उत्पादन की लागत के आंकड़े एकत्र नहीं किये जाते वरन् जहां मूल्य बढ़ा हम यह निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि कृषकों को लाभ हो रहा है। मैं तो कहूंगा कि जिस हिसाब से भाव गिर रहे हैं उससे उनका जीवन-स्तर और भी गिरता ही जा रहा है क्योंकि करों का भार उन्हें आगे बढ़ने ही नहीं देता।

वित्त मंत्री ने बताया कि हमारे यहां के लोगों की दशा सुधर रही है और स्वर्ण युग आने वाला है। इस सम्बन्ध में मेरा अपना मत तो यह है कि स्वर्णकाल कलकत्ता-बम्बई के उद्योगपतियों के लिये भले ही हो गरीब कृषकों के लिये तो वह बहुत दूर है। स्वर्ण युग का निर्माण गरीबों और किसानों का बलिदान करके नहीं बनाया जा सकता।

आय-व्ययक के बड़े भारी आंकड़े दिखाने का हम लोगों को कोई विशेष लाभ नहीं होता। हमारे लिये तो आय-व्ययक का संक्षेप या सार लाभकारी है, जिसमें सब मुख्य और आवश्यक बातें दी गई हैं। मैं आशा करता हूं कि वित्त मंत्री इस बात की ओर ध्यान देंगे।

वित्त मंत्री ने सबसे बड़े साधन का उपयोग नहीं किया है, अर्थात् व्यय में मितव्ययता लाने का कोई उपाय नहीं किया है। फिजूलखर्ची, भ्रष्टाचार और अकुशलता के कारण हमारा बहुत रुपया बर्बाद होता है, जिसका कुछ भी लाभ नहीं होता। वित्त मंत्री प्रारम्भ से मितव्ययता की बातें तो कर रहे हैं, किन्तु उन्होंने अभी तक इसके लिये कुछ भी नहीं किया। उन्हें मितव्ययता लाने के लिये कोई उपाय करना चाहिये। जिस प्रकार सोने का मृग राम के सामने तो था, परन्तु उनके काबू में नहीं आया, वही अवस्था आज मितव्ययता सम्बन्धी वित्त मंत्री की प्रतिज्ञा की है। उन्हें चाहिये कि अधिक कर न लगाते हुये, वर्तमान व्यय में मितव्ययता लायें, और योजना के लिये धन बचायें। परन्तु दुःख की बात है कि इस उपाय का पालन नहीं किया जा रहा।

भ्रष्टाचार को रोकने के बारे में आपने एक बार संकल्प रखा था कि प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को आपनी आय और व्यय का विवरण देने के लिये कहा जायेगा, ताकि यह पता लगाया जा सके कि उनके पास फालतू रुपया कहां से आता है। आय-व्ययक का पहले से प्रकट हो जाने का कारण भी भ्रष्टाचार है। हमारे देश में भ्रष्टाचार इतना फैला हुआ है कि हमारे बड़े-बड़े रहस्य भी प्रकट हो जाते हैं। वित्त मंत्री की निष्ठा पर शत्रु भी सन्देह नहीं कर सकता, परन्तु जो लोग उनके चारों ओर रहते हैं, वे इन सब बातों की ओर उचित ध्यान नहीं देते और न ही इन बातों की पड़ताल करने का प्रयत्न ही करते हैं।

इसका परिणाम आय-व्ययक का समय से पहले ही प्रकट होना है। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया। जीवन बीमा व्यापार सम्बन्धी अध्यादेश भी पहले से ही मालूम हो गया था और अंश बाजार में कुछ सौदे भी पंजीबद्ध हो गये थे। मंत्री महोदय भी स्वीकार करते हैं कि किसी न किसी द्वारा यह सूचना बाहर गई। हमारे निर्धन देश का रुपया इस प्रकार बर्बाद नहीं होना चाहिये। करारोपण की छुरी से निर्धन लोगों का गला काटना सर्वथा अनुचित है। वित्त मंत्री बड़े चतुर और चालाक हैं। समवाय अधिनियम और बीमा राष्ट्रीयकरण के द्वारा उन्होंने कुछ प्रगतिशीलता दिखाई है, और पूंजीपतियों का कुछ कोप भाजन बनना स्वीकार किया है। परन्तु इस आय-व्ययक में गरीब लोगों पर अधिक कर लगाकर और धनी लोगों को कुछ छूट देकर दो कदम पीछे हटने का प्रयत्न किया है। इस प्रकार की नीति अच्छी नीति नहीं होती। एक कदम समाजवाद की ओर बढ़ाकर दो कदम पूंजीवाद की ओर बढ़ाने से समाजवादी ढंग का समाज नहीं बन सकता। हमें ईमानदारी के साथ काम करते हुये समाजवाद के मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं को हटाने का प्रयत्न करना चाहिये।

काश्मीर समस्या के बारे में कई सदस्यों ने कहा है कि पाकिस्तान का वहां शरारत करने का इरादा है। अमरीका उसको प्रोत्साहन दे रहा है ताकि हम भयभीत होकर प्रतिरक्षा पर अपना व्यय बढ़ायें और अपने रचनात्मक कामों को छोड़ बैठें । परन्तु हमें उस से भयभीत होकर अपने विकास कार्यों को नहीं छोड़ना चाहिये, जिन पर देश की समृद्धि सम्पन्नता निर्भर है। शस्त्रास्त्रों को बढ़ाने की बजाय लोगों में संतोष की भावना पैदा करके हम अपनी रक्षा और कर सकते हैं।

शेख अब्दुल्ला को वर्षों से जेल में बन्द कर रखा है। यदि उसके विरुद्ध कोई विशेष बात है, तो उस पर अभियोग चलाया जा सकता है, परन्तु इस प्रकार किसी व्यक्ति को उसके विचारों के कारण बन्द रखना उचित नहीं है। यदि भारत-विरोधी या कोई और बात उस के विरुद्ध न्यायालय में प्रमाणित हो जायेगी तो उसे दण्ड मिलेगा, परन्तु यदि उनके विरुद्ध आपके पास कोई साक्ष्य नहीं है तो उन्हें बन्द रखना सर्वथा अनुचित है।

श्री टेक चन्द उसे पाकिस्तान भेजने को कहते हैं। ऐसे प्रतिक्रियावादी और धर्मान्ध मनोवृत्ति वाले व्यक्तियों के हाथों में शक्ति नहीं होनी चाहिये। शेख अब्दुल्ला के विरुद्ध अभियोग चलाया जाय और अपराधी होने पर उसे दण्ड दिया जाय। परन्तु उसे इस प्रकार जेल में रखना प्रजातंत्र के सिद्धांतों के प्रतिकूल है। हमारा देश एशियाई देशों के लिये ज्ञान और प्रकाश का केन्द्र है। हमें काश्मीर के लोगों में एकता लाकर काश्मीर में अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहिये। पण्डित नेहरू अपने प्रभाव के द्वारा शेख अब्दुल्ला को समझा कर अपनी ओर कर सकते हैं। जब पड़ौसी देश सब प्रकार के शस्त्रास्त्रों से सज्जित हो रहे हैं, हमें इस प्रकार की निराशा और पराजय की भावना को त्याग देना चाहिये। काश्मीर समस्या के बारे में हमारे दिल में भय नहीं होना चाहिये। पाकिस्तानी आक्रमण का मुकाबला हमें रचनात्मक कार्रवाइयों द्वारा करना चाहिये। हमें रचनात्मक कार्यों की गति बढ़ानी चाहिये, ताकि देश के लोग समृद्ध और संपन्न बनें, और उनमें संतोष की भावना हो। जनता का संतोष सब से शक्तिशाली शस्त्र होता है।

श्रीमती कमलेन्दुमति शाह (जिला गढ़वाल—पश्चिम व जिला टिहरी गढ़वाल व जिला बिजनौर—उत्तर) : सभापति महोदय मैं आपको धन्वाद देती हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

वित्त मंत्री जी ने गत वर्ष के बजट में जो बचत दिखाई है उसके लिए मैं उनको बधाई देती हूं। अब मैं वित्त मंत्री के सम्मुख कुछ सुझाव पेश करती हूं।

हमें इस बात पर विचार करना है कि आय किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है। इस आय को बढ़ाने का एक उत्तम साधन तो मेरे खयाल में यह है कि विदेशों से जो आने वाली शराब है और शृंगार की वस्तुयें जो वहां से आती हैं, उन पर भारी कर लगाया जाय। हमें चाहिये कि हम देश में ही बनी हुई चीजों के इस्तेमाल को प्रोत्साहन दें और यदि हम इसमें कामयाब होना चाहते हैं तो हमारे लिये यह जरूरी है कि जो विदेशों से यह चीजें आती हैं उन पर भारी टैक्स (कर) लगाया जाये। अब सवाल यह उठता है कि यदि हमने ऐसा किया तो विदेशों से हमारा जो व्यापार चलता है उसका संतुलन हम कैसे रख पायेंगे। इस संतुलन को कायम रखने के लिये मेरा तो यह सुझाव है कि मशीनरी और यंत्र इत्यादि जो हमारे देश में नहीं बनते हैं, उनको हम विदेशों से मंगायें।

अब मैं शिक्षा के सम्बन्ध में थोड़ा सा कहना चाहती हूं। मुझे खेद है जिस ढंग की शिक्षा दी जा रही है वह संतोषजनक ढंग की नहीं है। साथ ही साथ शिक्षा के प्रसार के लिये इस बजट में पर्याप्त धन की व्यवस्था नहीं की गई है। जैसा कि टंडन जी कह चुके हैं और मैंने भी यह सुना है कि हमारे हिन्दी के टाइपराइटर्ज (टाइपराइटरों) में हिन्दी के अंक न हो कर अंग्रेजी के अंक होंगे। यह बात मुझे बहुत अजीब मालूम पड़ती है। आज जो अंक हिन्दी टाइपराइटर्ज में हिन्दी के हैं उनमें यह अचानक तब्दीली (परिवर्तन) मेरी समझ में नहीं आती। अन्य देशों में भी जो टाइपराइटर्ज उनकी भाषा के होते हैं

[श्रीमती कमलेन्दुमति शाह]

उनमें जो अंक होते हैं वह भी उन्हीं की भाषा के होते हैं। क्या कारण है कि हम अपने हिन्दी टाइपराटर्ज में अंग्रेजी के अंक रखने की बात सोच रहे हैं यह बहुत ही अजीब बात है और मैं चाहती हूं कि इसको अमल में न लाया जाये।

आज हमें यह देखना है कि हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था अधिकाधिक किस प्रकार से सुधर सकती है और विभिन्न योजनाओं को पूरा करने के लिये आय का हम क्या प्रबन्ध कर सकते हैं। इसके लिये—मेरा तो यह सुझाव है कि विभिन्न मंत्रालयों में और वस्तुओं की खरीद में जो अनावश्यक खर्च होता है उस पर अंकुश लगाया जाये। यदि इस ओर ध्यान दिया जाय तो आप इसमें अवश्य सफल हो सकते हैं और काफी रुपया बचा सकते हैं। इसके साथ ही साथ भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगाना जरूरी है। यदि आप ऐसा करेंगे तो मैं समझती हूं कि प्रतिवर्ष आपको जो कर लगाने पड़ते हैं या करों में जो बढ़ोत्तरी करनी पड़ती है, उसकी आपको आवश्यकता नहीं रहेगी। मैं समझती हूं कि करों का बोझ, जो उसे सह सकते हैं, उनके कन्धों पर पड़ा है। परन्तु मोटी धोतियों को छोड़कर अन्य मोटे कपड़े पर कर लगने से मध्यम श्रेणी के जो लोग हैं उनको कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। यह वह लोग हैं जो गरीब हैं या वह लोग हैं जिनके पास रोजगार नहीं है। साबुन, तेल, उस्तरों, डाक, तार, इत्यादि के बारे में जो कर लगाये गये हैं उनका असर भी मध्यम श्रेणी के जो लोग हैं उनपर पड़ेगा। अच्छा तो यह होता कि इसके बदले नाइयों की जो बड़ी-बड़ी दुकानें हैं, या जो ड्राई क्लीनिंग की दुकान हैं, जहां पर कि बड़े-बड़े लोग जाते हैं, उन पर कर लगाया जाता।

इसके साथ मुझे यह भी कहना है कि दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं के मूल्य सर्व-साधारण के खरीदने की शक्ति के अनुसार निर्धारित किये जाने चाहियें। यदि ऐसा किया जाय तो जो गरीब लोग हैं वह भी इन वस्तुओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। साबुन, कपड़े की ढुलान तथा कपड़े पर कर लगाने से सर्वसाधारण को यह महंगा मिलेगा। अप्रत्यक्ष रूप से इसका बोझ भी गरीब लोगों पर ही पड़ेगा।

निजी उद्योग, व्यापार तथा आय कर लगने से उद्योगपतियों में जो उत्साह है वह घटेगा। यह मैं इसलिये नहीं कह रही हूं कि मैं उद्योगपतियों का पक्ष लेती हूं या मैं उनकी तरफ से बोल रही हूं। परन्तु मेरा निजी विचार है कि इससे उनमें जो उत्साह है वह घटेगा। हमें चाहिये कि हम यह देखें कि जिनके पास रुपया है वह अपना रुपया देश को उन्नत बनाने के लिये खर्च करें। आय कर ९२ प्रतिशत बढ़ जाने से द्वितीय नियोजन काल में धनिक वर्ग ९५ करोड़ रुपया एकत्र करके देने का उत्साह कैसे करेंगे। जो मुर्गी सोने का अंडा दिया करती हो, यदि उसी का गला घोट दिया जाय तो फिर वह अंडा कहां से आयेगा।

मेरे विचार से तो प्राइवेट सैक्टर (गैर-सरकारी क्षेत्र) का उत्साह बढ़ाने का उन्हें संरक्षण देने से अधिक लाभ होता। भविष्य में टोटल वैल्थ (कुल सम्पत्ति) जैसे कर आरम्भ हो जाने के डर से सम्पत्ति वालों का मन व स्थिति प्राइवेट सैक्टर के साथ सहयोग और सहायता करने योग्य कैसे रह जायेगी। और सरकार की यह नीति कि सबका सहयोग लेना है, कैसे सफल हो सकेगी।

वाणिज्य व्यापार पर भी सरकार का एकाधिपत्य कहां तक लाभदायक है, यह भी एक विचारणीय विषय है। यदि सरकार को व्यापार का पर्याप्त अनुभव होता, या कार्यकर्ता सरकारी कार्य को मन लगाकर करते तो ठीक था, परन्तु व्यापार क्षेत्र में अनुभवहीन कर्मचारियों के बल पर, व्यापार का संचालन शंकाजनक है। यह सर्व विदित है कि सरकारी कर्मचारियों का सरकारी काम में अनुराग अधिक नहीं होता है।

अब मैं पशु पालन की ओर जाती हूं। पशुधन की रक्षा देश में उचित रीति से नहीं हो रही है। इसके लिये पर्याप्त धन देने की आवश्यकता है। केवल दो चार स्थानों पर पिंजरापोल या शालायें बना देने से हमारा काम पूरा नहीं हो जाता। भूमिहीनों के लिये हम भूमि एकत्र कर रहे हैं, तो उस भूमि का कुछ भाग पशुओं के चारे और गोचर भूमि के लिये भी हम रखें। अभी तक जो भूमि मांगी जा रही है वह भूमि

हीनों के लिये ही है। परन्तु पशु हमारे देश के सबसे बड़े धन हैं। उनके लिये भी भूमि अवश्य होनी चाहिये। मैं तो यह समझती हूं कि भारत गोरक्षा और गोसंवर्द्धन से ही समृद्धिशाली हो सकेगा न कि विविध प्रकार के आविष्कारों से।

इसके अतिरिक्त मुझे कुछ और सुझाव देने हैं। मेरा पहला सुझाव तो यह है कि हमको अपनी आय बढ़ानी चाहिये। हम आबपाशी (सिंचाई) से अपनी आय बढ़ा सकते हैं और नैचुरल रिसोर्सेज (प्राकृतिक संसाधनों) से भी आय बढ़ा सकते हैं। हमारे यहां ऐसे बहुत से स्थान हैं जहां बहुत सा धन पृथ्वी के अन्दर मौजूद है जैसे सोना, चांदी है, और इसके अतिरिक्त हमारे यहां लकड़ी की बहुत पैदावार है लेकिन यातायात के साधन न होने से हम उन चीजों का उपयोग नहीं कर सकते और उनके द्वारा अपनी आय नहीं बढ़ा सकते। आज से आठ साल पहले विलीनीकरण के समय मेरे यहां वनों में जो यातायात के साधन थे वही आज भी हैं। उनमें कोई उन्नति नहीं हुई। हमारे जंगलों में इतना धन भरा पड़ा है कि उसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता लेकिन उसको नीचे लाया कैसे जाय। केवल हम वहां की लकड़ी को गंगा और जमुना में बहा कर नीचे लाते हैं और कोई साधन नहीं है। इसलिये मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि हमारे यहां याातायात के साधन ज्यादा होने चाहियें। हमारी प्रांतीय (राज्य) सरकार ने बजट में इसके लिये कुछ राशि रखी है लेकिन वह पर्याप्त नहीं है। हमें इससे बहुत अधिक चाहिये।

एक आय का साधन और है। हमारे यहां पहाड़ों में बहुत से सुन्दर स्थान हैं। यदि उन स्थानों तक यातायात के साधन सुलभ कर दिये जायें तो बहुत से आदमी हमारे यहां उन सुन्दर स्थानों पर आयेंगे और इससे हमको बहुत आय हो सकती है।

मैंने अपने प्रांत में देखा है कि अधिकारियों की ढील के कारण जो रुपया हमारे लिये दिया जाता है वह पूरा खर्च नहीं होता और लैप्स (व्यपगत) हो जाता है और योजनायें अधूरी रह जाती हैं और जो काम एक वर्ष में पूरा होना चाहिये वह दो वर्ष में भी पूरा नहीं हो पाता।

मुझे एक बात और कहनी है। वह यह है कि सरकार जिस बात का आश्वासन दे उसे अवश्य पूरा किया जाना चाहिये। इस सम्बन्ध में मैं आपको एक दृष्टांत देना चाहती हूं। पिछले साल सरकार ने टेहरी गढ़वाल को पिछड़ा हुआ जिला घोषित किया और होम मिनिस्ट्री (गृहकार्य मंत्रालय) से उस विषय का मेरे पास पत्र भी पहुंचा। मुझे इससे बड़ी खुशी हुई और मैंने यह बात चारों ओर लोगों में फैला दी। लेकिन अभी हाल २६ फरवरी को मुझे एक पत्र मिला जिसमें लिखा गया था कि हम गलती कर बैठे थे कि हमने ऐसी घोषणा कर दी और आप हमको ठीक नहीं समझीं। मेरा निवेदन तो यह है कि गरीबों को मदद मिले चाहे आप घोषणा द्वारा उनकी मदद करें या किसी और प्रकार। यदि सरकार अपने वचन से मुकर जाती है तो उसका गरीब जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा और वे सरकार के बारे में क्या सोचेंगे। मेरे बारे में तो वहां के आदमी समझते हैं कि मेरे अधिकार में तो केवल यह है कि मैं उनकी बात को सरकार के सामने रख दूं, लेकिन उसको करना न करना तो सरकार के हाथ में है। इसलिये मुझे केवल यही चिन्ता है कि इसमें सरकार की ही बदनामी होगी और सरकार पर लांछन आयगा कि वचन पूरा नहीं किया। इस तरह की बातें नहीं होनी चाहियें। अगर यह सरकार का उद्देश्य है कि पिछड़े हुये स्थानों को उठाया जाये तो इस इलाके के लोगों को भी सरकार की तरफ से सहायता मिलनी चाहिये। जो सरकार उनके लिये देने का विचार कर चुकी है वह उनको दिया जाय यह मेरा निवेदन है। इसके लिये यदि कांस्टीट्यूशन (संविधान) में संशोधन करने की आवश्यकता हो तो इन गरीबों की दशा सुधारने के लिये वैसा भी किया जाना चाहिये। इसमें कोई हर्ज नहीं। मैं तो चाहती हूं कि गरीबों को कुछ तो मिले।

श्री ईश्वर रेड्डी (कड़पा) : जो बातें कही जा चुकी हैं, उनकी पुनरावृत्ति न करके मैं अपने आपको आय-व्ययक के केवल एक ही पहलू तक सीमित रखूंगा और वह है आंध्र राज्य के साथ उसका

†मूल अंग्रजी में

[श्री ईश्वर रेड्डी]

सम्बन्ध और उसके द्वारा हमारी परियोजनाओं और उद्योगों के लिये किया गया उपबन्ध तथा हमारी कुछ विकास सम्बन्धी योजनाओं के प्रति उसका रुख ।

सबसे पहले मैं नागार्जुन सागर परियोजना को लेता हूं । १९५६–५७ के आयव्ययक में इसके लिये ३ करोड़ रुपयों की एक छोटी सी राशि का उपबन्ध किया गया है। भारत की अन्य परियोजनाओं के लिये जिन राशियों का उपबन्ध किया गया है, उनमें यह सबसे कम है । यदि यही गति रही तो हम सहज ही यह कल्पना कर सकते हैं कि इसको पूरा करने में कितने दशक लग जायेंगे । स्वयं वित्त मंत्री ने अपने व्याख्यात्मक ज्ञापन में यह स्वीकार किया है कि यह दक्षिण भारत की सबसे विशाल परियोजना है । परन्तु मेरी यह समझ में नहीं आता है कि इसके लिये इस अत्यल्प राशि का ही उपबन्ध क्यों किया गया है । क्या इसलिये कि यह आंध्र में है ? यह व्यवहार भी बिल्कुल उस व्यवहार के ही समान है जो साधारणतः हमारे साथ किया जाता है । वास्तव में यह आंध्रों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है और उनके हृदयों को क्लेश पहुंचाता है ।

तुंग भद्रा परियोजना उच्चस्तरीय योजना के लिये रायला-सीमा की जनता दसियों वर्षों से लालायित है । उन्होंने उसे स्वीकार तो कर लिया है परन्तु प्रथम पंचवर्षीय योजना में उसके लिये कुछ भी नहीं किया गया । द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उन्होंने उसके लिये पांच करोड़ रुपयों का उपबन्ध किया है । परन्तु आय-व्ययक में यह देख कर आश्चर्य होता है कि उसके लिये कोई भी उपबन्ध नहीं किया गया है । यह कारण बताया जा सकता है कि मैसूर और आंध्र सरकारों के बीच जल के वितरण के प्रश्न पर विवाद चल रहा है । परन्तु यह कब तक चलता रहेगा ? यह परियोजना रायला-सीमा के सूखा पीड़ितों की सहायता करने के उद्देश्य से बनायी गयी थी । यदि सरकार ने इस पर तनिक भी गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिया होता तो जल्द ही इस विवाद को हल करके कार्य आरम्भ भी कर दिया गया होता । मैंने एक समाचार-पत्र में देखा कि आंध्र के उपमुख्य मंत्री ने कहा है कि यह मामला तय हो चुका है जब कि एक अन्य पत्र में कहा गया है कि मैसूर के मुख्य मंत्री श्री हनुमन्तैया ने कहा है कि यह अभी तय नहीं हुआ है । मैं योजना आयोग अथवा वित्त मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि यह मामला अभी तय हुआ है या नहीं ? यदि यह अभी तय न हुआ हो तो मैं सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि वह इसको तत्काल तय कराने की व्यवस्था करे और यह भी व्यवस्था करे कि यह परियोजना आरम्भ की जाये और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही पूरी कर दी जाये ।

एक अन्य अति विशाल उद्योग, हिन्दुस्तान शिपयार्ड, के सम्बन्ध में भी मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि इस उद्योग को विकसित करने के लिये भी केवल ८९.७९ करोड़ रुपयों की राशि का ही उपबन्ध किया गया है । भारत में संभवतः यही एक मात्र शिपयार्ड है । परन्तु इसके सम्बन्ध में प्रत्येक बात पर पूरा प्रकाश डालने के स्थान पर तटीय और समुद्र पार जाने वाले पोतों को क्रय करने के लिये नौवहन-कर्त्ताओं के लिये कुछ धन का उपबन्ध किया गया है । यदि द्वितीय पंचवर्षीय योजना अथवा प्रथम पंचवर्षीय योजना के वादों को पूरा करना संभव न हो तो कम से कम इसका ही विस्तार किया जा सकता था । इसलिये वित्त मंत्री से मेरा अनुरोध है कि इस उद्योग के लिये अधिक धन का उपबन्ध कर और इस बात की व्यवस्था करें कि इसको पूर्ण रूप से विकसित किया जा सके ।

मुझे यह देखकर भी आश्चर्य हुआ कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के लिये केवल ३ करोड़ रुपये दिये गये हैं । हाल ही में, पिछड़े इलाकों में अनेक विश्वविद्यालयों की स्थापना की गयी है । ऐसे विश्वविद्यालयों के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अधिक धन की आवश्यकता है । इसलिये वित्त मंत्री से मेरा अनुरोध है कि वह आयोग को अधिक धन दें जिससे कि वह पिछड़े इलाकों के विश्वविद्यालयों को पूर्णतया विकसित करने के उद्देश्य से अधिक धन दे सके ।

इन राशियों का उपबन्ध करने के अतिरिक्त भारत की आर्थिक स्थिति को विकसित करने के लिये कुछ नीतियों के निर्धारित किये जाने की भी आवश्यकता है । मुझे इस बात पर प्रसन्नता है कि भूमि की

[श्री ईश्वर रेड्डी]

अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी गयी है। परन्तु समाचार पत्रों में यह देखकर मुझे आश्चर्य हुआ कि आंध्र के मुख्य मंत्री ने उसकी खुले शब्दों में आलोचना की है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कोई मुख्य मंत्री योजना और उसमें निर्धारित नीतियों आदि की खुले आम आलोचना कर सकता है। यदि सरकार उन नीतियों को, जिनको उसने बनाया है और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में निर्धारित किया है, वास्तव में कार्यान्वित करना चाहती है तो उसको मुख्यमंत्री को स्पष्ट शब्दों में बता देना चाहिये कि वह इस प्रकार के अनुत्तरदायित्वपूर्ण वक्तव्य न दें।

अन्त में, मैं सरकार को इस बात की आवश्यकता समझाना चाहता हूं कि लोक-सभा द्वारा विभिन्न राज्यों को जो अनुदान दिये जाते हैं उनकी उचित जांच पड़ताल की जाये और उन पर नियंत्रण रखा जाये। जब धन का इस्तेमाल न किये जाने अथवा व्यपगत होने का प्रश्न लोक-सभा के समक्ष उठाया जाता है तो मंत्रीगण कहते हैं कि "हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, हम उसकी पड़ताल नहीं कर सकते हैं"। इस रुख से न जनता का भला होता है और न राज्यों का ही भला होता है। इसलिये सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह इस बात की व्यवस्था करने का कोई खोज निकाले जिससे कि राज्यों को हम जो अनुदान देते हैं उनका उचित और पूरा उपयोग किया जाये।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि आंध्र के प्रति उपेक्षापूर्ण अथवा सौतेला रुख अपनाना छोड़ दिया जाये और आंध्र जनता की उचित आवश्यकताओं को पूरा किया जाये।

†**श्रीमती जयश्री** (बम्बई-उपनगर) : हम लोग द्वितीय पंचवर्षीय योजना की देहरी पर खड़े हैं। इसके लिये सब से आवश्यक बात यह है कि हमारी समस्त योजनाओं की कार्यान्विति के लिये उचित वातावरण तैयार किया जाये। इस समय विभिन्न राज्यों में भाषा सम्बन्धी विवादों के कारण लोगों ने हिंसा और लूटपाट का ढंग अपनाया है। यह बड़े ही दुख की बात है कि जब हम विश्व को सहअस्तित्व का पाठ पढ़ा रहे हैं तब हम अपने पड़ोसियों के साथ अपने उपदेशों के अनुरूप व्यवहार करने में असफल रहे हैं।

बलिदान और त्याग करने की बातें बहुत भली प्रतीत होती हैं। हम बलिदान करने के लिये तैयार हैं। परन्तु इसके लिये उचित वातावरण होना चाहिये। यदि हम जनता के पास जायें तो वह हमसे पूछेगी—मैं तो कहूंगी कि हम पर उसका विश्वास उठ चुका है—कि इस बात की क्या गारंटी है कि हम जो धन देने जा रहे हैं उसका हम को लाभ प्राप्त होगा ?

मैं तो यह कहूंगी कि यह बड़े ही खेद की बात है कि, जैसा कि कांग्रेस के महामंत्री ने कहा है, इस समय वातस्व में देश का नैतिक स्तर ऊंचा उठाये जाने की आवश्यकता है। श्री टंडन जी के शब्दों में थोड़े परिवर्त्तन के साथ मैं भी यह कहूंगी कि देश की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के कार्य पर देश को नैतिक शिक्षा देने के कार्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिये। इसके लिये मातायें उत्तरदायी हैं। पहले मातायें और बाद में गुरुजन। शिक्षा के क्षेत्र में मैं अध्यापकों को अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानती हूं। यदि हम अच्छे अध्यापक रखें तो वह ऐसी शिक्षा प्रदान कर सकते हैं जो बच्चों के चरित्र में सुधार कर सके। हम अपनी भावी पीढ़ियों के लिये उत्तरदायी हैं। इन अध्यापकों का स्तर ऊंचा उठाने के लिये मेरी अपील है कि उनको उचित पारिश्रमिक दिया जाना चाहिये। मुझे बताया गया है किसी-किसी स्थान पर तो उनको चपरासियों से भी कम—२२ रुपये तक वेतन दिया जाता है। मेरी अपील है कि यदि हम अपने देश का चरित्र ऊंचा उठाना चाहते हैं तो हमारे अध्यापक उचित ढंग से चुने हुये होने चाहियें और उनको उचित पारिश्रमिक दिया जाना चाहिये।

बेरोजगारी की समस्या के सम्बन्ध में मैं यह कहूंगी कि हमने छोटे पैमाने के उद्योगों पर उचित ध्यान नहीं दिया है। इस समय हम दस्तकारी-उद्योगों को संरक्षण देना चाहते हैं। मेरा अनुरोध है कि छोटे

†मूल अंग्रेजी में

पैमाने के उन उद्योगों का, जो बड़े उद्योगों से सम्बद्ध हैं, अध्ययन किया जाना चाहिये। हमारी ऐसी कोई योजना होनी चाहिये कि जिसके द्वारा बड़े और छोटे उद्योग एक साथ मिलकर कार्य कर सकें और हमारे छोटे पैमाने के उद्योग गांवों में फैलाये जा सकें जिससे कि हमारे गांव भी समृद्ध हो सकें। इस प्रकार से हम उन लोगों को भी जो गांवों में बेरोजगार हैं कार्य दे सकते हैं और गांवों का जीवन-स्तर ऊंचा उठाने में सहायता प्रदान कर सकते हैं। यही दो बातें हैं जिनको मेरे विचार से द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लिया जाना चाहिये।

अन्त में मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि हम उस धन का उपयोग नहीं कर पाये हैं जिसको कि हमने प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं के लिये अलग कर दिया था। मुझे बताया गया है कि जल-कलों के सम्बन्ध में विशेष कार्य नहीं किया गया है। उन लोगों से, जो उस कार्य के प्रकारी हैं मेरा यह अनुरोध है, कि वह यह देखें कि हम इन योजनाओं को क्यों कार्यान्वित नहीं कर सके हैं। ऐसे अनेक प्रविधिविज्ञ बेरोजगार हैं जो इस कार्य को कर सकते हैं। दूसरी ओर हम विदेशी विशेषज्ञों को बुला रहे हैं। इसलिये शिक्षितों में फैली बेरोजगारी को दूर करने के लिये भी मेरा अनुरोध है कि उन पर उचित ध्यान दिया जाये और विदेशों से कम से कम विशेषज्ञ बुलाने का प्रयास किया जाये।

†**श्री एम० डी० जोशी** (रत्नागिरि दक्षिण) : यह आय-व्ययक परिस्थितियों के अनुसार कार्य करने की हमारे देश की तथा वित्त मंत्री की क्षमता का समान रूप से परिचायक है। वित्त मंत्री के भाषण को सुनने में ही नहीं वरन् बाद को पढ़ने में भी आनन्द आता है। यह इसलिये है कि न केवल उनकी शैली और वाक्चातुर्य ही श्रेष्ठ वरन् इसलिये भी कि इसमें आशा और कल्याण का संदेश भी दिया गया है।

उनके भाषण से यह प्रगट होता है कि भारत विदेशी प्रतियोगिता के क्षेत्र में उतर आया है और उसमें टिकने के लिये उसको अपने उपकरणों का आधुनिकीकरण करना है। हमारा इस समय का सरकारी ढांचा और उसकी कार्य संचालन प्रणाली ब्रिटिश नमूने के आधार पर स्थापित है। हम उसको भारतीय ढंग की समाजवादी प्रणाली में परिवर्तित करना चाहते हैं। इसलिये मैं यह चाहता हूं कि हमारा नमूना ऐसा होना चाहिये जिसमें भारत की संस्कृति और उच्च परम्परायें प्रतिबिम्बित हो सकें। भारत की उच्च परम्परायें हमारे आय-व्ययक में उस सीमा तक प्रतिबिम्बित नहीं होतीं जितनी कि भारत के महान् सपूत-आचार्य विनोबा भावे के संदेशों में प्रतिबिम्बित होती हैं जिन्होंने उद्योगपतियों को यह परामर्श दिया है कि वह मुनाफा कमाना छोड़ दें, प्रन्यासी के रूप में अपनी सम्पत्ति का उपयोग करें और अपनी आय का छठवां भाग सम्पत्तिदान में अर्पित कर दें। यदि उद्योगपति और 'लक्ष्मीपतिराज' यह परामर्श स्वीकार करलें तो वित्त मंत्री को उन पर कर लगाने के लिये इतनी सफाई देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि भारत अपनी आत्मा को सुरक्षित रखना चाहता है, अपनी परम्पराओं और दृष्टिकोण की शुद्धता को अक्षुण्ण बनाये रखना चाहता है तो यह कार्य केवल उसको अच्छी शिक्षा देकर ही पूरा किया जा सकता है।

[**पंडित ठाकुर दास भार्गव** पीठासीन हुये]

शिक्षा के सम्बन्ध में, मुझे खेद से कहना पड़ता है कि भारत में शिक्षा का समन्वय नहीं है। शिक्षा के बारे में राज्य का अपना-अपना कार्यक्रम है। बम्बई राज्य में बच्चे के लिये प्राथमिक शिक्षा ६ वर्ष की आयु से शुरू होती है। कुछ राज्यों में यह पांच वर्ष की आयु से शुरू होती है। बम्बई राज्य में माध्यमिक शिक्षा १७ वर्ष पर समाप्त हो जाती है। अतः बम्बई के बच्चे सेना और नौसेना की प्रतियोगिता परीक्षाओं में नहीं बैठ सकते हैं। केन्द्रीय सरकार को यह असुविधा शिक्षा में समन्वय स्थापित करके दूर करनी चाहिये। प्राइमरी अध्यापकों के वेतनों में भी समन्वय स्थापित किया जाना चाहिये।

प्रतिरक्षा का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। हमें अपनी सेना को आधुनिकतम शस्त्रों से सुसज्जित करना है। भारत का समुद्रीतट ३००० मील लम्बा है, किन्तु हमारी नौसना बहुत अपर्याप्त है। वाणिक-पोत

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमती जयश्री]

नहीं के बराबर हैं। हमें वणिक-पोतों के नाविकों के लिये प्रशिक्षण स्कूल खोलने चाहियें। पश्चिमी तट पर ऐसे स्कूल के खोले जाने की हम मांग करते रहे हैं।

दूसरी योजना में रेलवे के लिये बहुत कम धन दिया गया है। माननीय वित्त मंत्री जानते हैं कि उनका निर्वाचन क्षेत्र और मेरा निर्वाचन-क्षेत्र दोनों निर्धन हैं और दोनों में रेलवे नहीं है। यद्यपि वह योजना निर्माताओं में से हैं, उन्होंने इन क्षेत्रों की ओर ध्यान नहीं दिया है। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इन क्षेत्रों में रेलवे लाइन बनाये जाने के लिये धन की मंजूरी दें।

†**वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख)**: अन्तिम वक्ता के भाषण से स्पष्ट होता है कि मुझ पर यह आरोप नहीं लगाया जा सकता कि वित्त मंत्री होने के नाते मैंने अपने निर्वाचन-क्षेत्र या राज्य या किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र में जिसका मुझ से सम्बन्ध हो, कोई विशेष रूचि ली है।

आय-व्ययक की चर्चा से प्रकट होता है कि समय गुजरने के साथ-साथ इसमें कुछ कटुता आ गई है। तथापि मैं कह सकता हूं कि सदन में आय-व्ययक का जो स्वागत किया है वह प्रतिकूल नहीं है। अधिकतर टिप्पणियां और आलोचनायें सहायता करने की दृष्टि से की गई है और बड़ी ईमानदारी से की गई है।

अपने उत्तर में, मैं उन् मामलों के बारे में कुछ नहीं कह सकूंगा जिनके सम्बन्ध अन्य मंत्रालयों से हैं। उनमें से एक अपनी सफाई प्रस्तुत कर चुका है। मुझे आशा है कि अनुदानों की मांगों पर चर्चा के समय शेष मंत्रालय भी अपनी-अपनी सफाई पेश करेंगे। इनमें वैदेशिक-कार्य मंत्रालय, प्रतिरक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, श्रम मंत्रालय आदि सम्मिलित हैं। जहां तक शिक्षा का सम्बन्ध है उत्तर दिया जा चुका है। मुझे इस में संदेह नहीं कि बाद में इसके सम्बन्ध में एक अनुपूरक उत्तर दिया जायेगा।

पुनर्वास के सम्बन्ध में मंत्री महोदय ने मुझे बताया है कि प्रतिकर के प्रयोजनों को छोड़ कर और संभवतः पुनर्वास वित्त निगम से ऋणों के मामलों को छोड़ कर मीरपुर और अन्य क्षेत्रों से आये विस्थापित व्यक्तियों के साथ वही व्यवहार किया जाता है, जो पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों से किया जाता है। उन्होंने कहा था कि ऋणों के सम्बन्ध में वह मेरे मंत्रालय से बातचीत करने का विचार करते हैं।

प्रतिकर के सम्बन्ध में माननीय सदस्य यह अनुभव करेंगे कि काश्मीर के झगड़े को ध्यान में रखते हुये सैद्धांतिक दृष्टि से हम इन्हें पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्ति नहीं समझ सकते। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय उन महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देंगे जो माननीय सदस्य ने इस विषय में कहीं हैं।

एक माननीय सदस्य ने हिन्दी का प्रश्न उठाया था। जहां तक आय-व्ययक पत्रों के हिन्दी में अनुवाद करने का सम्बन्ध है, हम पूरा प्रयत्न करते हैं। मुझे आशा है कि अगले वर्ष माननीय सदस्यों को आय-व्ययक की प्रतियां हिन्दी में मिल सकेंगी और यदि संभव हुआ तो वित्त विधेयक की प्रतियां भी हिन्दी में दी जायेंगी, किन्तु मैं इस सम्बन्ध में कोई वचन नहीं दे सकता। माननीय सदस्य अनुभव करेंगे कि पारिभाषिक शब्दों के अनुवाद में काफी कठिनाइयां पेश आती हैं। किन्तु मैं अवश्य कोशिश करूंगा।

माननीय सदस्यों की सामन्य आलोचनायें उनकी विचारधाराओं के अनुरूप ही रही हैं। संभवतः कुछ अपवाद भी है, किन्तु वे सदन के इस भाग से हैं। सामान्यतया आय-व्ययक की यह आलोचना की गई है कि हमारी प्रगति बहुत धीमी है या बहुत तेज है। किन्तु मेरे विचार में अधिकांश सदस्यों की राय यह है प्रगति ठीक दिशा में और ठीक गति से हो रही है।

कुछ माननीय सदस्यों ने आय-व्ययक और मेरे भाषण से यह निष्कर्ष निकाला है कि मैंने यह प्रयत्न किया है कि समाजवादी ढंग के समाज के निर्माण में सरकार ने जो प्रगति की है, उसके लिये सरकार की

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रशंसा की जाये। किन्तु अपने भाषण में समाजवादी ढांचे का एक बार भी उल्लेख न करने के कारण मुझे दोषी ठहराया गया है।

मुझे पंचवर्षीय योजना की पहली कड़ी को क्रियान्वित करने की अधिक चिन्ता थी। इस योजना की प्रारुप रूप रेखा प्रकाशित हो चुकी है और सदन को आगे चल कर इस पर सविस्तार चर्चा करने का अवसर मिलेगा।

कुछ शिकायतें यह थीं कि विरोधी दलों के परामर्श किये बिना बहुत सी प्रस्थापनायें प्रस्तुत की जाती हैं। मैं इस आलोचना को उचित नहीं समझता, क्योंकि यह आय-व्ययक—जो कि छठा है—एक ऐसी योजना को क्रियान्वित करने का प्रयत्न है, जिसे सदन अनुमोदित कर चुका है या कुछ समय पश्चात करने वाला है। इस अनुमोदन को प्राप्त करने में विरोधी पक्ष और विभिन्न संसदीय दलों को आय-व्ययक का पूर्णरूपेण अध्ययन करने और अपने सुझाव देने का प्रत्येक संभव अवसर दिया जाता है। कुछ माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि उनके सुझावों पर सविस्तार विचार किया जाये। मैं चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में वे मुझे अपने विचारों से सूचित करें, जैसा कि दो माननीय सदस्य कर भी चुके हैं। हम उनके साथ बातचीत करने के बारे में यह प्रयत्न करेंगे कि अपने समान उद्देश्यों को प्राप्त करने का कोई उपयोगी तरीका निकाला जाये, जिसके लिये केवल सरकार की सराहना न की जाये। हमें अब अनुभव करना चाहिये कि इस समय हम एक ऐसे प्रयत्न में रत हैं जिसे वास्तव में राष्ट्रीय प्रयत्न समझा जा सकता है और यद्यपि चुनाव समीप हैं तथापि किसी दल की ओर से विशेषतया सत्तारूढ़ दल की ओर से, यह दावा किया जाना कि देश में जितनी भी प्रगति हुई है, केवल उसी के कारण हुई है ठीक नहीं है। इस गलत फहमी को दूर करने के लिये मैंने अपने भाषण में जनशक्ति और जन साधारण के व्यवहार की ओर निर्देश किया था।

आय-व्ययक पर चर्चा करते समय, योजना सम्बन्धी बातों और इस वित्तीय विवरण विशेष सम्बन्धी बातों को अलग नहीं किया जा सकता है। यदि वाद-विवाद का विश्लेषण किया जाये, तो अनुभव किया जायेगा कि माननीय सदस्यों के भाषणों का अधिकांश भाग दूसरी योजना की प्रारूप रूपरेखा पर चर्चा करने के लिये अधिक उपयुक्त हो सकता है। यह दुर्भाग्य की बात है कि हम इस रूपरेखा को ६ मास पहले प्रकाशित नहीं कर सके। यदि समय होता, तो ऐसा करना ही उचित था। किन्तु यह बिल्कुल असंभव था और योजना आयोग, राज्य सरकारों और केन्द्रीय मंत्रालयों को यह रूपरेखा बहुत जल्दी में तैयार करके देनी पड़ी है। तथापि यह माननीय सदस्यों के सामने है। इसमें इन बातों के कारण बताये गये हैं कि विशिष्ट प्राथमिकता क्रम क्यों अपनाये गये हैं, कुछ प्रदेशों के साथ कथित उचित व्यवहार क्यों नहीं किया जा सकता है और माननीय सदस्यों के सुझावों के अनुसार उद्योगों को स्थापित करना व्यावहारिक क्यों नहीं समझा गया इत्यादि। यदि मैं इन विषयों की चर्चा नहीं कर सकता हूं, तो इससे यह नहीं समझना चाहिये कि मुझे उनके प्रति सहानुभूति नहीं है। उचित समय आने पर सरकारी दल के सदस्य इन बातों का सविस्तार उत्तर देंगे। उदाहरण के लिये सरकारी या गैर-सरकारी क्षेत्र के विकास को कितना महत्व दिया जाये, या ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों के विकास को कितना महत्व दिया जाये और समाजवादी ढंग के समाज का निर्माण कैसे किया जाये, ऐसे ही प्रश्न हैं। यदि मेरे पास समय होता, तो मैं कुछ मामलों पर चर्चा करता, किन्तु मेरे पास समय बहुत कम है। तथापि मैं एक मामले की चर्चा अवश्य करना चाहता हूं जिसका उल्लेख अनेक बार किया गया है, और वह है 'सुन्दर ग्राम आंदोलन' का मामला। मैं फिर भी कहता हूं कि मैं माननीय सदस्य के सुझाव से पूर्णतया समहत हूं और मैंने इसे सामुदायिक परियोजना प्रशासन और योजना आयोग तक पहुंचा दिया है। मालूम होता है कि उन्होंने अभी तक यह काम अलग से शुरू नहीं किया कि किसी वर्तमान ग्राम को आदर्श ग्राम में परिवर्तित किया जाये, किन्तु जहां बाढ़ के बाद ग्रामों का पुनर्निर्माण करना पड़ा है, वहां सामुदायिक परियोजना प्राधिकारी सम्बन्धित मंत्रालय के ग्रामीण आवास के विशेषज्ञों को इन ग्रामों का नक्शा तैयार करने और इन्हें आदर्श ग्राम बनाने के लिये अवश्य भेजते हैं। मुझे मालूम हुआ है कि ऐसा कार्य मध्य प्रदेश और पेप्सू के कुछ भागों में और दिल्ली

[श्री सी० डी० देशमुख]

के समीप भी किया जा रहा है। माननीय सदस्य संभवतः यह भी जानते होंगे कि इस प्रकार का एक गैर-सरकारी आंदोलन श्री तुगडोजी महाराज द्वारा भी चलाया जा रहा है। उन्होंने मध्य प्रदेश और हैदराबाद के ग्रामों में यह काम शुरू किया है और उन्होंने अपनी विचारधारा को 'ग्रामगीता' नामक मराठी पुस्तक में व्यक्त किया है। इसका वह अन्य बहुत सी भारतीय भाषाओं में अनुवाद भी करेंगे।

इन प्रारंभिक बातों के बाद, अब मैं माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये प्रश्नों को लेता हूं। पहला आय-व्ययक के आर्थिक कृत्यों के बारे में था। हम मानते हैं कि आर्थिक स्थिति को ठीक-ठीक निश्चित रूप से आंकना और अन्य स्थानों पर प्रयोग किये गये आय-व्ययक के विश्लेषण और उपस्थापन के तरीकों से पूर्ण लाभ उठाना आवश्यक है। मैंने एक मामले का पिछले वर्ष भी उल्लेख किया था और मैंने भंडारा के सदस्य को, जिन्होंने इस प्रश्न को उठाया था यह आश्वासन दिया था कि इन प्रश्नों पर विचार किया जा रहा था। वास्तव में हम कुछ वर्षों से इस मामले का अध्ययन करते रहे हैं। मुख्य बात राष्ट्रीय आय आंकड़ों का क्रमबन्धन, परिष्करण और शीघ्र संकलन है। आपको स्मरण होगा कि पहली पंचवर्षीय योजना में एक परिशिष्ट है जिसका शीर्षक है 'राष्ट्रीय आय-व्ययक और योजना' है। इसमें हमने एक राष्ट्रीय आय-व्ययक बनाने के दृष्टिकोण की उपयोगिता और इस सम्बन्ध में दूर की जाने वाली कठिनाइयां बताई थीं। यह पहली योजना के प्रत्येक के पृष्ठ १००—१०१ पर आप को मिलेगा।

इस दिशा में एक आवश्यक कार्यवाही सरकारी आय-व्ययकों की कृत्यशीलता और आर्थिक दृष्टि से पुनवर्गीकरण करना है। अर्थव्यवस्था पर राजकोषीय कार्यवाहियों के प्रभाव को आंकने के लिये, न केवल केन्द्रीय बल्कि राज्य सरकारों की—वास्तव में समस्त सरकारी प्राधिकारियों की—प्राप्तियों तथा शोधनों के प्रभावों को एक साथ देखना आवश्यक है। चूंकि हमारी व्यवस्था संघानीय है और आंकड़ों को बहुत से प्रलेखों से इकट्ठा करना पड़ता है, इसलिये उन देशों में जहां केन्द्रीय आय-व्ययक लेखे सरकारी प्राधिकारियों की राजकोषीय कार्यवाहियों से सम्बन्धित होते हैं, यहां यह काम अधिक कठिन हो जाता है।

दूसरा पग यह है कि इन पुनवर्गीकृत लेखों का सम्बन्ध अपनी राष्ट्रीय आय या राष्ट्रीय व्यय के संगत भागों से स्थापित किया जाये। इसका अर्थ यह है कि यह दूसरे आंकड़े भी एक साथ उपलब्ध होने चाहियें। बाद में मैं यह बताऊंगा कि राष्ट्रीय नमूना परिमाप के प्रतिवेदन प्राप्त करने में, जिनका इससे कुछ सम्बन्ध है, विलम्ब होने के क्या कारण हैं।

मैं यह बताना चाहूंगा कि यह काम कैसे किया जा रहा है। केन्द्रीय सांख्यकीय संस्था का राष्ट्रीय आय एकक पिछले कुछ वर्षों से राष्ट्रीय लेखे तैयार कर रहा है। इन लेखों में कुल राष्ट्रीय व्यय में सरकारी व्यय के अंश के प्राक्कलन और कुल राष्ट्रीय आय में सरकारी प्राधिकारियों की आय को बताया गया है। सरकारी व्यय को चालू व्यय और पूंजी निर्माण व्यय में बांटा जाता है। सरकारी प्राप्तियों का भी आर्थिक श्रेणियों के अनुसार वर्गीकरण किया जाता है। इसी प्रकार राष्ट्रीय आय एकक द्वारा तैयार किये गये लेखों में उन सौदों का विश्लेषण होता है, जो हम संसार के शेष देशों से करते हैं। मार्च १९५५ में केन्द्रीय सांख्यकीय कार्यालय द्वारा प्रकाशित किये गये १९४८-४९ से १९५३—५४ तक की राष्ट्रीय आय के प्राक्कलनों में, इस प्रकार के सविस्तार विश्लेषण वर्ष १९५२—५३ तक के दिये गये हैं। १९५३—५४ के प्राक्कलन भी अभी हाल में तैयार किये गये हैं और मुझे आशा है कि यह शीघ्र ही प्रकाशित कर दिये जायेंगे। मैं सदन को आश्वासन देता हूं कि इस दिशा में हमने कार्य आरम्भ कर दिया है। हमें मालूम हुआ है कि यह काम बहुत देर में किया जाता है। इसके कारण क्या हैं ?

पहली बात यह है कि जिस वर्ष के लिये राष्ट्रीय लेखे संकलित किये जाते हैं, उसकी समाप्ति के कुछ समय बाद ही सम्बन्धित आंकड़े मिल पाते हैं। जबकि पिछली घटनाओं के मूल्यांकन के बारे में कठिनाइयां हैं तो यह स्पष्ट है कि आगामी वर्ष सम्बन्धी कल्पनायें और भी कठिन होंगी और यह भी आवश्यक है कि राष्ट्रीय या आर्थिक आय-व्ययक पिछले एक या दो वर्ष की घटनाओं से सम्बन्धित एक

क्रमबद्ध कल्पना ही होती है । यह बात सर्व मान्य है कि हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था ब्रिटेन या अमरीका जैसी सुसंगठित नहीं है और इसलिये कुछ क्षेत्रों के गतिविधि के स्तर सम्बन्धी आंकड़े सरलता से मिल नहीं पाते हैं । और जब हम इस बात की तह में जाते हैं तो हमें यह ज्ञात होता है कि विश्लेषण या जांच प्रणालियों के और भी आधुनिक और संस्कृत साधन खोजे जा सकते हैं ।

उससे हमारे समक्ष सभी प्रकार के समस्यायें जिनमें संभवत: सदन को दिलचस्पी हो, उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे वस्तु संकलन खपत और प्रदाय में प्रविधिक सम्बन्ध और आय और मूल्य परिवर्तनों के सम्बन्ध में मांग का लचीलापन , आदि । और मुझे विश्वास है कि श्री अशोक मेहता को रेखीय कार्यक्रम बनाने और मात्रा और उसके परिवर्तन की जानकारी है । अब विश्लेषण की प्रणालियां और साधन बदल रहे हैं ।

†**श्री ए० एम० थामस** (एरणाकुलम) : उसके बारे में हमें कोई ज्ञान नहीं है ।

†**श्री सी० डी० देशमुख** : मेरी भी स्थिति यही है : मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि हमें विकास के साथ-साथ प्रगति करनी चाहिये । किन्तु मेरा ख्याल है कि हम अपनी दशाओं के लागू किये गये राष्ट्रीय आय के लेखे के विभिन्न संघटक अंगों के प्राक्कलनों को पूर्ण बनायें, यही बात फिलहाल महत्व-पूर्ण है । और इन प्राक्कलनों को पूर्ण कर लेने के पश्चात् ही हम आर्थिक निदान की किसी संधिबद्ध प्रणाली को विकसित कर सकते हैं ।

हमारे वित्त मंत्रालय के आर्थिक विभाग में कृत्यशील अर्थ व्यवस्था, आय-व्ययकों के पुनवर्गी-करण के लिये एक ब्यौरेवार योजना है और वर्गीकरण के जो उपाय हमने खोज निकाले हैं उनकी उपयो-गिता अथवा व्यवहार्यता को जानने के लिये १९५६–५७ के केन्द्रीय आय-व्ययक का विश्लेषण किया जा रहा है । जैसा कि मैंने बताया, हमारे समक्ष कई प्रविधिक प्रश्न और प्राक्कलनों सम्बन्धी प्रश्न हैं और इन पर शीघ्र ही वित्त मंत्रालय और केन्द्रीय सांख्यकीय कार्यालय के प्रविधिविज्ञों और रिज़र्व बैंक के गवेषणा विभाग के मध्य चर्चा होगी ।

मैंने इस बात के लिये कुछ समय इसलिये लिया है क्योंकि यह बात बार-बार उठाई गई है और मैं यह नहीं चाहता हूं कि सदन की यह धारणा हो कि जो बात अत्यन्त आवश्यक और वांछनीय है वह उसे बताई नहीं जा रही है । इसलिये मैं उसके शाब्दिक अर्थ में कुछ और जोड़ना नहीं चाहता हूं । (**अन्तर्बाधाएं**) मैं माननीय सदस्यों का विशेषकर श्री अशोक मेहता का ध्यान, अगस्त, १९५१ के '**इकनामिका**' में श्री ई० डीवन्स द्वारा लिखे गये एक लेख की ओर, आकर्षित करना चाहता हूं । उस लेख में, श्री डीवन्स ने ग्रेट ब्रिटेन में प्रत्येक वर्ष के आर्थिक सर्वेक्षण के पदों में आर्थिक नियोजन के सम्बन्ध में अपने अनुभवों की समीक्षा की है । पूंजी विनियोजन के बारे में, जिसमें हमें विशेष दिलचस्पी है, उनका निष्कर्ष इस प्रकार है :

> "साधारणत: जिन क्षेत्रों में विनियोग में वृद्धि किये जाने की आयोजना थी वहां योजना से कम वृद्धि हुई और जहां कमी की आवश्यकता थी वहां वह पूर्ण रूप से नहीं की जा सकी ।"

वह कहते हैं :

> "इस प्रकार यदि कोई व्यक्ति एक स्फीतिकारी स्थिति से प्रारंभ करता है और यह मान लेता है कि आगामी वर्ष में विनियोग एक अधिक ऊंचे स्तर पर होगा और वह केवल भौतिक नियंत्रणों से सीमित होगा, और यदि यह मान ले कि उपभोक्ता व्यय का भार इतना होगा कि उसे समभाजन द्वारा नियंत्रित करना आवश्यक होगा, और यदि यह मान लिया जाये कि सरकार के बढ़े हुए व्यय की तुलना करारोपण की अधिक ऊंची दरों से नहीं की जा सकेगी, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इन धारणाओं पर बनाई गई राष्ट्रीय लेखों की व्यवस्था

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री सी० डी० देशमुख]

का परिणाम व्यक्तिगत बचत के शेष आंकड़े में होता है जिसके स्वयं होने की कोई संभावना नहीं है ।"

अंत में आप कहते हैं :

"प्रथम सर्वेक्षण में जिस आयोजना प्रणाली की कल्पना की गई थी १६५१ तक उसमें से अधिकांश अदृश्य हो चुकी थी.....१६५१ के सर्वेक्षण ने इस क्रिया को पूर्ण कर दिया । आगामी वर्षों के लिये आंकड़ों के विषय में जितने निर्देश थे वह वस्तुतः अदृश्य हो गये थे ।"

मैं इस बात पर और अधिक विस्तारपूर्वक नहीं कहूंगा ।

व्याख्यात्मक ज्ञापन में तथ्यों के प्रस्तुतीकरण के बारे में कुछ आलोचनायें की गई हैं, उन्हें मैं अब लेता हूं । उदाहरण के लिये श्री बंसल जहां-जहां आय-व्ययक उपबन्ध दिखाये गये थे वहां वह पिछले वर्षों के वास्तविक आंकड़े जानना चाहते थे । इस सुधार को करने की हम यथासंभव कोशिश करेंगे । किन्तु मैं यह भी बता दूं कि कुछ मामलों में वास्तविक आंकड़े देना व्यवहार्य नहीं होगा क्योंकि वे सामान्य व्यय में विभिन्न उपशीर्षकों के अन्तर्गत मिले हुए होते हैं । आगामी वर्ष के लिये आय-व्ययक उपबन्धों की जानकारी, प्रति वर्ष के लिये सम्मोदित की गई नई मदों से प्राप्त की जाती है, और यदि इन मदों के बारे में पिछले वर्ष के वास्तविक आंकड़े भी दिये जाते हैं, तो इस बात की कल्पना आसानी से की जा सकती है, कि लेखा शीर्षकों की संख्या में काफी वृद्धि हो जायेगी, जिससे कि संभव है कि हमारी लेखा पद्धति अधिक जटिल हो जाये । वह "दिल्ली में राजधानी" प्रविष्टि के बारे में कुछ स्पष्टीकरण चाहते थे । यह लेखा शीर्ष १६१२ में, दिल्ली में नई राजधानी बनाये जाने का निर्णय किये जाने के बाद, बनाया गया था । उसके बाद से, नई दिल्ली के निर्माण कार्यों से सम्बन्धित सभी पुंजी व्यय उक्त शीर्ष के अन्तर्गत अभिलेखित किये जाते रहे हैं । इसी प्रकार पुरानी दिल्ली और दिल्ली कैन्टोनमेंट के बारे में जो ऐसे व्यय हैं उन्हें अलग से लिखा जाता है । इसलिये इस अभिव्यक्ति का कोई विशेष अर्थ है ऐसी कोई आशंका उन्हें नहीं होनी चाहिये ।

आय-व्ययक पत्रों के तथाकथित विभेदों की विस्तृत आलोचना डा० लंका सुन्दरम् द्वारा की गई है । उनकी प्रत्येक आलोचना के लिये मेरे पास अत्यन्त संतोषजनक उत्तर है, किन्तु सदन को इन सब विवरणों में दिलचस्पी होगी या नहीं इसमें मुझे सन्देह है । इसलिये आपकी अनुमति से मैं माननीय सदस्य को एक पत्र भेजूंगा जिसके द्वारा मुझे आशा है कि मैं यह सिद्ध कर सकूंगा कि हम सही हैं और वह गलत है ।

माननीय सदस्य अत्यन्त निष्पक्ष हैं और मुझे विश्वास है कि वह संतुष्ट हो जायेंगे ।

अब मैं एक अत्यन्त महत्वपूर्ण बात को लेता हूं जिसने कई सदस्यों का ध्यान आकर्षित किया है, और वह यह है कि घाटे की अर्थ-व्यवस्था के बारे में हम किन परित्राणों को रखने की प्रस्थापना करते हैं । मैं निवेदन करता हूं कि यह हमारी आयोजना का सार है । मुझे प्रसन्नता है कि जहां तक कि सामान्य सिद्धांत का सम्बन्ध है, अधिकांश सदस्य इस बात पर सहमत हैं कि सीमित वित्त प्रबंधन आवश्यक है और देश की विकसित हो रही आर्थिक स्थिति के लिये वांछनीय है । सभा को यह ज्ञात है कि कुछ परिसीमायें होती हैं और संभवतः प्रत्येक व्यक्ति को यह भी ज्ञात है कि उनकी पहले से ही व्याख्या नहीं की जा सकती है । इसलिये आय-व्ययक भाषण में मैंने जो कुछ कहा था उसे मैं दुहराता हूं—कि जहां कहीं भी हम कुछ खतरा उठा रहे हों । परित्राणों के बारे में कोई अग्रिम जानकारी की मांग करने के अतिरिक्त, बहुत ही कम सदस्यों ने, केवल एक को छोड़, अग्रिम उपाय का सुझाव दिया है । डा० कृष्णास्वामी ने कहा है कि हमें व्यय में कमी करनी चाहिये । किन्तु मैं समझता हूं कि अधिकांश सदस्य योजना के कुल आकार में और आय-व्ययक में जिस व्यय के लिये उपबन्ध किया गया है उसमें भी कमी किये जाने को पसंद नहीं करेंगे । माननीय सदस्यों को आंकड़े भलीभांति विदित हैं । पूंजी व्यय में

लगभग ५० करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई है। इसलिये यह कहा जा सकता है कि विकास सम्बन्धी हमारी जो गति इस समय है उसे बनाये रखना उसका उद्देश्य है। कई सदस्यों ने व्यक्तिगत रूप से उन विषयों के सम्बन्ध में जिनमें कि उन्हें रूचि है, आवंटित राशि में वृद्धि किये जाने के सुझाव दिये हैं और मुझे खेद है कि मेरे सहयोगी भी इससे अछूते नहीं रहे हैं। कल ही शिक्षा उपमंत्री ने यह इच्छा व्यक्त की थी कि यदि शिक्षा के लिये १००० करोड़ रुपये होते बजाय.....मैं वह राशि भूल रहा हूं.....

†**श्री टी० एस० ए० चेट्टियार** (तिरुपुर) : ३२० करोड़ रुपये।

†**श्री सी० डी० देशमुख** : हां, ३२० करोड़ रुपये। कतिपय माननीय सदस्यों ने उपायों के सुझाव दिये हैं। उदाहरण के लिय कंडारा के माननीय सदस्य ने नियंत्रणों के लगाये जाने का सुझाव दिया है। दूसरी ओर कुछ माननीय सदस्यों ने नियंत्रणों के प्रति घोर विरोध व्यक्त किया है मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं है कि जब हम कोई निर्णय करने की अवस्था में पहुंच जायेंगे तो सदस्यों के विचारों में जो इतना भेद है वह नहीं रहेगा। कुछ सदस्यों ने यह विचार प्रकट किया है कि घाटे की अर्थ-व्यवस्था एक प्रकार का अप्रत्यक्ष करारोपण होगा। एक दृष्टि से यह सच है, क्योंकि यदि मूल्यों में वृद्धि होती है, तो जनसाधारण को करारोपण के रूप में कहीं अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। समग्र समाज के दृष्टिकोण से, जैसा कि बिहार की महिला सदस्या ने बताया, मुद्रा स्फीति के विरुद्ध वास्तविक संरक्षण केवल अतिरिक्त उत्पादन है, किन्तु यह उत्पादन की जो योजना हमने अपनाई है उसके अनुरूप होना चाहिये। किसी योजना को अपना लेने के बाद, उत्पादन के परिमाण को बढ़ाने के लिये हमारे पास कोई उपाय नहीं रह जाते हैं।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

जब तक ईश्वर ही हम पर प्रसन्न न हो जाये। इसलिये स्वयं इस योजना में मुद्रा स्फीति के भार को ठीक करने के लिये आयोजन होना चाहिये। मैं कहना चाहता हूं कि जब घाटे की अर्थ-व्यवस्थ के आंकड़े निर्धारित किये जायें तो योजना की क्रियान्वित के फलस्वरूप उत्पादन में होने वाली संभाव्य वृद्धि पर भी विचार किया जाना चाहिये। इसलिये घाटे की अर्थ-व्यवस्था के द्वारा उत्पन्न हुई अधिक क्रय शक्ति का कुछ भाग अतिरिक्त राष्ट्रीय उत्पादन में हुई वृद्धि द्वारा संतुलित कर दिया जायेगा। हम आशा करते हैं कि विकास की क्रिया से अर्थ-व्यवस्था की गतिशीलता में जो वृद्धि होगी उसके परिणामस्वरूप भी क्रय-शक्ति का कुछ भाग संतुलित होगा। अर्थ शास्त्रियों द्वारा यह बात मानी जा चुकी है, कि कुछ विशिष्टदशाओं में नकद पूंजी को रोके रखने की लोगों की इच्छा काफी अधिक हो जाती है अतिरिक्त क्रय-शक्ति को, करारोपण, उधार लेना और छोटी बचत आदि के जरिये से राज्य कोष में वापिस ले लेने के कई उपाय हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि बम्बई नगर के सदस्य ने अपने भाषण में पूरे समय छोटी बचत योजना में सुधार करने के लिये एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन किये जाने का समर्थन किया है जिससे हम योजना आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य से भी आगे जा सकें। जहां आयात की मांगों में वृद्धि होती है वहां मुद्रास्फीति के दबाव भुगतान शेष को भी प्रभावित करता है। और इसलिये हमें आंशिक रूप से आयातों को नियंत्रित करना होगा। किन्तु ऐसी आशा है कि अतिरिक्त आयात चालू भुगतान के बिना ही प्राप्त होंगे और आयात आधिक्य को बढ़ाने का वही एकमात्र उपाय है जैसा कि माननीय महिला सदस्या ने कहा है। कम्यूनिस्ट पार्टी के उप-नेता ने कहा कि उपभोक्ता वस्तुओं का आयात अवांछनीय था। किन्तु मुद्रा स्फीति दबावों के प्रसंग में यह ध्यान में रखा जाना चाहिये कि उपभोक्ता वस्तुओं के अतिरिक्त आयात अर्थ-व्यवस्था के लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकते हैं। और वास्तव में अब भी हम उन सभी वस्तुओं का आयात कर रहे हैं जिनकी हमारे पास कमी है, जैसे सीमेंट, लोहा और इस्पात। यह बात स्वीकार की जानी चाहिये कि किसी भी बड़े पैमाने के विकासोन्मुख प्रयास में मुद्रा स्फीति के

†मूल अंग्रेजी में

[श्री सी० डी० देशमुख]

दबाव किसी विशेष हद तक अन्तर्निहित होता है । इस कठिनाई की ओर से आंखें बन्द कर लेने की कोई अर्थ नहीं रखता है, किन्तु मेरा ख्याल है कि समग्रत: मुद्रा स्फीति के साथ विकास, स्थिरता के साथ संचय की अपेक्षा कहीं अधिक अच्छा है । महत्व की बात मूल आवश्यकताओं से सम्बन्धित वस्तुओं के मूल्यों को अत्यधिक बढ़ने से रोकने की है क्योंकि इन्हीं के कारण मूल्यों के बढ़ने के लिये अनूकूल वातावरण तैयार होता है ।

मेरा ख्याल है कि श्री बंसल ने यह सुझाव दिया था कि वस्त्रोद्योग जैसे उपभोक्ता वस्तु उद्यम के लिये कुछ अतिरिक्त क्षमता का होना मुद्रा स्फीति के विरुद्ध एक मूल्यवान परित्राण है । जहां तक गणित का सम्बन्ध है यह बात सही है । जहां तक योजना का सम्बन्ध है, मेरा ख्याल है कि वह गलती पर है क्योंकि जितनी अतिरिक्त क्षमता मौजूद है उस सभी का लाभ उठाना और जबकि सभी पूंजी स्रोतों को काम में लाया जाना अपेक्षित है तब किसी संभाव्य मुद्रा स्फीति का सामना करने के लिये अतिरिक्त क्षमता के हेतु एक विचारपूर्वक योजना बनाना इन दोनों बातों में परस्पर बहुत अंतर है । और इस सम्बन्ध में अतिरिक्त जनशक्ति के रूप में अतिरिक्त क्षमता के प्रयोग की संभावना पर भी विचार किया जाना चाहियें । माननीय सदस्यों ने इस आशय की मांग की है कि मुद्रा स्फीति के विरुद्ध में बचाव के लिये मैंने किन सुरक्षात्मक साधनों को काम में लाने का निश्चित किया है यह उन्हें पहले ही बता दिया जाये । मेरा ख्याल है कि उसे पहले ही बता देना ठीक नहीं है । आखिरकार इस शास्त्रागार के प्रमुख शस्त्रों का सभी को ज्ञान है : राज्यकोषीय नीति, धन नीति, आयात-निर्यात नियंत्रण, राज्य कोषीय आवंचन, वितरण का नियंत्रण और, इन सब शस्त्रों को स्थित्यनुसार प्रयोग में लाया जाता है क्योंकि जनता में मुद्रा स्फीति से बचने की और मुद्रा स्फीति के विरोध में सरकार जो उपाय करती है उनसे भी बचने की प्रवृत्ति होती है । इसलिये यही कहा जा सकता है कि स्थिति पर सावधानीपूर्वक विचार किया जायेगा, और सदन इस बात के प्रति आश्वस्त रहे कि हम आवश्यक कार्यवाही करेंगे । किस स्थिति में और किस हद तक यह उपाय काम में लाये जायेंगे यह बात व्यक्तिगत निर्णय पर निर्भर करती है । ऐसे मामलों में वही उपाय काम में लाये जाने चाहियें जो राजा रघु ने प्रयुक्त किये थे : "फलानुमेया प्रारम्भा: संस्कारा: प्राक्तना इव" ।

आपको अपनी कार्यवाही प्रथम ज्ञात हो जानेवाले परिणामों की घोषणा से ज्ञात होनी चाहिये, उपाययोजना की अग्रिम घोषणा नहीं की जानी चाहिये ।

बेकारी के प्रश्न पर उपमंत्री ने बहुत कुछ कहा और उस सम्बन्ध में मैं और कुछ नहीं कहूंगा । आखिर को बात यह रह जाती है कि क्या ऐसे कोई तथाकथित श्रम खोजी उपाय हैं जिनसे सेवायोजन के विस्तार में वृद्धि की जा सकती है और विवाद की बात इसलिये उठती है कि उससे कितनी संख्या सम्बद्ध है और मिलों को किस हद तक कपड़े का जिसकी जनता को आवश्यकता होगी, अतिरिक्त उत्पादन करने दिया जायेगा या वैकल्पिक रूप से, हमें सुधारे गये चरखों और हथकरघों पर निर्भर रहना होगा । मैं यह नहीं कह सकता हूं कि इस बारे में कोई अंतिम निर्णय किया गया है या नहीं, किन्तु जो प्रारम्भिक आंकड़े मैंने देखे हैं, उनसे यह प्रतीत होता है, कि १०० करोड़ गज कपड़े के अतिरिक्त उत्पादन के लिये सूत तैयार करने में पांच वर्षों में १५० करोड़ रुपये से कुछ ही कम राशि व्यय होगी जिसमें से लगभग ८० करोड़ रुपये—प्रतिवर्ष १६ करोड़ रुपये—वित्तीय सहायता के रूप में दिये जाने आवश्यक होंगे । इसलिये जब मैंने राज्य-सभा में करारोपण का उल्लेख किया तब मैंने कहा कि हमारे मौजूदा अनुमानित आधिक्य को, जो कि केन्द्र और राज्यों के लिये ३५० करोड़ रुपये और आगामी करारोपण में केन्द्र का हिस्सा २२५ करोड़ रुपये और राज्यों के लिये २२५ करोड़ रुपये, को काम में लाने के अतिरिक्त हमें कोई २०० करोड़ रुपये और वसूल करने हैं जो कि किसी असाधारण आवश्यकता, सुरक्षा आदि के लिये काम में लाये जायेंगे ।

†**डा० लंका सुन्दरम्** : बेरोजगारी के बारे में, प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रथम आवंटन के अतिरिक्त आवंटित किये गये १७५ करोड़ रुपये के क्या परिणाम हुये इस बात की जानकारी क्या आप सदन को दे सकते हैं ?

†**श्री सी० डी० देशमुख** : शिक्षा उपमंत्री ने एक आंकड़ा दिया था । उन्होंने बताया था कि कोई अस्सी हजार शिक्षकों को सेवायुक्त किया गया था । इसके अलावा छोटे सिंचाई कार्य भी थे । मेरे पास इस समय आंकड़े नहीं हैं । किन्तु उन्हें प्राप्त करना असंभव नहीं होना चाहिये । हम जानते हैं कि छोटे सिंचाई कार्यों में कितने मजदूर खपाये जा सकते हैं । मेरे पास आंकड़े तो नहीं हैं परन्तु वह दिये जा सकते हैं । यह जानने के कई तरीके हैं कि प्रत्यक्ष रूप से कितने लोगों को रोजगार मिला है और यह आंकड़े बताये जा सकते हैं ।

†**डा० लंका सुन्दरम्** : मेरा प्रश्न यह है कि योजना के लिये १७५ करोड़ रुपये की और व्यवस्था किये जाने के पश्चात कितने व्यक्तियों को रोजगार मिला ।

†**श्री सी० डी० देशमुख** : मैं इसी का उत्तर देने का प्रयत्न कर रहा हूं, बिना गणना किये आंकड़े नहीं बताये जा सकते हैं । मैं इस बात को योजना आयोग के ध्यान में लाऊंगा । मुझे केवल यह कहना है कि १७५ करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय के परिणामस्वरूप कितने व्यक्तियों को रोजगार मिला इसके आंकड़े बताना बड़ा कठिन है । यह आंकड़े कुछ समय के पश्चात उपलब्ध होंगे । मैं यह कहने वाला था कि अब कठिनाई इस बात की नहीं है कि विभिन्न कार्यों में प्रत्यक्ष रूप से कितने लोगों को रोजगार मिला है । सिंचाई अथवा विद्युत् अथवा उद्योग के सम्बन्ध में ऐसे आंकड़े बताना सम्भव है । "ऐसे काम के लिये एक अधिक व्यक्ति को नियुक्त करने पर १,००० रुपया खर्च होगा ; जबकि किसी अन्य पर १०,००० रुपये या २०,००० रुपये ।" केवल इसी तरीके से रोजगार की कुल संख्या जानी जा सकती है और क्योंकि द्वितीय योजना में संगठित उद्योगों पर ज्यादा जोर दिया जाने की संभावना है इसलिये रोजगार संभाव्यता के कम रहने की ही सम्भावना है । इसीलिये २६५ या २०० करोड़ रुपये—का एक पृथक् आवंटन करने का सुझाव दिया गया था—ताकि अतिरिक्त विनियोजन व्यय के परिणामस्वरूप समाज को जिन उपभोगता वस्तुओं की आवश्यकता पड़ेगी उसे पूरा करने के लिये गहन श्रम पद्धति को प्रयोग में लाया जा सके ।

राष्ट्रीय आय के बारे में भी कुछ बातें कही गई थीं क्योंकि कराधान सम्बन्धी नितियों को सूचित करने में इसका काफी महत्व है । एक माननीय सदस्य ने कहा कि हम नहीं जानते कि राष्ट्रीय आय को किस प्रकार खर्च किया जा रहा था । उन्होंने कहा कि हमें इस बात का पता होना चाहिये कि इससे किन को लाभ पहुंचता है और हमें चाहिये कि हम अपने कर प्रस्तावों को इन विशिष्ट विषयों से, अथवा उनसे जिनकी आय बढ़ी है, सम्बद्ध करें । पहली बात यह है कि देश में हुई अधिक आय जिन विभागों में खर्च हुई है क्या उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना वांछनीय है । इस दृष्टिकोण से कोई विवाद नहीं है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि सम्बन्धी एक साधारण विवरण से कोई विशेष लाभ नहीं होता है । राष्ट्रीय आय के प्राक्कलनों में कृषि, छोटे प्रतिष्ठान, कारखाना प्रतिष्ठान आदि के पृथक् आंकड़े दिये गये हैं, परन्तु माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि अतिरिक्त आपका वितरण श्रमिकों, वेतन भोगी वर्ग और किराया लेने वालों इत्यादि में किस प्रकार हुआ । यदि कोई इससे भी आगे बढ़ कर यह जानने का भी प्रयत्न कर सकता है कि बड़े, मध्यम श्रेणी के और छोटे किसानों इत्यादि को कितनी आय हुई । परन्तु दुर्भाग्य से इसकी पूर्त्ति नहीं हो सकती ।

इस प्रकार की जानकारी से लाभ होगा, इस बात से कोई इनकार नहीं करता है । परन्तु इस देश में इसे एकत्र करना कठिन है । उन्नत देशों में समुदाय की अधिकतर आय पर आय-कर लगता है इस-

†मूल अंग्रेजी में

[श्री सी० डी० देशमुख]

लिये आय कर विवरणों का विश्लेषण करके आय के वितरण का अनुमान सरलतापूर्वक लगाया जा सकता है परन्तु भारत में आय-कर विवरणों का विश्लेषण करने से केवल एक स्थिति का आभास मात्र मिल सकता है जिसे सीमान्त या उससे भी विषम कहा जा सकता है। इसलिये विभिन्न वर्गों की आर्थिक अवस्था में होने वाले परिवर्तनों का पता लगाने के लिये हमें समय-समय पर किये गये विशेष अध्ययन पर निर्भर करना पड़ता है। उदाहरणतः कुछ समय पूर्व हमें कृषि श्रमिकों के रहन-सहन की अवस्था की एक विस्तृत जांच करनी पड़ी थी। गवेषणा कार्यक्रम समितियों, ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण किया गया था। इनसे विभिन्न वर्गों के रहन-सहन की अवस्था के बारे में हमें अधिक पता चलेगा ।

कुछ सदस्यों ने कारखानों की आय के वितरण के प्रश्न का निर्देश किया। इस समय बहुत से उद्योगपति कारखानों की आय का विश्लेषण मजूरी, वेतन, किराये आदि के आधार पर करते हैं, और अनेक उद्योगों के सम्बन्ध में नमूना सर्वेक्षण के आधार पर अधिक विस्तृत जानकारी एकत्र की जा रही है। कारखानों म मजूरी बढ़ाने के प्रश्न पर भी विचार किया जा रहा है। कुछ सदस्यों ने भारत के रिजर्व बैंक द्वारा किये गये समवाय सन्तुलन पत्र का विश्लेषण किये जाने की ओर भी निर्देश किया। कई प्रकार से इस समस्या को हल करने का प्रयत्न किया जा रहा है, परन्तु कोई ऐसे सुविधाजनक साधन इस समय उपलब्ध नहीं हैं जिनके द्वारा प्रत्येक वर्ष की आय के वितरण का तुरन्त एक नक्शा खींचा जा सके।

दूसरा प्रश्न आय पर कर लगाने के सम्बन्ध में है। केवल कराधान क्षमता पर ही प्रत्यक्ष कर लगाया जा सकता है और अप्रत्यक्ष कराधान के बारे में सामान्य समग्र स्थिति का सावधिक मूल्यांकन ही किया जा सकता है। परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि वर्तमान करारोपण के भार और अग्रेतर करारोपण के क्षेत्र के बारे में हाल ही में करारोपण जांच आयोग द्वारा जांच की गई थी और हम आयोग के सुझावों के अनुसार ही कार्य कर रहे हैं ।

अगला प्रश्न यह है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा में उल्लिखित सभी कर मैंने एक बार ही क्यों नहीं लगा दिये ? मेरा साधारण उत्तर यह है कि मैं पांच वर्ष के लिये आय-व्ययक प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं और न हीं एक वित्त अधिनियम पांच वर्ष के लिये पारित किया जा रहा है। इस समय हम केवल पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष के लिये व्यवस्था कर रहे हैं। मैंने यह पहले ही बता दिया है कि हमें यह देखने के लिये कि हमारी राजस्व आवश्यकतायें क्या हैं दूसरी पूंजी विनियोजन सम्बन्धी आवश्यकता क्या है इस प्रश्न पर प्रति वर्ष विचार किये जाने की आवश्यकता है और उसी को देखते हुये संसाधनों की व्यवस्था की जा सकती है कर लगाने के अन्य तरीके भी हैं, जिनके लिये गहन अध्ययन और अनुसन्धान की आवश्यकता है। विशेषकर इन मामलों की प्रशासन सम्बन्धी सम्भावनाओं पर विचार किया जा रहा है। यह तो केवल एक रूपरेखा है; इस पर किसी ने हस्ताक्षर नहीं किये हैं और सदस्य इस पर अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं।

लोक-सभा के सदस्य प्रत्यक्ष करों और आय के सम्बन्ध में अवश्य ही जानना चाहते होंगे। मैंने इसकी प्रति व्यक्ति के आधार पर गणना की है, भारत में प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को जिसकी आय २८४ रुपये हो ९ रुपये अप्रत्यक्ष कर देना पड़ता है। यह लगभग ३ प्रतिशत होता है। यह सभी के द्वारा दिया जाता है। इसमें विभिन्न स्तर हो सकते है परन्तु प्रतयास्था बहुत ज्यादा नहीं हो सकती है। उदाहरणतः बुरे वस्त्र और अच्छे वस्त्र पहनने वालों में १:२ का अनुपात हो सकता है। इसी प्रकार अन्य वस्तुओं के सम्बन्ध में भी स्थिति है। परन्तु हमारे लिये ९ रुपये प्रति व्यक्ति के औसत के आधार मान लेना ही काफी होगा। इसके अतिरिक्त आय-कर देने वालों को यह देना पड़ता है। ५००० रुपये से ८४०० रुपये की आय वाले व्यक्तियों को १६० रुपये प्रति व्यक्ति कर देना पड़ता है। यह ९ रुपये के अतिरिक्त है ।

†**श्री अशोक महता** (भंडारा) : प्रति व्यक्ति या प्रति करदाता ?

†**श्री सी० डी० देशमुख** : प्रति करदाता। वही परिवार का प्रमुख व्यक्ति होता है। प्रत्येक निर्धार्य के परिवार के व्यक्तियों की संख्या से, जो कि साढ़े चार या पांच होगी, इसे गुणा कर लें, ८४०० रुपये से १०,००० रुपये तक की आय वालों के लिये यह ३६० रुपये है। मैं सभी आंकड़े नहीं दूंगा। मैं ५५००० रुपये के बारे में बताऊंगा क्योंकि माननीय सदस्य ५०००० रुपये या ६०००० रुपये को ही सीमा समझते हैं। ५५००० रुपये से एक लाख रुपये तक की आय वाले निर्धार्य को ३०००० रुपये देना पड़ता है। यह ४५ रुपये प्रति परिवार के अतिरिक्त है। अन्तिम वर्ग एक लाख से २० लाख रुपये तक की आयु वालों का है। इसका औसत ७५००० रुपये प्रति परिवार है। निर्धार्यों की संख्या पांच लाख से कुछ कम है और निर्धार्यों के सभी वर्गों का योग १८५० रुपये प्रति निर्धार्य है। यह करदाता की आय का लगभग १६ प्रतिशत है। इसलिये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के अनुपात के प्रश्न पर अधिक समय देने और अप्रत्यक्ष करों को कम करने के वित्त मंत्री के कथित वायदे के पूरा न किये जाने पर उसे बुरा भला कहने से कोई लाभ नहीं होगा। जैसा कि मैंने राज्य सभा में भाषण देते समय कहा था कि इससे किसी देश में हुये विकास का पता चलता है। युद्धकाल और उन वर्षों को छोड़ कर जब कि निर्यात शुल्क बहुत ज्यादा थे मेरे विचार से यह ४० और ६० रहा है। मुझे इस में सन्देह नहीं कि ज्यों-ज्यों देश का विकास होगा त्यों-त्यों प्रत्यक्ष करों की प्रतिशतता बढ़ेगी, परन्तु हमें यह स्वीकार करना होगा आगामी पांच वर्ष के लिये भी करारोपण की कोई ऐसी योजना नहीं बनाई जा सकती जिसमें केवल प्रत्यक्ष कर ही लगाये गये हों। मैंने गणना की है कि आय-कर से कुल कितनी प्राप्ति होगी। सम्भव है कि १० करोड़ अथवा २० करोड़ रुपये का कर अपवंचन होता हो। मैं तो नहीं जानता परन्तु सांख्यकी बनाने वालों ने जो चार्ट बनाये हैं उनसे पता चलता है कि कर अपवंचन इतना ही होता है। यदि इस मामले में हम उच्चतम आदर्श को प्राप्त कर लें तो २० करोड़ रुपया और प्राप्त हो सकता है। यदि विमुक्ति सीमा को, जो इस समय ४२०० रुपये है, घटा दिया जाये और प्रशासन सम्बन्धी कठिनाइयों को दूर कर लिया जाये तो तीन या चार करोड़ रुपया और प्राप्त हो सकता है। आय की उच्चतम सीमा को घटा कर निम्नतम और उच्चतम आयों के अन्तर को दूर करते हुये धनी लोगों से कुछ अधिक प्राप्ति हो सकती है। इससे ३ या ४ करोड़ रुपया और मिल सकता है। उस प्रणाली से केवल इतना ही किया जा सकता है। सच तो यह है कि इस समय देश की ३८ करोड़ जनसंख्या में से पांच लाख ही आय करदाता हैं और यदि आप इसे पांच से गुणा करें तो ३८ करोड़ में से केवल २५ लाख लोग आय-कर देने वाले वर्ग में आते हैं। इस लिये जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा, यदि समस्त पूंजीपति और सम्पत्ति वाले वर्ग, का अन्तर कर दिया जाये तो भी देश के विकास कार्यक्रम का भार अधिकांश रूप से देश के निवासियों के कंधों पर ही रहेगा। अतः यह प्रश्न एक स्थायी न्याय का है, और मैं लोक-सभा से निवेदन करूंगा कि वह इस मामले में कोई द्वेषपूर्ण दृष्टिकोण न अपनायें। हमें यह भी सोचना चाहिये यदि धनिक वर्ग इसी तरह विलासिता का जीवन व्यतीत करता रहे तो निर्धन वर्ग को और अधिक परिश्रम करने के लिये उत्साह तथा प्रेरणा मिलती रहेगी। पर यह बात सभी स्वीकार करेंगे कि हमारा देश निर्धनों का देश है और निर्धनों द्वारा बचाये हुये धन से ही उसे अपना विकास करना पड़ेगा।

करारोपण के बारे में प्रत्येक वर्ष यह प्रश्न किया जाता है कि धन का प्रयोग किस कार्य के लिये किया जाता है। मितव्ययिता के बारे में मुझे जो कुछ कहना था वह मैं कह चुका हूं। प्रशासनिक मित-व्ययिता से भी कोई बड़ी भारी बचत नहीं होगी। हमारा विचार तो यह है कि योजना को कार्यान्वित करनें में अपव्यय और फिजूलखर्ची न हो। केवल केन्द्रीय सरकार के कार्यों के सम्बन्ध में ही नहीं बल्कि राज्य सरकारों के कार्यों के सम्बन्ध में भी इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिये। मैं आशा करता हूं कि इन प्राधिकारियों के कार्य की व्यवहारिक लेखा परीक्षा करने से हमारी स्थिति ऐसी हो जा सकती है जिस

†मूल अंग्रेजी में

[श्री सी० डी० देशमुख]

में कि हम धन का अधिक उपयोग कर सकें; परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि हमारी धन आवश्यकता कम हो जायेगी । सम्भव है कि हमें और भी अच्छे परिणाम प्राप्त हों । फिर भी हमारे सामने तनिक बड़े कार्यक्रम के लिये संसाधनों के बढ़ाने की समस्या रहेगी । अतः विकास कार्य के लिये संसाधन ढूंढने आवश्यक हैं और, प्रत्येक आवश्यकता को केवल खर्च में कमी करके पूरा नहीं किया जा सकता है । इस प्रकार का यह तर्क संगत नहीं होगा ।

व्यय पर संसद् के नियन्त्रण और उप समितियां स्थापित करने आदि के बारे में विशेषकर अनुपूरक मांगों के बारे में भी कहा गया था । मुझे इस सुझाव के ठीक होने में सन्देह है क्योंकि संविधान के अनुसार अनुपूरक अनुदानों को आय-व्ययक प्राक्कलनों के समान समझा जाना अपेक्षित है जिन का पहले पुनरीक्षण नहीं किया जाता है । हम लोक-सभा को अतिरिक्त अनुदानों के कारणों का पूरा ब्यौरा बताने का प्रयत्न कर रहे हैं ताकि वह इसका ठीक तरह परीक्षण कर सके । अनुपूरक अनुदानों का सम्बन्ध समस्त प्राक्कलनों से होता है और मुझे सन्देह है कि उन के परीक्षण से कोई विशेष लाभ होगा । मुझे इसका अनुभव है, क्योंकि पहले स्थाय्री वित्त समिति इनका निरीक्षण किया करती थी, और मैं देखता था कि वह बहुत कम अवसरों पर कोई विशेष कमी किये जाने का सुझाव दे सकती थी । समय का भी प्रश्न उत्पन्न होता है क्योंकि सरकार को इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि सभी आवश्यकतायें और अनुमानित आधिक्य अनुदानों में सम्मिलित कर लिये जायें । इसी कारण अनुदान इस समय से पूर्व प्रस्तुत नहीं किये जा सकते । निगम इत्यादि कई मामलों की जांच करने के लिये लोक-सभा की कई स्थायी समितियां नियुक्त किये जाने के बारे में कहा गया, पर इन प्रश्नों पर कई बार विचार किया जा चुका है । इन मामलों के विषय में मेरा कोई दृढ़ निश्चय नहीं है, और वित्त मंत्री होने के नाते, मैं सार्वजनिक व्यय की प्रत्येक मद् की जांच किये जाने का स्वागत करता हूं । परन्तु मेरा विचार है कि केवल समितियों की संख्या बढ़ाने से ही नियन्त्रण की वह भावना पैदा नहीं की जा सकेगी जिस से प्रशासन को व्यय सम्बन्धी निर्देश दिये जा सकें । पहले स्थापित की जा चुकीं समितियों, विशेषकर लोक लेखा समिति, को लेखा परीक्षा प्रतिवेदन से काफी सहायता मिलती है और यदि आवश्यकता हो तो किसी विशेष विषय की जांच के लिये वह उपसमितियां भी नियुक्त कर सकती हैं ।

भविष्य में भी हमें कराधान सम्बन्धी ब्यौरों की जांच करने के अवसर मिलेंगे, इसके लिये आगे भी अवसर आयेंगे । कुछ माननीय सदस्यों ने कराधान की मुख्य-मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कर ही दिया है, और मुझे विश्वास है कि निगमों पर प्रस्तावित निगमित कराधान के औचित्य के सम्बन्ध में श्री मुरारका ने एक बहुत ही विश्वासोत्पादक उत्तर दिया था और विशेषकर बोनस शेयरों के सम्बन्ध में उन्होंने यह बिल्कुल ठीक बताया था कि वह कराधान की एकीकृत योजना के ही अंग हैं । आप बोनस शेयरों पर कर लगाये बिना लाभांशों पर कर नहीं लगा सकते, और आप लाभांशों पर कर लगाये बिना बोनस शेयरों पर कर नहीं लगा सकते ।

मेरे विचार से एक और काफी महत्वपूर्ण बात है, और मुझे उसका उल्लेख करना चाहिये, और वह है भारत और ब्रह्मा में दोहरे कराधान के प्रश्न के सम्बन्ध में । मैं लोक-सभा को बताना चाहता हूं कि दोहरा कराधान हटाने के सम्बन्ध में एक समझौता करने के लिये ब्रह्मा की सरकार के साथ वार्ता चल ही रही है, और आयकर अधिकारियों को इस प्रकार के स्पष्ट अनुदेश जारी कर दिये गये हैं कि दोहरे कराधान वाली प्रत्येक आय के अलग-अलग मामले में भारतीय कर के संग्रह को उस सीमा तक रोक दिया जाय जिस सीमा तक कि भारत तथा ब्रह्मा दोहरा कराधान अनुतोष आदेश, १९३६ के पुराने आधार पर भारत में उस पर उचित रूप में अनुतोष दिया जाता । मुझे यह विश्वास कर लेने का कोई भी कारण नहीं दिखाई देता है कि इन आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है, लेकिन यदि ऐसे कुछ मामले हैं तो मुझे आशा है कि इसका उल्लेख करने वाले, मद्रास के माननीय सदस्य उनकी सूचना संबन्धित आय-कर आयुक्त को दे देंगे ।

†**श्री यू० एम० त्रिवेदी** : (चितौड़): यह आदेश कब जारी किया गया था ?

†**श्री सी० डी० देशमुख** : यहां मेरे पास उसकी जानकारी नहीं है। मेरी धारणा है कि यह आदेश हाल ही में जारी किये गये हैं। इसके बाद, एक और भी महत्वपूर्ण प्रश्न था, जिस पर शायद वित्त विधेयक पर हुई चर्चा के समय विचार प्रकट नहीं किये जा सके थे, और वह है उत्पादन-प्रशुल्क में खण्ड पद्धति का प्रयोग। उत्पादन प्रशुल्क में इस पद्धति का प्रयोग अपेक्षाकृत अभी हाल ही की एक घटना है। आज-कल यह पद्धति दियासलाइयों, रंग रौगनों और कपड़े के शक्ति चालित करघों के सम्बन्ध में प्रयुक्त की जा रही है। संचित आरोपणों के सम्बन्ध में भी एक खण्ड पद्धति का प्रयोग किया जाता है। लेकिन, इनका प्रयोग खण्ड पद्धति पर उत्पादन शुल्क आरोपित करने वाली एक योजना के एक अंग की अपेक्षा छोटी इकाइयों की सहायता करने के लिये ही अधिक किया गया है।

माननीय सदस्य द्वारा उलिखित व्यापार संस्थाओं विशेष के सम्बन्ध में, जिन का उल्लेख मेरे विचार से श्री अशोक मेहता या श्री गोपालन ने किया था, स्थिति यह है। जहां तक 'विम्को' के व्यापार संस्था का सम्बन्ध है, उसकी स्थिति की अभी हाल में की गई एक परीक्षा से पता चला कि माचिसों के कुल उत्पादन में उसका भाग पिछले तीन वर्षों में काफी गिर गया है, लगभग ७१ प्रतिशत से गिर कर ५० प्रतिशत रह गया है, जब कि उसी अवधि में मध्यम और छोटी इकाइयों, विशेषकर मध्यम इकाइयों का भाग अनुपातत: बढ़ गया है। इसी प्रकार, साबुन उद्योग के सम्बन्ध में, मुख्यत: मध्यम आकार के कारखानों के हित में खण्ड विमुक्ति पद्धति के लागू किये जाने से पहले, गत ग्रीष्म में की गई एक जांच से पता चला है कि, साबुन बनाने की कहीं अधिक अधिष्ठापित उत्पादन-सामर्थ्य रखने पर भी, मेसर्स लीवर ब्रादर्स की २५ प्रतिशत सामर्थ्य बेकार पड़ी रहती थी।

जहां तक सूखी बेटरियों का सम्बन्ध है, मेसर्स नेशनल कारबन्स निसन्देह ही उसके समूचे क्षेत्र पर छाया हुआ है और कुल उत्पादन का ८५ प्रतिशत उसके ही हाथ में है। जहां तक हमें जानकारी है, किसी भी ओर से कभी भी कोई ऐसी मांग नहीं की गई है कि इस क्षेत्र विशेष में छोटी और मध्यम आकार की इकाइयों के हितों की रक्षा के लिये एक खण्ड पद्धति चालू की जानी चाहिये। हो सकता है कि नेशनल कार्बनस् के सामने कोई उल्लेखनीय प्रतिस्पर्धा हीं न हो।

कराधान जांच आयोग ने भी छोटे उद्योगों के हित में भेदभाव की वर्तमान योजना का अनुमोदन किया है और समय-समय पर इस रियायत के पुनरीक्षण किये जाने का सुझाव दिया है जिस से कि इससे सम्बन्धित हमारी नीति अर्थ-व्यवस्था की बदलती हुई आवश्यकताओं के साथ-साथ चल सके। ऐसे पुनरीक्षणों में इस बात की परीक्षा की जायेगी कि क्या सापेक्ष प्रशुल्क पद्धति किन्हीं अन्य उद्योगों पर भी लागू की जा सकती है या नहीं।

अपना भाषण समाप्त करते हुये, मैं इस बात को दोहराता हूं कि आय-व्ययक ने अगली पंचवर्षीय योजना की प्रथम प्रावस्था को कार्यान्वित करने का प्रयास किया है और मैं यह माने लेता हूं कि आपके सामने जो योजना अभी एक प्रारूप रूपरेखा के रूप में है लोक-सभा द्वारा उसका अनुमोदन किया जायेगा। हम केवल योजना के विकास पक्ष के खर्च को पूरा करने के लिये ही राजस्व बढ़ा रहे हैं, और यदि हम कहें तो, उसके विनियोजन वाले भाग के लिये वित्त की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में कुछ सीमा तक अस्थायी रूप से घाटे की अर्थ-व्यवस्था का सहारा ले रहे हैं। मैंने इस आय-व्ययक में व्यय के रूप में सम्मिलित किये गये योजना के भाग में लगभग एक तिहाई व्यय की, जो सम्भवत: खर्च नहीं होगा, छूट दी है, पर शेष व्यय के लिये वित्त की व्यवस्था करने के हेतु हमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही प्रकार के करों का सहारा लेना पड़ेगा। इसलिये, मुझे आशा है कि लोक-सभा द्वारा यथासमय इस आय-व्ययक को बिना किसी बड़े परिवर्तन के अनुमोदित किया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

सभा पटल पर रखे गये पत्र

राज्यों के पुर्नगठन के सम्बन्ध में प्रारूप विधेयक

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित जी० बी० पन्त)** : मैं राज्यों के पुर्नगठन के सम्बन्ध में प्रारूप विधेयक के उस रूप की, जिस रूप में कि वह संविधान के अनुच्छेद ३ के अन्तर्गत, राज्यों को प्रेषित किया जा रहा है, एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। इस प्रारूप विधेयक की एक प्रति आज या कल सदस्यों को मिल जायेगी। [**पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एस–१०५/५६**]

विनियोग लेखे (असैनिक) १९५२–५३, और लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन, १९५४ (भाग २) और विनियोग लेखे (असैनिक), १९५२–५३ का वाणिज्यिक परिशिष्ट और लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन, १९५४.

†**वित्त उपमंत्री (श्री बी० आर० भगत)**: मैं संविधान के अनुच्छेद १५१ (१) के अन्तर्गत इन पत्रों की एक-एक प्रति पटल पर रखता हूं :–

(१) विनियोग लेखे (असैनिक १९५२–५३ और लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, १९५४ (भाग २); [**पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एस—९४/५६**]

(२) विनियोग लेखे (असैनिक) १९५२–५३ का वाणिज्यिक परिशिष्ट और लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, १९५४ [**पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एस—९५/५६**]

†**अध्यक्ष महोदय** : लोक-सभा अब गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य को प्रारम्भ करेगी।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

छियालीसवां प्रतिवेदन

†**श्री आल्तेकर** (उत्तर सतारा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के छियालीसवें प्रतिवेदन से जो १४ मार्च, १९५६ को सभा में उपस्थापित किया गया था, सहमत है।"

†**अध्यक्ष महोदय**: प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के छियालीसवें प्रतिवेदन से जो १४ मार्च, १९५६ को सभा में उपस्थापित किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

मद्यनिषेध के लिये अन्तिम तारीख नियत करने के बारे में संकल्प

†**अध्यक्ष महोदय** : लोक-सभा अब श्री सी० आर० नरसिंहन् द्वारा २ मार्च, १९५६ को प्रस्तुत किये गये मद्यनिषेध के लिये एक लक्ष्य-तिथि नियत करने सम्बन्धी संकल्प पर विचार करेगी।

†**श्री सी० आर० नरसिंहन्** (कृष्णगिरि): मद्यनिषेध के लाभ या अच्छाइयां गिनाने का समय अब नहीं है, अब तो उसका आदर्श हमारी राष्ट्रीय नीति का ही एक अंग बन चुका है। इस आदर्श के विरुद्ध भी कुछ छिटपुट प्रचार होता रहता है, पर उससे हमारी नीति पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। पर, अब कुछ ही समय पश्चात् पंचवर्षीय योजना के प्रारूप की एक रूपरेखा हमारे सामने आयेगी, और मेरे इस संकल्प का उद्देश्य यही है कि इस उपयुक्त समय पर समस्त देश में पूर्ण मद्यनिषेध लागू करने

---

†मूल अंग्रेजी में

के उपायों तथा परिणामों के सम्बन्ध में चर्चा की जानी चाहिये । इसके अतिरिक्त, योजना आयोग ने इस समस्या की तात्कालिकता को समझकर ही इस प्रश्न के सम्बन्ध में एक अधिक शक्तिशाली समिति नियुक्त की थी । उस समिति ने एक बड़ा ही अच्छा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था । लेकिन, मुझे खेद है कि योजना आयोग ने स्वयं ही उस समिति के प्रतिवेदन की बातों पर उचित ध्यान नहीं दिया । योजना आयोग की सिफारिशें मद्यनिषेध को, हमारी आशा के अनुसार, एक पवित्र आदर्श मान कर नहीं की गई हैं; जैसा कि हमारे महान नेताओं ने उसे माना है ।

आमतौर पर कहा जाता है कि मद्यनिषेध असफल रहा है । मुख्य बात तो यह है कि मद्यनिषेध के सम्बन्ध में हम असफ़ल रहे हैं इसका कारण यह है कि हम ने उसके प्रति उचित निष्ठा नहीं दिखाई है । यह हमारी ही असफलता है । हमने इस नीति को कार्यान्वित करने के लिये विधान पर विधान स्वीकृत किये हैं, पर वह नीति असफल रही है । क्यों ? इसका कारण यही है कि हमारे अधिकारी भ्रष्ट हैं और हमारी जनता कानूनों की उपेक्षा कर देती है । लेकिन, यह सब तो रोग के लक्षण हैं, स्वयं रोग नहीं हैं । हमें वास्तविक रोग का ही, आधारभूत कारण का ही, पता लगाना चाहिये; नहीं तो इसी प्रकार हमारे अन्य विधान और हमारी पंचवर्षीय योजनायें भी असफल हो जायेंगी । वास्तविक रोग का इलाज करने पर ही लक्षणों को दूर किया जा सकता है । रोग को बढ़ने देने पर, वह एक अवस्था में असाध्य भी बन जा सकता है ।

हमारे सभी नेताओं ने मद्यनिषेध का समर्थन किया है । इसके प्रति अपने वर्तमान शौथिल्य को दूर न करना, हमारे लिये आत्मघात करना जैसा ही होगा ।

योजना का उद्देश्य राज्य की नीति के निदेशक तत्वों को कार्यान्वित करना ही होता है, और मद्यनिषेध हमारी राज्य की नीति है । इसलिये, हमें उस पर निर्भरता से चलना चाहिये । मद्यनिषेध के विरुद्ध जो कुछ सुझाव आये हैं, वे हमारी राज्य की नीति के विरुद्ध हैं ।

दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि विभाग के डीन ने राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के सम्बन्ध में कहा है कि संविधान बनाने वाले उन्हें कार्यान्वित करने के लिये अपने निर्वाचकों के साथ वचनबद्ध हैं । इस वचन को भंग करना एक विश्वासघात होगा ।

श्री श्रीमन्नारायण समिति के प्रतिवेदन में मद्यनिषेध को एक ऐसा संरक्षक विधान कहा गया है जो स्त्री पुरुषों को उनके शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक संतुलन और आर्थिक स्तर से वंचित करने वाली चीज से बचाता है । उस प्रतिवेदन में ग्लैडस्टोन का वह वाक्य भी उद्धृत किया गया है जिस में लोक-कल्याण को ही सर्वोच्च विधि माना है । उसमें बताया गया है कि शराब की दूकानें गरीब लोगों को गलत काम करने का निमन्त्रण देती हैं और मद्यनिषेध इसका निराकरण करता है ।

उस समिति के प्रतिवेदन में ही, आगे कहा गया है कि मद्यनिषेध की ओर सभी राज्यों का ध्यान आकर्षित करने और उसके लिये जनता की सहानुभूति प्राप्त करने के लिये आवश्यक है कि सारे देश में पूर्ण मद्यनिषेध के लिये एक लक्ष्य तिथि नियत कर दी जाये ।

समिति ने देश के सभी प्रमुख व्यक्तियों से परामर्श किया था और उनका मत था कि एक वर्ष में सारे देश में पूर्ण मद्यनिषेध हो जाना चाहिये । आचार्य विनोबा भावे का कहना था कि इस एक वर्ष की अवधि में उसकी तैयारी के लिये विधान बनाया जा सकता है और अन्य सभी प्रशासनिक प्रबन्ध भी पूरे किये जा सकते हैं । हम सभी को इसे पूर्ण करने के कार्य में जुट जाना चाहिये । कांग्रेसजनों का आदर्श सत्ता प्राप्त करना ही नहीं है, बल्कि जनता के जीवन को सम्मानप्रद, शांतिपूर्ण और प्रगतिशील बनाना भी है । इस लिये, निषेध की असफलता राष्ट्र के साथ एक विश्वासघात ही होगा ।

मद्यनिषेध के विरुद्ध आम तौर पर कहा जाता है कि इस से चोरी छिपे शराब बनाने का गैर-कानूनी व्यवसाय करने को ही प्रोत्साहन मिला है । लेकिन, मद्यनिषेध न करने से भी तो इस समस्या का

[श्री सी० आर० नरसिंहन]

हल नहीं होगा । यह गैर कानूनी शराब का व्यवसाय केवल उन्हीं क्षेत्रों में नहीं पाया जाता है जहां कि पूर्ण मद्यनिषेध है । अन्य राज्यों में भी यह होता है । अमरीका का उदाहरण लीजिये, वहां मद्यनिषेध के हटा दिये जाने पर भी शराब का गैर कानूनी व्यवसाय बन्द नहीं हुआ है । भ्रष्टाचार की जांच के लिये बनी एक विशेष समिति के सभापति, सिनेटर एस्टैस् कैफूवर ने कहा है कि मद्यनिषेध को हटा देने पर अब भ्रष्टाचार कहीं अधिक बढ़ गया है ।

कुछ अमरीकनों ने अनुमान लगाया है कि प्रत्येक कानूनी शराब की भट्टी के लिये अमरीका में गैर कानूनी शराब की भट्टियां मौजूद हैं और उन में प्रति वर्ष १८० लाख गैलन शराब बनाई जाती है ।

अमरीका का यही अनुभव है, और यही हमारे देश में भी होगा, यदि हम मद्यनिषेध को हटा देंगे । गैर कानूनी शराब के व्यवसाय को बन्द करने का ही मार्ग है—सारे देश में मद्यनिषेध लागू करना । द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत हम असंख्य राशि खर्च करने जा रहे हैं, विशेषकर उत्तर भारत के लिये । लेकिन, इसके बाद यह भी आवश्यक हो जाता है कि औद्योगिक श्रमिकों को शराब की लत से बचाया जाये, नहीं तो उनको मिलने वाला सारा अधिक धन इसमें खप जायेगा और उनका कोई भी कल्याण नहीं होगा ।

मद्यनिषेध के लिये कई राज्य सहमत हो गये हैं और जनमत भी इसका समर्थन कर रहा है । इसके लिये केवल एक ही कठिनाई है—वित्तीय कठिनाई । उसके लिये राज्यों को वित्त आयोग से संसाधनों के उचित आवंटन के लिये कहना चाहिये । संविधान के अनुच्छेद ४७ में कहा गया है कि मद्य-निषेध करने का दायित्व राज्य पर रहेगा । पर, संविधान में दी गई राज्य की परिभाषा में केन्द्र, प्रान्त, स्थानीय निकाय आदि सभी सम्मिलित हैं । इसलिये, इसका दायित्व केन्द्र पर भी आता है । कुछ क्षेत्रों में हमें दुर्भिक्षों और बाढ़ों से पीड़ितों की सहायता पर भी खर्च करना पड़ता है और साथ ही वहां शराबखोरी भी चलती है । इस सम्बन्ध में, मद्यनिषेध समिति ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि भाखड़ा नंगल क्षेत्र में श्रमिकों ने अपना सारा रुपया ताड़ी की दूकानों पर खर्च कर दिया । चितरंजन में भी शायद यही हुआ होगा । यह एक दुर्भाग्य ही है कि हमारी राज्य की नीति के निदेशक तत्वों के होते हुये भी, मद्य-निषेध की नीति होते हुये भी, जहां भी हम नयी परियोजनाओं का निर्माण आरम्भ करते हैं ये ताड़ी की दूकानें भी वहीं खुल जाती हैं । यह हमारी असावधानी को बताती है ।

योजना आयोग ने कोई भी लक्ष्य तिथि नियत नहीं की है । यह अनिश्चितता का द्योतक है । मैं मंत्रि-परिषद् और योजना मंत्री से आग्रह करता हूं कि वे इसके कार्यक्रम को साहसपूर्ण ढ़ग से कार्यान्वित करें और सभी राज्यों से इसके अपनाने की सिफारिश करें । इसकी सफलता के द्वारा हम समस्त संसार के सामने एक आदर्श रख सकेंगे ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ । मूल संकल्प पर डा० रामा राव, (काकिनाडा) श्री विश्वनाथ रेड्डी (चित्तूर), श्री गाडिलिगन गौड (कुरनूल), श्री श्रीनारायण दास (दरभंगा मध्य), श्री डी० सी० शर्मा (होशयारपुर), श्री एन० एम० लिंगम (कोयम्बटूर), श्री तिम्मय्या (कोलार-रक्षित अनुसूचित जातियां), श्री के० सी० सोधिया (सागर) और श्री डाभी (कैरा-उत्तर) द्वारा क्रमशः संशोधन संख्या ३, ६, ८, ९, १०, ११, १२, ७, ४, और ५ प्रस्तुत किये गये ।

ये सभी संशोधन सभा के समक्ष हैं ।

†**डा० रामा राव** : सौभाग्यवश, हमारे देश का वातावरण मद्यनिषेध के लिये बहुत अनुकूल है । इस लिये इस सम्बन्ध में अमेरिका के साथ यहां की तुलना करने का कोई लाभ नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

जो लोग मद्यनिषेध के विरोधी हैं उनका एक तर्क यह है कि शराब हमारा भोजन है। स्पष्ट ही यह बहुत अवास्तविक तर्क है जिसे कोई स्वीकार नहीं कर सकता। वे नीरा नहीं पीना चाहते। इसलिये यह स्पष्ट है कि वे केवल नशे के लिये इसका सेवन करते हैं।

शराब से मनुष्य की प्रतिभा कुंठित होती है और शारीरिक क्रियाशीलता में बाधा आती है। इसलिये यह तर्क कि शराब भोजन है तथा शक्ति प्रदान करती है बहुत बेतुका है।

समाज के कल्याण के लिये हम कितने ही विषयों पर प्रतिबन्ध लगाते हैं। यदि शराब को भी एक प्रकार का विष समझा जाये तो समाज के हित में इस पर भी प्रतिबन्ध लगाना होगा।

मद्यनिषेध के औचित्य के सम्बन्ध में इस सभा में दो या तीन अपवादों को छोड़कर शायद कोई मतभेद नहीं होगा। किन्तु प्रश्न यह है कि इसे सफल बनाने के लिये किस प्रकार कार्यान्वित किया जाये।

आप मद्यनिषेध लागू करते हैं और लाखों टोडी बनाने वाले बेकार हो जाते हैं। जब तक आप उन्हें कोई दूसरा रोजगार नहीं दिलायेंगे तब तक मद्यनिषेध सफल नहीं होगा। ये बेकार होने वाले व्यक्ति आखिर भूखों तो नहीं मर सकते। वे छुपे-छुपे शराब बनाना प्रारम्भ कर देते हैं। मद्रास और आन्ध्र में यही हुआ है। हर झोपड़ी में वहां शराब बनानी प्रारम्भ हो गयी है।

[**पंडित ठाकुरदास भार्गव** पीठासीन हुये]

ये लोग पुलिस वालों को नियमित रूप से रुपया देते रहते हैं और शराब बनाने का इनका व्यापार चलता रहता है। इस लिये जिस अप्रभावशाली और खराब तरीके से मद्यनिषेध लागू किया गया है उससे बदनामी ही अधिक हुई है। इसलिये अपने संकल्प में मैंने मद्यनिषेध के प्रश्न को बेकारी के प्रश्न के साथ लिया है। मद्यनिषेध पर भाषण देने, लोगों को सिनेमा दिखाने, कि पीना बुरा है, तथा बड़ी संख्या में इश्तेहार लगाने आदि से कोई लाभ नहीं हो सकता जब तक कि इसके साथ-साथ बेकारी की समस्या भी न सुलझाई जाये।

स्वामी रामानन्द तीर्थ (गुलबर्गा): सभापति महोदय, जो प्रस्ताव इस सभा के सामने रखा गया है उस का समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। अब यह केवल चर्चा की बात नहीं है कि इस मुल्क में मद्यपान जारी रहे या बन्द किया जाय। यह तो जो प्रगति का रास्ता हम ने निश्चित किया है उसका मूलभूत सिद्धांत है। अब हमने मद्यपान के निषेध करने का प्रबन्ध स्वीकार कर लिया है। अब तो सवाल यह है कि किस क्रम से, तेजी से या आहिस्ता आहिस्ता, इस को अमल में लाया जाय। मैं यह समझने में असमर्थ हूं कि जो क्रमिक पद्धति बताई गई है उसको किस तरह से स्वीकार किया जा सकता है। अगर कोई चीज बुरी हो, हानिकारक हो, तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उस को हटा देना चाहिये। अब तो हमारी विचारधारा इस दिशा में होनी चाहिये कि जो विचार मद्यपान रोकने के विरोध में आते हैं उनको कैसे हटाया जा सकता है।

एक सवाल हमशा सामने आता ह। जब कमेटी का दौरा चला जिस के सदर हमारे दोस्त श्री-मन्नारायण जी थे तो मुझे उसके सामने निवेदन करने का मौका हासिल हुआ। मुझ से यह पूछा गया कि जो करोड़ों रुपये का घाटा हर स्टेट की ट्रेजरी कोष में आयेगा उसकी पूर्त्ति आप किस तरह से कर सकेंगे? मैंने जवाब दिया कि यह सवाल ही नहीं उठ सकता है। अगर आर्थिक प्रगति और नैतिक तथा सामाजिक प्रगति में विरोध होता है तो मेरी नम्र भावना यह है कि मानवता के नाते हम को आर्थिक पहलू को कुछ नजरअन्दाज करना पड़ेगा। अगर नैतिकता और मानवता को हमें कायम रखना है तो इस के सिवा कोई मार्ग नहीं है। मैं प्राहिबिशन (मद्यनिषेध) के सवाल को केवल आर्थिक पहलू से देखने के लिये तैयार नहीं हूं। अगर हम इस सवाल को मानवता ी दृष्टि से देखते हैं तथा मनुष्य की जो अवस्था होनी चाहिये अगर उसमें मद्यपान के कारण कमी होती है तो उस पर प्रतिबन्ध लगना ही चाहिये, उसको बन्द करना

[स्वामी रामानन्द तीर्थ]

ही चाहिये । मेर दोस्त यहां नहीं हैं जिन्होंने एक एमेंडमेंट (संशोधन) दिया है । उन्होंने अभी जब कि श्री नरसिंहन बोल रहे थे कहा कि यह तो आन्ध्र की काटेज इन्डस्ट्री (कुटीर उद्योग) हो गई है । मैं आन्ध्र की बात तो अधिक नहीं जानता लेकिन तैलंगाना की बात बहुत अच्छी तरह से जानता हूं । मैं समझता हूं कि जो स्थिति तैलंगाना में है वही लगभग आन्ध्र में भी होगी । तैलंगाना में प्राहिबिशन की यह स्थिति है कि हर मकान में बच्से से ले कर बूढ़े तक सींदी पीते हैं । मुश्किल से ही कोई इक्सेप्शन (अपवाद) वहां पर मिलेगा ।

कुछ माननीय सदस्य : यह ताड़ी है ?

स्वामी रामानन्द तीर्थ : ताड़ी नहीं है । ताड़ी अलग है सींदी अलग है । यह पाम ट्री से निकलता है जिस से कि नीरा निकलता है ।

मेरे कहने का मतलब यह है कि जब हर मकान में यह दुर्व्यसन आज फैला हुआ है तब अगर आप ग्रैजुअलनेस (धीरे-धीरे) से उस को दूर करने की सोचते हैं तो सोचने से ज्यादा समय आप को इस को कामयाब बनाने में लगेगा । मेरा खयाल यह है कि इस में विलम्ब नहीं करना चाहिये । जब विनोबा जी तैलंगाना में भूदान पद यात्रा आरम्भ करने जा रहे थे तो उन्होंने तैलंगाना के लोगों को एक सन्देश दिया । आज मुझे वह प्रसंग बहुत अच्छी तरह से याद आ रहा है । उन्होंने दो बातें कहीं : हिन्दी सीखो और सीदी छोड़ो । तैलंगाना के लोगों को उन्होंने यह आदेश दिया कि हिन्दी सीखो और सींदी छोड़ो । आज यह दुर्व्यसन ऐसा नहीं है कि किसी खास समाज में या किसी एक सेक्टर में घुसा हुआ हो । जब आमतौर से यह रिवाज समाज में पाया जाता है तो, जो आप ग्रैजुअलनेस (धीरे-धीरे) की बात कहते हैं वह मेरी समझ में नहीं आती । अगर पूरी मानवता नष्ट हो रही है तो उस को बचाने के लिये आप को रैडिकल (आमूल) और रिवोल्यूशनरी मेजर्स (क्रांतिकारी उपाय) लेने चाहियें और यदि इस सम्बन्ध में आर्थिक सवाल की कठिनाई बताई जाती है तो मैं समझता हूं कि जब आप करोड़ों रुपये की प्लैन यहां बना रहे हैं तो उस में आप को उस घाटे की गुंजाइश भी रखनी चाहिये, उसकी पूर्त्ति भी करनी चाहिये जो कि प्राहिबिशन के कारण हो । इतनी हिम्मत तो हमारी प्लैन में होनी ही चाहिये । अगर आप प्राहिबिशन के टार्गेट्स (लक्ष्य) बढ़ाते गये और हर मकान में बच्चे से ले कर बूढ़े तक मद्यपान के आदी होते रहे तो आर्थिक-व्यवस्था तो गड़बड़ होगी ही, लोगों का स्वास्थ्य भी नहीं रहेगा और लोगों को आरोग्य भी प्राप्त नहीं होगा । इसलिये जो एमेंडमेंट (संशोधन) मेरे दोस्त डा० रामा राव ने यहां प्रस्तुत किया है मैं उसकी ताईद करने के लिये तैयार नहीं हूं ।

आप यहां अनएम्प्लायमेंट (बेकारी) का सवाल उठाते हैं । ठीक है, ऐसा हो सकता है । लेकिन जो आप के लोग हैं जिन के बेकार हो जाने की सम्भावना है उनके लिये और जराय (साधन) निकाले जा सकते हैं । लेकिन यह कहना कि चूंकि लोग बेकार हो जायेंगे इस लिये मद्यपान को रोकने का जो सवाल है उसको आहिस्ता आहिस्ता लिया जाय, उस के लिये आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाये जायें, यह कोई जमनें वाली चीज नहीं नहीं है क्योंकि मैं समझझता हूं कि जब कभी आर्थिक और सामाजिक तथा नैतिक पहलुओं में टक्कर हो जाती है , संघर्ष हो जाता है तो आर्थिक पहलू गिर जाता है ।

क्योंकि आखिर अगर जो हमारे मानव मूल्य हैं, जो ह्यूमन वैल्यूज हैं जिन के लिये यह प्रजातन्त्र हैं, जिन के लिये यह फंडेमेंटल राइट्स (मूल अधिकार) हैं जिन के लिये यह कानून हैं, जिन के लिये यह रिपब्लिक है, जिन के लिये हम जिन्दा हैं और जो सब कुछ है उसी में है, वे अगर चले गये तो फिर किस लिये हम प्रोग्रेस (उन्नति) चाहते हैं । बम्बई में जा कर देखिये । लोग तो कहते हैं कि वहां पर यह जो प्रोहिबिशन है यह फेल हुई है । मैंने स्वयं वहां पर जा कर देखा है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वहां पर यह फेल्योर (असफल) नहीं हुई है । फेल्योर यह उन लोगों के लिये हुई है जो पैसा खर्च करके किसी ढंग से उसको हासिल करना चाहते हैं; लेकिन जो अंडरडाग (अभागे) हैं, जो समाज के नीचे

स्तर का है, जिसके उत्थान के लिये यह प्रोहिबिशन है, उसका फायदा हुआ है, उसकी मानवता रक्षित की गई है और वह ऊंचा उठा है। आप आज भी जाकर देख सकते हैं हर वक्त में और हर जगह इलिसिट (अवैध) डिसटिलेशन (मद्यसार) हो रहा है। यह तो आपकी और हमारी समाज की परिस्थिति का रुख है। तो समाज में एक दोष है। इसलिये जो इसके खिलाफ चलता है और कुछ प्रयत्न करता है उसका प्रयत्न भी अधूरा रहता है। यह कोई उस दोष को दूर करने का तरीका नहीं हो सकता है। इसलिये मैं चाहता हूं कि प्लानिंग कमिशन और प्रान्तीय सरकारें तथा सेंट्रल गवर्नमेंट इस बात की कोशिश करें कि जो दोष है, जो यह दुर्व्यसन् है, वह ग्रेजुऐलनेस से खत्म नहीं हो सकता है। मैंने सिग्रेट नहीं पी, मैंने शराब नहीं पी। लेकिन मैं समझता हूं कि जो सिग्रेट पीने के आदि हैं अगर उनको यह कहा जाये कि अब आज आप चार डज़न (दर्जन) रोजाना सिग्रेट पीते हो तो पहले ४० फिर ३० फिर २० और इसी तरह से कम करते जाओ और इस तरह से इस आदत को छोड़ दो, तो वे ऐसा नहीं कर सकेंगे। मैं मानता हूं कि एक्सेपशंस (अपवाद) हो सकती हैं। ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो एक आदत को धीरे-धीरे छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर कोई एक दम एक साथ किसी आदत को छोड़ता है तो उसमें उत्थान की ताकत आती है जोकि ग्रेजुएलनेस में नहीं होती। यह मानवीय स्वभाव का अनुभव है।

इसलिये आज इस सदन को यह तय करना है कि जो प्रोहिबिशन है जिसको हमने एक फंडेमेंटल (मूल) चीज़ माना है उसको लागू करने के लिये एक टारगेट डेट (निश्चित तिथि) फिक्स (निर्धारित) करना जरूरी है, ऐसा मैं मानता हूं। क्योंकि मैं समझता हूं कि अगर अधिक समय तक हम ने ढील दी तो वह आर्थिक व्यवस्था जो हम बरकरार रखना चाहते हैं हम रख नहीं सकेंगे। आज जो इस आदत में फंसा हुआ है और गिरा हुआ है और दुर्बल हो गया है यदि हम उसके लिये डेमोक्रेसी और इकोनोमिक एण्ड सोशल जस्टिस (आर्थिक और सामाजिक न्याय) लाने की नहीं सोचेंगे तो हमारी जितनी भी बातें हैं वे सब व्यर्थ होंगी। इसलिये मैं जो प्रस्ताव इस सदन के सामने प्रस्तुत किया गया है, उसका हार्दिक समर्थन करता हूं।

†**सभापति महोदय :** माननीय सदस्य कृपया १० मिनट से अधिक समय अपने भाषणों में न लें क्योंकि अनेक सदस्य बोलना चाहते हैं।

†**श्री डाभी :** मैं समझता हूं सरकार को इस संकल्प को स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में मद्यनिषेध जांच समिति की सिफारिशों पर चर्चा करते हुए पृष्ठ १८० पर कहा गया है कि स्थानीय दशाओं और परिस्थितियों के अनुसार देश के विभिन्न भागों में उठाए जाने वाले कदमों में विभिन्नता की गुंजाइश है। मैं मानता हूं कि विभिन्न राज्यों द्वारा समान कदम उठाना शायद सम्भव न हो और १ अप्रैल, १९५८ तक का जो हमारा लक्ष्य है शायद वह पूरा न हो सकें। यह तिथि बढ़ा कर १ अप्रैल, १९५९ कर दी जाये। किन्तु बहाने पेश करके हमें मद्यनिषेध की नीति की कार्यान्विति के निर्णय से बच निकलने का प्रयत्न नहीं करना चाहये। हमें याद रखना चाहिये कि स्वतन्त्रता-संग्राम के दिनों में कांग्रेस मंच के कार्यक्रमों में मद्यनिषेध सब से महत्वपूर्ण रचनात्मक कार्यक्रम था। इसके लिये हजारों नर नारियों ने पुलिस के अत्याचार और जेल की यातनायें सही हैं। गत ३५ वर्षों से कांग्रेस मध्यनिषेध की नीति से वाक्बद्ध है। इसलिये या तो हमें इस नीति को क्रियान्वित करना चाहिये अथवा साफ-साफ कह देना चाहिये हम यह नहीं करना चाहते।

श्री रामा राव ने यह तर्क दिया कि मद्यनिषेध के परिणामस्वरूप विभिन्न प्रदेशों में गैर-कानूनी शराब निर्माण बढ़ गया है। यदि उनका तर्क यह है कि जिन क्षेत्रों में मद्यनिषेध नहीं है वहां इस प्रकार वृद्धि नहीं हुई है तो मैं उन्हें बतला दूं कि यह आंकड़ों से विपरीत बात ही प्रकट होती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री डाभी]

मद्यनिषेध समिति के पृष्ठ १३ पर पश्चिमी बंगाल के उत्पाद शुल्क आयुक्त के साक्ष्य में कहा गया है कि गैर-कानूनी शराब निर्माण का कार्य असाधारण रूप से बढ़ गया है। मध्यप्रदेश तथा अन्य स्थानों पर भी, जहां मद्यनिषेध नहीं है, यही हाल है ।

मद्यनिषेध समिति के प्रतिवेदन के पृष्ठ ४० पर देखने से प्रतीत होगा कि जिन क्षेत्रों में मद्यनिषेध नहीं है वहां की स्थिति क्या है । कलकत्ते में पाया गया है कि युवकों में तथा उच्चतर वर्गों की महिलाओं में शराब की लत बढ़ रही है । दिल्ली राज्य सरकार ने कहा है कि पैसे वाले परिवारों से आने वाले विद्यार्थियों में होटलों में जा जाकर शराब पीने की आदत आ जाती है । प्रगतिशील परिवारों की कुछ स्त्रियों को भी शराब पीने की आदत आती जा रही है ।

इससे ज्ञात होता है कि वर्ष प्रति वर्ष शराब पीने की बुराई बढ़ रही है और यह बतलाना आवश्यक नहीं है कि शराब एक आदत पड़ने वाली लत है और एक बार आदत पड़ने पर इसका छूटना कठिन है। इसलिये हमें एक लक्ष्य तिथि निर्धारित कर देनी चाहिये जब तक कि समस्त देश में मद्यनिषेध लागू हो जाये । मद्यनिषेध राज्यों का विषय है और अन्तिम तिथि के सम्बन्ध में मतभेद हो सकता है, किन्तु दिल्ली के सम्बन्ध में, जो कि केन्द्र प्रशासित क्षेत्र होने वाला है, और सेना में इसे लागू करने में क्या कठिनाई है । इससे औरों के लिये भी दृष्टांत उपस्थित होगा ।

†**श्री एम० बी० वैश्य** (अहमदाबाद---रक्षित---अनुसचित जातियां) : सभापति महोदय, हमारे मित्र शराब बन्दी का जो रिजोल्यूशन (संकल्प) लाये हैं मैं उसका स्वागत करता हूं । मैं गुजरात से आया हूं । वहां पर हम मजदूरों के पूज्य महात्मा गांधी जी ने यह आन्दोलन चलाया था कि मजदूरों को किसी भी तरह शराब न मिलने पावे । हमारे यहां अहमदाबाद और गुजरात के हजारों मजदूरों ने शराब की दुकानों के आगे सत्याग्रह किया और हजारों की तादाद में जेल गये । हम तो यह आशा लगाये बैठे थे कि जब स्वाराज्य होगा और महात्मा गांधी और कांग्रेस का राज्य होगा तो सारे हिन्दुस्तान में कहीं भी शराब की एक दुकान भी नहीं दिखायी देगी । आज बम्बई और मद्रास ने तो अपने क्षेत्र में शराब बन्दी कर डाली है लेकिन हिन्दुस्तान के और भागों में तो अभी भी शराब मिलती है । जब मैं यहां चार पांच बरस हुए आया था तो मैं यह आशा लेकर आया था कि दिल्ली तो हमारे देश की राजधानी है, वहां तो शराब की बन्दी होगी । लेकिन यहां तो हर जगह शराब मिलती है । पार्टियों में शराब दी जाती है । हम लोग जो गरीबों और मजदूरों में काम करने वाले हैं वे तो इसको देखकर हताश हो जाते हैं । हमको यह समझते हैं कि गरीबों की दशा सुधारना है तो उसके लिये सबसे पहला कदम यह होगा कि मजदूरों से शराब दूर रखी जाये । कई लोग यह तर्क करते हैं कि शराब बन्द करने से राज्य को घाटा होता है और उसको पूरा करना कठिन है । अंग्रेजों के जमाने में शराब से जो पैसा आता था उससे हमारे बच्चों की पढ़ाई होती थी । क्या स्वराज्य के जमाने में भी हम उसी तरह से रुपये आने पाई का हिसाब लगाया करेंगे । आज आप अहमदाबाद में देखें जाकर कि जिन मजदूरों ने शराब बन्दी के कारण शराब पीना बन्द कर दिया है उनकी हालत कितनी सुधर गयी है, अब वह अपने बाल बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाते हैं और पालते हैं और उनकी गरीबी भी बहुत कम हो गयी है। शराब के कारण गरीब और भी गरीब हो जाते हैं । आज इससे ज्यादा नुक्सान गरीबों का ही हो रहा है । पैसे वाले तो कम शराब पीते हैं । शराब की दुकानें खोल कर हम गरीबों के सामने एक लालच उपस्थित करते हैं । एक कवि ने ठीक कहा है,

खाना, घिसना, सूंघना, तीनों पाप निशान,
तीनों पाप निशान, अफीमी, गांजा, जैसे
मधु, मांस, परनार, नरक सम जानों तैसे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

एक तरफ तो कवि यह कह रहे हैं और दूसरी तरफ हमारी सरकार अभी भी यह सोच रही है कि अगर हम शराब की बन्दी करेंगे तो बहुत नुकसान होगा और लोग बेकायदे शराब पियेंगे। मेरा ख्याल है कि बेकायदे पीने वाले तो बहुत कम होंगे। हमारे महात्मा गांधी जी की आत्मा आज स्वर्ग में बैठी क्या कहती होगी। आज आठ-आठ साल हो गये लेकिन वे लोग जो कि कांग्रेस के नाम पर सरकार में बैठे हैं उनके पेट में से पानी तक नहीं हिलता कि बापू ने किस लिये स्वराज्य की आराधना की थी, किस लिये हजारों मजदूर और नौजवान जेलों में गये थे। उसका मुख्य कारण यही था कि बापू जानते थे कि अगर हम अपने देश में शराब बन्दी कर देंगे तो इससे गरीब सुखी होंगे। पैसे वाले तो अंग्रेजी राज्य में भी सुखी थे, वे आज कांग्रेस के राज्य में कैसे दुखी हो सकते हैं। लेकिन गरीबों को और उनके बच्चों को आगे बढ़ाने के लिये शराब बन्द होना जरूरी है। हमने पूज्य बापू के आगे प्रतिज्ञा की थी कि अपना राज्य होते ही हम शराब को दूर करेंगे। लेकिन अभी आठ साल हो गये लेकिन अभी तक हमने और खास तौर से हमारी सरकार ने बापू की प्रतिज्ञा को पूरा नहीं किया। कम से कम अब तो यह तै कर देना चाहिये कि इतने वर्ष में हम पूर्ण रूप से शराब बन्द करने वाले हैं।

राजा जी मद्रास में बैठे शराबबन्दी करने के लिये चीखते हैं और पूज्य बापू जो हमारे बीच में से उठ गये हैं, सदैव इसके लिये आवाज लगाते रहे। शराब सम्बन्धी समिति सारे देश में घूमी और इस विषय पर अच्छी तरह से सभी लोगों से वार्तालाप किया और उसने भी सरकार से अपनी रिपोर्ट में यही सिफारिश की कि शराबबन्दी लागू होनी चाहिये लेकिन मुझे यह खेद के साथ कहना पड़ता है कि शराब बन्दी को लागू करने की सरकारी नीति जरा ढीली रही है और उसके लिये इस कांग्रेस गवर्नमेंट से और नेहरू सरकार से मेरी प्रार्थना है कि उनको कम से कम यह शराब गरीबों के हित के लिये, गरीबों को बचाने के लिये और उनके बाल बच्चों की उन्नति के लिये बन्द ही करना चाहिये।

†**श्री विश्वनाथ रेड्डी** : मैंने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसका मुख्य आशय यह है कि मद्य-निषेध को देश में इस प्रकार लागू किया जाये कि यह अधिक प्रभावशाली हो सके। जहां-जहां भी देश में मद्यनिषेध कानून लागू किया गया है वहां इसे तोड़ा गया है। इसका कारण स्पष्ट है। मद्यनिषेध जैसे सामाजिक कानून की सफलता के लिये ८० प्रतिशत लोगों का सक्रिय सहयोग होना आवश्यक है। किन्तु हम देखते हैं कि लोगों में मद्यनिषेध के सम्बन्ध में उदासीनता का भाव है। वे न इसके पक्ष में हैं और न इसके विरुद्ध। इसलिये हमारी समस्या यह है कि लोगों को किस प्रकार मद्य की बुराइयों के बारे में शिक्षित किया जाये जिससे वे कानून लागू करने में सरकार को सहयोग दे सकें।

जो लोग मद्यनिषेध का विरोध करते हैं उनमें से एक वर्ग वह है जिसका कहना है कि इसे लागू करने से राज्यों के राजस्व में कमी होने के परिणामस्वरूप साधारण लोगों पर कर का भार बहुत बढ़ गया है। इस वर्ग के लोगों की आलोचना का निराकरण करना कठिन नहीं है क्योंकि मद्यनिषेध समाज के हित के लिये ही किया जाता है।

दूसरे वर्ग के लोगों के तर्क का आसानी से उत्तर नहीं दिया जा सकता। इस वर्ग का कहना है कि यदि आप मद्यनिषेध नीति की स्थायी सफलता चाहते हैं तो आप को देश की अधिकतर जनता में मद्यनिषेध की नीति लागू करने के प्रति दिलचस्पी पैदा करनी होगी। हम देखते भी हैं कि अधिकतर लोगों का इसके प्रति उदासीन भाव है। इसलिये मुख्य समस्या यह है कि लोगों को किस प्रकार इस बारे में शिक्षित किया जाये। मेरे संशोधन का मुख्य तात्पर्य यही है। हम देश को इस प्रकार शिक्षित करें कि लोग इसमें सक्रिय दिलचस्पी लेने लगें। यदि ऐसा नहीं किया गया तो मद्यनिषेध के विरुद्ध जन मत इतना हो जायगा कि हमें इस नीति को त्यागने के लिये मजबूर होना पड़ेगा जो और भी खतरनाक चीज होगी। इसलिये मेरा कहना है कि मद्यनिषेध के पक्ष में पहले हमें जन मत तैयार करना चाहिये और इस कार्य-क्रम में बहुत सावधानी से तथा संकल्प में अपेक्षित रफ्तार की अपेक्षा धीरे चलना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

सभा पटल पर रखे गये पत्र के बारे में औचित्य प्रश्न

†**श्री कामत** (होशंगाबाद) : श्रीमान्, औचित्य प्रश्न है कि माननीय गृह मंत्री ने लगभग तीन बजे यह कहा था कि वह राज्यपुर्नगठन आयोग के विधेयक के प्रारूप की एक प्रतिलिपि सभा पटल पर रख रहे हैं परन्तु वह सभा पटल पर नहीं है। क्या सभा की बैठक के समय सभा पटल पर रखे गये पत्र को बाहर सदस्यों को देना नियमानुकूल है ?

†**सभापति महोदय** : एक माननीय सदस्य ने, उसको लौटाने के लिये कह कर मांगा था तथा अध्यक्ष महोदय ने, इस धारणा पर वह प्रति उनको दे दी कि वह सभा में उसे देख कर लौटा देंगे। गृह-कार्य मंत्री ने बताया है कि इसकी एक-एक प्रति सभी सदस्यों को आज अथवा कल मिल जायेगी।

†**श्री कामत** : अभी तक इस प्रकार की व्यवस्था थी कि सभा पटल पर प्रति रखने के साथ ही साथ सभी सदस्यों की प्रतियां पुस्तकालय में रख दी जाती थीं परन्तु पुस्तकालय में कोई प्रति नहीं है।

†**सभापति महोदय** : मैं यह जानता हूं। परन्तु जहां तक सभा पटल पर रखी गई प्रति का सम्बन्ध है मैं सब बातें स्पष्ट कर चुका हूं।

†**श्री ए० एम० थामस** (एरणाकुलम): माननीय गृह मंत्री ने बताया कि प्रतियां आज अथवा कल माननीय सदस्यों को मिल जायेंगी। परन्तु विधेयक के अधिक महत्व के कारण, मेरी प्रार्थना है कि आप सरकार को निर्देश दें कि इस विधेयक की प्रति आज ही मिल जाये।

†**सभापति महोदय** : मेरा विचार है सरकार उचित कार्रवाही करेगी। सदस्यों को यह शीघ्र मिल जायेगी। मेरा विचार है कि यह आज अथवा कल को माननीय सदस्यों को मिल जायेंगी तथा जो कुछ सभा में कहा गया है, माननीय मंत्री इसका ध्यान रखेंगे।

†**श्री कामत** : मैं आपका निर्णय जानना चाहता हूं।

†**सभापति महोदय** : कोई नियम भंग नहीं किया गया है। अध्यक्ष महोदय ने, प्रति ले जाने की अनुमति इसलिये दी थी कि जिस सदस्य ने यह ले ली थी वह इसे शीघ्र वापस कर देंगे। उनकी खोज की जा रही है।

मद्यनिषेध के लिये अन्तिम तारीख नियत करने के बारे में संकल्प

†**श्री ए० के० गोपालन** (कन्नूर) : मैं डा० रामा राव के संशोधन का समर्थन तथा श्री नरसिंहन के मूल संकल्प के विरोध में यह कहना चाहता हूं कि मैं मद्यनिषेध के सिद्धान्त का विरोधी नहीं हूं प्रत्युत मैं यह बता देना चाहता हूं कि यह प्रश्न समस्त राष्ट्र का प्रश्न है। श्री नरसिंहन ने मद्य-निषेधकी लक्ष्य तिथि निश्चित करने के लिये संकल्प प्रस्तुत किया है और हम इसका विरोध इसलिये करते हैं क्योंकि जहां कहीं भी मद्य निषेध लागू किया गया उसका वहां पर कोई असर नहीं है। उदाहरणत: मलाबार में मद्यनिषेध है परन्तु त्रावनकोर-कोचीन के कुछ जिलों में मद्यनिषेध नहीं है। मान लीजिये आप संकल्प पारित करके एक तिथि निश्चित कर देते हैं तो मेरे राज्य तथा मलाबार में ताड़ी बनाने वाले व्यक्ति बेकार हो जायेंगे। इसलिये जब तक आप इन व्यक्तियों को किसी अन्य कार्य में प्रशिक्षित नहीं करते हैं तब तक इन व्यक्तियों पर इसका बुरा ही प्रभाव पड़ेगा तथा यह नीति असफल भी हो जायेगी। इसके अतिरिक्त इस संकल्प में उन स्थानों को भी नहीं बताया गया है जिनको प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

आन्ध्र मद्यनिषेध जांच समिति ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि पहले निम्न वर्ग के व्यक्तियों को ही मद्य पीने की आदत थी परन्तु अब मध्यम वर्ग के व्यक्ति भी पीने लगे हैं। इसके अतिरिक्त क्योंकि

---

†मूल अंग्रेजी में

मद्य प्रत्येक घर में प्राप्य है इसलिये अब स्त्रियां तथा बालक भी इसको पीने लगे हैं। मेरे पास अधिक समय नहीं है इसलिये मैं कुछ अधिक कहना नहीं चाहता हूं। मद्रास में भी जांच की गई तथा यह ज्ञात हुआ है कि 'फ्रेंच पालिश' की अनुज्ञप्ति लेकर इसको बेचना प्रारम्भ किया गया क्योंकि इस में कुछ नशा था। इस प्रकार की और दूसरी वस्तुयें बना ली जाती हैं।

जिन व्यक्तियों की पीने की आदत है उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और उनको अधिक मूल्य पर इसे खरीदना पड़ता है। जो व्यक्ति मद्यनिषेध लागू करते हैं वही इन व्यक्तियों के लिये इसका इन्तजाम, कुछ धन लेकर करते हैं। इसके अतिरिक्त मैंने देखा है कि जो व्यक्ति मद्यनिषेध कराने के समर्थक हैं वही मद्य पीते हैं।

आजकल मद्यनिषेध विधि के द्वारा किया गया है तथा जनता का जीवन स्तर उठाकर नहीं। कोई प्रचार भी नहीं किया गया है कि वह मद्यनिषेध क्यों करना चाहते हैं। और इसलिये जो मद्यनिषेध किया जायेगा उससे जनता की आर्थिक उन्नति होने की कोई आशा नहीं है। सम्भव है कि पांच अथवा छः परिवारों की स्थिति सुधर जाये परन्तु आशा नहीं है कि इससे स्थिति सुधर जाये।

मेरी राय में इसके दो कारण हैं। प्रथमतः जो व्यक्ति इस कार्य में लगे हैं वह विशेष समुदाय के हैं तथा गरीब हैं। इस प्रकार मद्यनिषेध से जब उन्हें यह जानकारी होगी कि इससे हमें अधिक धन मिल सकता है तब निश्चित रूप से वह इसका उत्पादन करेंगे। दूसरे जो इसको लागू करना चाहते हैं वह ऐसे व्यक्ति होने चाहियें जो सचमुच इसके पक्ष में हों। इस प्रकार प्रशासन तथा आर्थिक इसके दोनों ही पहलू ऐसे हैं कि मद्यनिषेध सफल रहा है।

मद्यनिषेध की असफलता के सम्बन्ध में, कोई विवाद नहीं है। यदि कहीं पांच अथवा दस प्रतिशत मामलों में भी इससे जनता का सुधार नहीं हुआ है, तो इस बात पर ध्यान दिये बिना ही कि मद्यनिषेध किन-किन स्थानों पर होना चाहिये, कैसे होना चाहिये, इसके लिये लक्ष्य दिनांक निश्चित करना अहित-कर होगा।

इसके साथ-साथ बेकारी का प्रश्न है। हर अच्छे काम के लिये त्याग की आवश्यकता होती है और त्याग तभी होगा जब जनता का स्तर त्याग के उपयुक्त हो। अन्यथा यह बेकार है।

मैं दक्षिण भारत के सम्बन्ध में एक बात बताना चाहता हूं। आप नारियल का पानी ले लीजिये। जब यह ताजा होता है तो बड़ा सुस्वादु होता है परन्तु दो तीन दिन रखे जाने के पश्चात् यह नशीला हो जाता है। आप मद्यनिषेध के द्वारा ताड़ी पर प्रतिबन्ध लगा कर फ्रांसीसी वार्निश पिलाने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त यह हर घर में बनने लगेगी और बच्चे भी इसको पीने लगेंगे।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि हम मद्यनिषेध के सिद्धान्त से सहमत हैं परन्तु जिस प्रकार यह लागू किया जा रहा है इससे मद्यनिषेध नहीं किया जा सकता है। यह एक कुटीर उद्योग बन गया है जिससे कि जनता को रोजगार मिल गया है। लक्ष्य दिनांक निश्चित करके आप मद्यनिषेध के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। इसीलिये मैं डा० रामा राव के संशोधन का समर्थन करता हूं, तथा मूल संकल्प का विरोध करता हूं।

श्री जी० एच० देशपांडे (नासिक-मध्य) : सभापति महोदय, नशा बन्दी के बारे में जो प्रस्ताव रखा गया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। भारतवर्ष में यह जो नशाबन्दी का इरादा है वह बहुत देर से चला आया है और बहुत पुराना है। हमारे आधुनिक भारत में जब से राष्ट्रीयता का प्रादुर्भाव हुआ है, उसी समय से हमारे नेताओं ने हमारे सामने जो चीजें रखी थीं उनमें से नशाबन्दी को प्रमुख एक स्थान प्राप्त था। मेरे सूबे में लोकमान्य तिलक जी पैदा हुए और उन्होंने अपनी जिन्दगी के बहुत बरस पहले ही जो राष्ट्रीयता आन्दोलन चलाया और जो प्रोग्राम (कार्यक्रम) देश के सामने रखा उसमें उन्होंने नशाबन्दी को बड़े ज़ोर से पुरस्कार किया था। उनके बाद लाला लाजपत राय बापट

[श्री जी० एच० देशपांडे]

चन्द्र पाल और जो दूसरे पुराने नेता आये उन्होंने भी नशाबन्दी का बहुत जोर से पुरस्कार किया था। महात्मा गांधी जी ने तो जब से वह कांग्रेस में आये उसी समय से इसको बहुत महत्व का स्थान दिया था। मुझे याद है यंग इंडिया में एक बार उन्होंने लिखा था कि मैं कोई भी अधिकार लेना नहीं चाहता लेकिन अगर कभी मुझे कोई अधिकार मिल जाये और मैं आध घंटे के लिये डिक्टेटर बन जाऊं तो एक ही काम करूंगा और वह यह कि नशाबन्दी को जारी करना। उन्होंने एक बार लिखा था कि यदि आदमी नैतिक रीति से गिरता है तो आम तौर पर नशेबन्दी के कारण ही गिरता है। इसलिये उन्होंने इसका बहुत पुरस्कार किया है। जब हम आजाद नहीं हुए थे उस वक्त नशेबन्दी को इतना महत्व दिया गया था कि लोग शराब की दुकानों पर जाकर पिकिटिंग (धरना देना) करते थे और गोलियों का शिकार भी बनते थे। इसको लागू करवाने के लिए बहुत से आदमियों ने एक भारी कीमत अदा की। बाद में हम जब पावर (सशक्त) में आये तो इसको लागू करने में कोई देर हमें नहीं करनी चाहिये। मैं उस सूबे से आता हूं कि जिस सूबे ने पहले से ही कुछ न कुछ इस बारे में किया है। सन् १९३७ में मैं बम्बई काउंसिल में गया था। वहां हमारे नेता बाला साहब खेर थे। आप जानते ही हैं कि वह गांधी जी की जो तत्व प्रणाली है उसको मानने वाले हैं। उन्होंने जब इस सवाल को उठाया तो बम्बई में कुछ आदमी ऐसे थे जो कि बहुत पैसा कमाते थे, ठेकेदारी करते थे, बहुत धनवान थे, उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया, सख्त विरोध किया। २७ महीने के लिये हमने जो प्रयोग किया और इस दौरान जो काम किया, वह जितना सख्त और जिस दृढ़ता से इसका विरोध हो रहा था उसको देखते हुए संतोषजनक ही कहा जा सकता है। यह प्रोहिबिशन बम्बई और अहमदाबाद में पहले पहल हुई। हमारे दोस्त गोपालन साहब ने अभी आन्ध्र की एक रिपोर्ट में से कुछ पढ़कर इस सभा को अवगत कराया है। मैं उनको यह भी बतलाना चाहता हूं कि हमने सन् १९३७ में अहमदाबाद और बम्बई में जो प्रयोग किया और उसमें जो सफलता प्राप्त की है, उसकी दो रिपोर्टस् यहां पर विद्यमान हैं। यदि माननीय सदस्य उनको पढ़ेंगे तो उनको मालूम होगा कि कितनी सफलता हमें वहां प्राप्त हुई थी। अहमदाबाद और बम्बई में जो आर्गेनाइज्ड लेबर (संगठित श्रमिक) हैं, जो काम करने वाले कामदार हैं, उनको इस प्रोहिबिशन से बहुत लाभ हुआ है। मैं यह भी देखता हूं कि बम्बई और अहमदाबाद में जो इंडस्ट्रियल एरियाज (औद्योगिक क्षेत्र) हैं, वहां जो कामगार, हैं, उनका जीवन स्तर भी ऊंचा उठ रहा है और उठ चुका है। और यह जो तरक्की हो रही है उसका कारण मैं तो यह मानता हूं कि हम प्रोहिबिशन कर रहे हैं उसी से यह तरक्की हो रहीं है। पहले मैंने बम्बई म देखा था कि मजदूरों की मजदूरी बढ़ जाती थी या कोई दूसरे कनसेशन (रियायत) मिल जाते थे लकिन उससे उनके परिवारों को कोई लाभ नहीं होता था, उनका स्टेंडर्ड आफ लिविंग (रहन सहन का स्तर) नहीं बढ़ता था, उनको जो कुछ ज्यादा मिलता था वह शराब में चला जाता था और उनके परिवार के लोग बड़े दुःख में रहते थे। अब अगर मिलान किया जाये तो उनके उस समय के जीवन में और आज के जीवन में बहुत बड़ा अन्तर हो गया है और इसका बहुत बड़ा श्रेय प्राहिबिशन (मद्यनिषेध) को ही है। जब से बम्बई में प्रोहिबिशन लागू हुआ है तब से सारे सूबे में तरक्की हो रही है। मैं यह नहीं मानता कि बम्बई में हम सौ टक्के कामयाब हुए हैं। मैं यह भी मानता हूं कि इल्लिसिट डिस्टिलेशन (अवैध मद्यसार) हो रहा है। लेकिन फिर भी आज जो बम्बई की हालत है वह प्राहिबिशन के पहले की हालत से कई गुना अच्छी है। प्राहिबिशन के पहले हमारे यहां गांवों में जो बुराइयां भरी हुई थीं उन में बहुत कमी हो गयी है। मैं ने यह भी देखा है कि जिन गांवों में शराब पीने वाले लोग बहुत हैं वहां सुधार नहीं होता है। लेकिन मैंने खुद देखा है कि जिन गांव वालों ने शराब पीना छोड़ दिया है उनकी हालत में बहुत सुधार हुआ है।

अभी हमारे दोस्त गोपालन साहब ने कहा कि यह काम सरकारी कानून से होने वाला नहीं है। मैं भी इस बात को मानता हूं। और मैंने देखा है कि जहां भी हमको कामयाबी हुई है वहां उसी समय हुई है जब कि कानून की मदद करने के लिये सामाजिक कार्यकर्त्ताओं ने जोर लगाया है। एक देहात में

मैंने देखा कि जब वहां कानून के द्वारा शराब बन्द करने का प्रयत्न किया गया तो सफलता नहीं मिली। उलटे वह बुराई और बढ़ गयी। लोगों में वैमनस्य बढ़ गया। बाद में हमने दूसरा यत्न किया। जो व्यसनी आदमी थे उनकी एक लिस्ट (सूची) बनायी और देखा कि उनके परिवार में कौन रहता है। उनके पास गये। उनके घर में गये, उनकी गालियां सुनीं। लेकिन सामाजिक कार्यकर्त्ताओं ने उनसे जाकर कहा कि आप के गांव में इतना पैसा व्यर्थ जाता है, इसीलिये गांव की हालत में सुधार नहीं होता है। उनको बतलाया कि यह शराब पीना उनके लिये अच्छी चीज नहीं है, और उनको समझाया कि हम उनके बैरी नहीं है, उनकी भलाई चाहते हैं। दो चार कार्यकर्त्ता दो चार हफ्ते वहां रहे, बहुत से अच्छे-अच्छे आदमियों ने शराब पीने वालों के पैरों पर सिर रखा और इस प्रकार उनसे नशेबाजी छुड़वाई। उसका परिणाम यह हुआ कि उस गांव से १६००० रुपया पापुलर कंट्रीब्यूशन (सार्वजनिक अंशदान) के रूप में एक स्कूल के लिये प्राप्त हुआ और अभी आठ दिन हुये मुझे एक पत्र मिला है जिससे पता चलता है कि उसी गांव से ३० हजार रुपया एक तालाब के लिये पापुलर कंट्रीब्यूशन के रूप में और प्राप्त हुआ है। तो मेरा कहना यह है कि बम्बई में प्राहिबिशन करने से हमको लाभ ही हुआ है हानि नहीं हुई है। यह अवश्य है कि इस काम में कठिनाई बहुत होती है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि यदि बम्बई सूबे में लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है तो उसका बहुत बड़ा कारण यह प्राहिबिशन ही है। अब वहां लोगों की परचेजिंग पावर (क्रय शक्ति) बढ़ गयी है और वे ज्यादा कर दे सकते हैं। प्राहिबिशन से वहां कोई नुकसान नहीं हुआ है।

अधिकारियों में भी अब पहले से बहुत सुधार है। मैंने तो कुछ ऐसे पुलिस अधिकारी देखे हैं जिन्होंने इस प्राहिबिशन के लिये अपनी कुर्बानी दे दी। पहले कुछ अधिकारी पैसा लेते थे लेकिन उसमें भी बहुत सुधार हुआ है। यह मैं मानता हूं कि इसमें पूरी सफलता प्राप्त होने में समय लगेगा, लेकिन इस कारण हमको हताश नहीं होना चाहिये। अगर आज सफलता नहीं मिलती तो कल मिलेगी। जो कदम बम्बई सूबे में उठाया गया है अगर उसको पीछे हटाया जायेगा तो इससे देश को बहुत हानि होगी मैं तो कहूंगा कि बम्बई को नमूना मान कर दूसरे सूबों को भी वैसा ही कदम उठाना चाहिये। तभी हमको सफलता मिलेगी। हर बार जब हम यह चीज सामने लाते हैं तो हमारे दोस्त गोपालन कहते हैं कि इसको तो एक दम करना चाहिये, इसके लिये आन्दोलन करना चाहिये, यह नहीं कहना चाहिये कि इसको दो बरस में या पांच बरस में करना है। मैं भी उनसे सहमत हूं। मैं नहीं समझता कि कोई इसके खिलाफ है। लेकिन इस काम में सफलता पूरे तौर से तभी मिल सकती है जब कि गवर्नमेंट इस ओर कदम उठावे और सारे लोग संगठित रूप से पूरे उत्साह के साथ उसकी मदद करें।

मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

†**श्री खर्डेकर** (कोल्हापुर व सतारा) : संविधान सभा में निदेशक तत्वों की चर्चा के समय मैं ही केवल ऐसा व्यक्ति था जिसने मद्यनिषेध के विरोध में विस्तृत भाषण दिया था परन्तु अब मेरे विचारों में पहले से परिवर्तन हो चुका है तथा मैं अपना दोष मानता हूं।

परन्तु फिर भी कुछ कारणवश मैं इस का विरोध ही करता हूं। मैं चाहता हूं कि मद्यनिषेध लागू होना चाहिये परन्तु हमें इसके हिताहित पर विचार करना चाहिये और इसीलिये इसके द्वारा होनी वाली हानियों के सम्बन्ध में मैं एक उदाहरण देता हूं। दो वर्ष पूर्व मैं अपने मित्र के साथ मछुवों के एक गांव को देखने गया था। वहां पर मैं मछुओं को अच्छी प्रकार देखना चाहता था। हम एक मकान में बैठे जिससे पुलिस चौकी लगभग सौ गज पर थी और उस मकान में बोतलें भरती रहीं तथा शराब के दौर चलते रहे। पूछने पर यह जानकारी हुई कि उन लोगों की मद्यनिषेध से पूर्व पन्द्रह से बीस हजार रुपयों की आमदनी होती थी जबकि अब गोआ से तस्कर व्यापार के द्वारा तथा शराब तैयार करके अस्सी से नव्वे हजार रुपये बना लिये जाते हैं।

मेरा यह तात्पर्य है कि हमें प्रशासन में सुधार करना चाहिये। विधान प्रस्तुत करके जनता की आदतों को नहीं सुधारा जा सकता है यह तो मेरे विचार से सहकारिता से शीघ्र सुधारा जा सकता

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री खर्डेकर]

है। बहुत से व्यक्ति गांधी जी के सिद्धान्तों की चर्चा करते हैं परन्तु वह गांधी जी के सिद्धान्तों पर चलते नहीं हैं। सत्य प्रेम को ले लीजिये। बड़े २ नेता इसके सम्बन्ध में कहते हैं परन्तु निर्वाचन के समय वही गुण्डों को नियुक्त कर लेते हैं। हम समाजवादी ढंग के समाज के बारे में बातें करते हैं परन्तु इसके साथ ही हम बम्बई कुछ पूंजीपतियों को दे देना चाहते हैं। इन सब बातों से सन्देह होता है। सामाजिक सुधार अवश्य होने चाहियें। मेरा इससे यह अभिप्राय नहीं है कि सभी व्यक्ति बुरे हैं परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि आधिक्य इसी प्रकार के व्यक्तियों का है। इसीलिये मेरा निवेदन है कि मद्यनिषेध से पूर्व सामाजिक सुधार होना चाहिये।

श्री श्रीमन्नारायण (वर्धा) : सभापति महोदय, मुझे खुशी है कि इस सदन में शराब बन्दी के सम्बन्ध में आज चर्चा करने का अवसर मिला है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि.....

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी** (नेल्लोर): मेरी प्रार्थना है कि माननीय सदस्य अंग्रेजी में बोलें।

†**सभापति महोदय :** मुझे यह घोषणा करनी है कि जिस प्रति को श्री कामत ने मांगा था वह प्रेस से आ गई है।

†**श्री श्रीमन्नारायण :** मैं अंग्रेजी में ही बोलता हूं जिस से संकल्प के प्रस्तावक समझ सकें।

मुझे प्रसन्नता है कि मद्यनिषेध पर चर्चा का इस सभा में अवसर आया है। यह १९२० से कार्यक्रम में है परन्तु योजना आयोग द्वारा समिति नियुक्त होने पर ही इसके सभी पहलुओं पर चर्चा का अवसर मिला है।

सभा में आज प्रथम प्रश्न अवैध शराब बनाने का उठाया गया है और मेरा विचार है कि इसको कुटीर उद्योग का नाम देकर, कुटीर उद्योगों को बदनाम किया गया है। श्री राममूर्त्ति का प्रतिवेदन जिसका उद्धरण श्री गोपालन ने दिया बड़ी शीघ्रता से लिखा गया था। इतना शीघ्र कोई भी समिति सही निर्णय नहीं दे सकती है।

अधिक जांच से ज्ञात होता है कि जो व्यक्ति शराब पीते हैं उनमें से लगभग १० से १५ प्रतिशत अब भी विधि का उल्लंघन करते हैं। परन्तु इनके लिये अवश्य कुछ न कुछ व्यवस्था करनी है अन्यथा इनके साथ बड़ा कठोर बर्ताव होगा। इनके साथ रोगियों जैसा बर्ताव करना होगा। परन्तु यह कहना कि इससे पीने वालों की संख्या बढ़ जायेगी, इसको बहुत बढ़ा कर कहना है।

जहां तक उन राज्यों की कठिनाई का सम्बन्ध है जिन्होंने मद्यनिषेध लागू किया, मैं यह कहना चाहता हूं कि जब तक समस्त देश में मद्यनिषेध नहीं होगा, यह नीति सफल नहीं हो सकती है। इसके कार्यक्रम भी समस्त देश में समान ही होने चाहियें। मुझे बड़ा खेद है कि जब हम राज्यों से मिले थे, उनकी यह सम्मति थी कि समान कार्यक्रम होंगे परन्तु अब उनका कहना है कि उनकी सुविधा अनुसार इसको बनाना चाहिये। मेरा विचार है कि इस प्रकार यह कभी सफल नहीं हो सकता है इस पर हमें निश्चित तथा उचित रूप से विचार करना चाहिये।

मैं माननीय सदस्यों से सहमत हूं कि मुख्य प्रश्न लागू करने का है। मद्यनिषेध जांच समिति का आधा प्रतिवेदन इसी सम्बन्ध में है। समिति ने कार्यक्रम के दो पहलू रखे हैं। पहला प्रशासनिक, वैधिक तथा दंडात्मक पहलू है। विधि कई प्रकार से लागू की जा सकती है परन्तु हमने कई सुझाव दिये हैं जिस से विधि में सुधार किये जा सकते हैं। दूसरे प्रशासन बड़ा ही खराब है। हमने सिफारिश की है कि प्रत्येक राज्य में एक मद्यनिषेध प्रशासक होना चाहिये। हमने यह भी बताया है कि दूसरा पहलू शिक्षात्मक पहलू है। इस लिये मैं सभी सदस्यों से अपील करता हूं कि इस सम्बन्ध में सभी कार्यकर्त्ताओं, रचनात्मक संस्थाओं, समाज कल्याण संस्थाओं और सरकारी तथा गैर-सरकारी सभी अभिकरणों को सामूहिक

†मूल अंग्रेजी में

रूप से कार्य करना चाहिये, यदि हम चाहें कि पुलिस करे तो यह कार्य होना असम्भव है। पुलिस सहायता देगी। परन्तु काम समाज सेवक, रचनात्मक कार्यकर्त्ता ही करेंगे। मुझे प्रसन्नता है कि साम्यवादी दल ने भी मद्यनिषेध को अच्छा स्वीकार कर लिया है। और यदि वह इसमें कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं तो हम उस परिवर्तन का स्वागत करते हैं। यदि वह लक्ष्य तिथि में परिवर्तन करना चाहते हैं तो हम प्रस्तुत हैं। परन्तु हम राज्यों के विचारों के अनुसार नहीं चलेंगे, क्योंकि इससे कोई कार्य नहीं होगा। मैं यही चाहता हूं कि जब योजना आयोग ने एक तिथि निश्चित कर दी तब इसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिये। राष्ट्र में काम करने का दृढ़ संकल्प होना चाहिये।

रोजगार के सम्बन्ध में प्रतिवेदन में कई सुझाव दिये गये हैं। हमने बताया है कि भारत सरकार तथा राज्य सरकारों को कुटीर उद्योगों को प्रारम्भ करना चाहिये जिससे ये ताड़ी बनाने वाले लोग बेकार न हो जायें।। कोई राष्ट्र कोई सरकार यह नहीं चाहेगी कि जनता बेकार रहे। परन्तु मद्यनिषेध लागू न करने का इसे बहाना नहीं बनाना चाहिये। प्रतिरक्षा बलों के प्रतिनिधियों ने भी हमारी प्रश्नावली के उत्तर में यह कहा है कि आप हमें इस नीति से अलग न रखें। जब समूचा राष्ट्र एक कार्यक्रम बनाता है और उसके लिये कोई योजना निश्चित करता है तो हम भी उससे पीछे नहीं रहेंगे। बल्कि उन्होंने यहां तक कहा कि क्योंकि वे अन्य लोगों की अपेक्षा अधिक अनुशासनबद्ध हैं अतः वे इस कार्य को और अधिक सफलता से कर सकेंगे। वास्तव में यह उत्तर हमारे देश की परम्परा के अनुकूल ही है। इस सम्बन्ध में हमें अमेरिका और इंग्लैंड आदि देशों की उपमा नहीं देनी चाहिये। हमारे यहां शराब पीने को सदैव बुरा ही समझा जाता रहा है। भारत को इस दिशा में अपनी मिसाल कायम करनी चाहिये।

कई लोगों का कहना है कि मद्यनिषेध से हमें ४४ करोड़ रुपये के राजस्व का घाटा हो जायेगा। किन्तु ऐसे लोग प्रश्न के दूसरे पहलू पर गौर नहीं करते हैं। जब कोई आदमी शराब पीता है तो वह जितना राजस्व की वृद्धि करता है कम से कम उससे तीन गुना उस पर व्यय करता है। इस प्रकार लोग लगभग प्रतिवर्ष १०० करोड़ रुपये इस पर व्यय करते हैं। इसे बन्द करने से जहां सरकार को ४४ करोड़ रुपये का घाटा होगा वहां लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से १०० करोड़ रुपये की बचत होगी। फिर इससे अन्य प्रयत्क्ष लाभ भी हैं। इससे लोगों की दशा में पर्याप्त सुधार हुआ है। उन सब लोगों की स्त्रियों ने भी हमसे कहा है कि आप शीघ्र अति शीघ्र उसको कार्यान्वित कीजिये।

इस सम्बन्ध में कर जांच समिति ने भी स्पष्ट कहा है कि मद्यनिषेध के विषय में हमें राजस्व आदि की तनिक चिन्ता नहीं करनी चाहिये। किन्तु फिर भी कई राज्यों ने कहा है कि यदि केन्द्र हमें इसके लिये कुछ दे तो ही हम मद्यनिषेध कर सकते हैं। यह बात ठीक नहीं है। मद्यनिषेध केवल केन्द्र की ही जिम्मेवारी नहीं है। अब राज्यों को इसे केवल अपनी आय-व्यय की दृष्टि से ही नहीं देखना चाहिये। यदि आप सचमुच लोगों का भला चाहते हैं तो आपको अपने दिलों से इस प्रकार की मिथ्या धारणायें निकाल देनी चाहियें।

अब मैं यह बताता हूं कि हमने इसके लिये लक्ष्य तिथि के रूप में १ अप्रैल १९५८ को क्यों चुना है। इस सम्बन्ध में कई लोगों का कहना है कि हमें तुरन्त मद्यनिषेध कर देना चाहिये। बम्बई के कई डाक्टरों ने कहा है कि यदि कोई आदमी दृढ़ निश्चय कर लेता है तो वह एकदम शराब पीना छोड़ सकता है। धीरे-धीरे करके छोड़ने में उसे बड़ी मानसिक वेदना होती है। फिर कई आदमी जो थोड़ी-थोड़ी पीने लगते हैं बाद में वे उसे बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं। अतः इस काम को एक दम करना ही ठीक है। दो-तीन वर्ष में हम इसके लिये भूमि तैयार कर सकते हैं और फिर एक निश्चित तिथि से इसे हम राष्ट्रीय स्तर पर एक दम बन्द कर देंगे। इस काम को करने के लिये हमारे पास पहले से ही एक मशीनरी है। केवल उन्हें थोड़ा सा और प्रशिक्षण देना पड़ेगा। अतः हमने यह तिथि निश्चित की है। हां, यह हो सकता है कि सभी राज्यों को इसमें सम्मिलित करने के लिये यह तिथि एक-दो वर्ष तक इधर-उधर

[श्री श्रीमन्नारायण]

की जा सकती है । किन्तु हमें केवल टालने की नीयत से ऐसा नहीं करना चाहिये अन्यथा इस सब का कोई लाभ नहीं होगा ।

मेरा व्यक्तिगत विचार है किसी भी कीमत पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक हमारे देश में अवश्य ही पूर्णतया मद्यनिषेध हो जाना चाहिये । हमारे देश के धन का एक बहुत बड़ा भाग इसी में उजड़ जाता है । जब लोगों की आय बढ़ने लगे और उन्हें राज्य की ओर से आकर्षण मिलता हो तो वे अवश्यमेव उसमें फंस जाते हैं इसलिये हमें शीघ्र ही इसका सर्वथा निषेध कर देना चाहिये । इसमें देरी करने से राष्ट्र का कुछ भी हित नहीं होने वाला है खास कर गरीब लोगों का ।

†**श्री बी० एस० मूर्त्ति** (एलुरु) : मैं श्री सी० आर० नरसिंहन् के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । सब से पहले १९३७ में जब राजा जी मद्रास के मुख्य मंत्री थे उन्होंने वहां पर मद्यनिषेध का प्रारम्भ किया था । वास्तव में मद्यनिषेध एक उपहार है जिसे राष्ट्रीय सरकार देश के निर्धन लोगों को दे सकती है । प्रत्येक व्यक्ति इससे सहमत है किन्तु फिर भी कोई इसके मार्ग में कोई न कोई बाधा बताता है । वास्तव में हम इसे लागू करने से इसलिये डर रहे हैं कि कहीं हम असफल न हो जायें ऐसे लोग मद्रास, बम्बई और आन्ध्र के उदाहरण हमारे सामने रख कर कहते हैं कि देखिये हम सब जगहों पर असफल रहे हैं । मैं पूछता हूं कि अगर हम इस काम में भी सफल नहीं हो सकते हैं तो फिर हम और किस काम में सफल हो सकते हैं ? मद्य पीना सबसे बड़ी बुराई है और इसका निषेध ही इसका सबसे बड़ा इलाज है ।

श्री ए० के० गोपालन ने राम मूर्त्ति रिपोर्ट का हवाला देकर कहा है कि आन्ध्र में मद्यनिषेध की नीति सर्वथा असफल सिद्ध हुई है । मैं इसका खण्डन करता हूं । वास्तव में यह रिपोर्ट बड़ी जल्दी से लिखी गई है और इसे कई स्थानों का भ्रमण किये बिना लिख दिया गया है । हमें इस पर अधिक निर्भर नहीं होना चाहिये ।

मद्यनिषेध की समस्या पर हम तीन प्रकार से विचार कर सकते हैं । एक, इसके परिणामस्वरूप बढ़ने वाली बेकारी; दूसरे, राजस्व में होने वाली हानि और तीसरे इसे लागू करने में आने वाली कठिनाइयां ।

जहां तक बेकारी का प्रश्न है यह एक व्यर्थ का भय है । इससे किसी प्रकार भी बेकारी नहीं बढ़ सकती है । जैसे आन्ध्र को ही लीजिये । वहां पर ग्रामों में अधिकतर लोग ताड़ी निकालते हैं । वे अब इसके स्थान पर नीरा बना सकते हैं । यदि सरकार सहकारी समितियां बना कर नीरा के बेचने का प्रबन्ध करते तो वहां पर उलटे रोजगार और बढ़ सकता है । फिर वहां कितना बंजर इलाका भी पड़ा है । जो लोग यह काम नहीं करना चाहते, सरकार उनको वह भूमि बांट सकती है । अतः मद्यनिषेध से किसी भी प्रकार बेकारी नहीं बढ़ सकती है ।

राजस्व की हानि के सम्बन्ध में श्री श्रीमन्नारायण जी ने पहले ही बता दिया है कि इससे कोई हानि नहीं हो सकती है । सलेम चित्तूर आदि जिन स्थानों पर मद्यनिषेध किया गया है वहां पर लोगों का वास्तव में बड़ा भला हुआ है । उनके परिवारों में मैंने स्वयं पहले से अधिक धन और कपड़े आदि देखे हैं ।

मैं सरकार से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं । उसे लोगों को प्रलोभन देकर यह कहने का क्या अधिकार है कि यदि आप चाहते हैं तो आप पीजिये । और फिर दूसरी ओर वह कैसे यह कह सकती है कि हम क्या करें, हम इसे नहीं रोक सकते हैं आदि । मैं कहता हूं कि सरकार को इस प्रकार कहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है । अतः उसे शीघ्र अति शीघ्र मद्यनिषेध को लागू कर देना चाहिये । यह क्या है । मद्रास में मद्यनिषेध हो और मैसूर में न हो ! सरकार को इस प्रकार बिल्ली चूहे का खेल नहीं खेलना चाहिये । उसे पूरे मन से इस ओर लगना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अब मैं अन्तिम बात की ओर आता हूं। यह कहना एक बहाना मात्र है कि इसे लागू करना कठिन है। गरीब लोग इसे स्वीकार करने को बिल्कुल तैयार हैं। केवल उच्च मध्यमवर्ग के लोग ही उन्हें भांति-भांति के अवैध पेयों के प्रलोभनों में डाल रहे हैं। पहले केवल निम्न वर्ग के लोग ही पीते थे किन्तु अब ब्राह्मण और क्षत्रिय भी ऐसे पेय पीने लगे हैं क्योंकि उनके पास धन बढ़ गया हैं।

इसलिये मैं अन्त में योजना आयोग तथा मंत्रिमंडल से अपील करता हूं कि वे मद्य-निषेध को लागू करके लोगों को दिये गये वचनों को शीघ्र ही पूरा करें।

†**श्री गाडिलिंगन गौड़ :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि जो संशोधन मैंने रखा है उसके अन्त में 'मद्यनिषेध' शब्द के स्थान पर 'मद्यपान' कर दिया जाय।"

सभापति महोदय : द्वारा संशोधन रखा गया ।

†**श्री एल० जोगेश्वर सिंह** (आन्तरिक मनीपुर): आसाम, मनीपुर और त्रिपुरा के कुछ इलाकों में 'मद्यनिषेध' की नीति का आंशिक रूप से स्वागत किया गया है। जहाँ तक इन प्रदेशों के मैदानी इलाकों का सम्बन्ध है वहाँ 'मद्यनिषेध' को लागू करने में कोई कठिनाई नहीं है। किन्तु पहाड़ी इलाकों में इसका प्रवर्त्तन करना कठिन होगा।

†**सभापति महोदय:** मेरे विचार में माननीय सदस्य कुछ अधिक समय लेना चाहते हैं।

†**श्री एल० जोगेश्वर सिंह :** जी हाँ ।

†**सभापति महोदय :** माननीय सदस्य अगले अवसर पर अपना भाषण जारी रख सकेंगे। अब सभा स्थगित होती है।

इसके पश्चात् लोक-सभा, सोमवार, १९ मार्च, १९५६ के साढ़े दस बजे तक के लिये स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

[शुक्रवार, १६ मार्च, १९५६]

पृष्ठ

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ११६५

(१) विविध सत्रों में जैसा कि प्रत्येक के सामने दिखाया गया है, मंत्रियों द्वारा दिये गये विविध आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के निम्न विवरण सभा-पटल पर रखे गये :—

(क) अनुपूरक विवरण संख्या ३ लोक-सभा का ग्यारहवां सत्र, १९५५

(ख) अनुपूरक विवरण संख्या ७ लोक-सभा का दसवां सत्र, १९५५

(ग) अनुपूरक विवरण संख्या १३ लोक-सभा का नवां सत्र, १९५५

(घ) अनुपूरक विवरण संख्या १७ लोक-सभा का आठवां सत्र, १९५४

(ङ) अनुपूरक विवरण संख्या २० लोक-सभा का सातवां सत्र, १९५४

(च) अनुपूरक विवरण संख्या २७ लोक-सभा का छठा सत्र, १९५४

(छ) अनुपूरक विवरण संख्या ३२ लोक-सभा का पांचवा सत्र, १९५३

(ज) अनुपूरक विवरण संख्या ४२ लोक-सभा का तीसरा सत्र, १९५३

(२) राज्य पुनर्गठन विधेयक, १९५६ के प्रारूप और संविधान में तत्सम्बन्धी संशोधन के प्रस्तावों की एक प्रति ।

(३) संविधान के अनुच्छेद १५१ (१) के अधीन निम्न पत्रों की एक प्रति :

(क) विनियोग लेखे (असैनिक) १९५२-५३ तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, १९५४ (भाग २) ।

(ख) विनियोग लेखे (असैनिक) १९५२-५३ का वाणिज्यिक परिशिष्ट तथा लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन, १९५४ ।

राज्य-सभा से संदेश ... ... ११६५—६६, ११९८

सचिव ने राज्य-सभा से प्राप्त निम्न दो संदेशों की सूचना दी :—

(१) कि राज्य-सभा ने १३ मार्च, १९५६ की अपनी बैठक में नौवहन नियन्त्रण (जारी रखना) विधेयक, १९५६ को, जो २४ फरवरी, १९५६ को लोक-सभा में पारित हुआ था, बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है ।

(२) कि राज्य-सभा को विनियोग विधेयक, १९५६ के बारे में, जो २ मार्च, १९५६ को लोक-सभा में पारित हुआ था, कोई सिफारिश नहीं करनी है ।

प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित ... ११६६

तेईसवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित ११६६

तेरहवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।

याचिका समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित ... ११६६

आठवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।

सामान्य आय-व्ययक—सामान्य चर्चा ११६७–९७

सामान्य आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा जारी रही ।

श्री सी० डी० देशमुख ने वाद-विवाद का उत्तर दिया । चर्चा समाप्त हुई ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों समिति का प्रतिवेदन—स्वीकृत

छियालीसवां प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ ।

गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प—विचाराधीन ११९८–१२०५, १२०६–१३

श्री सी० आर० नरसिंहन् ने मद्यनिषेध की अन्तिम तारीख नियत करने के बारे में अपने संकल्प पर जो उन्होंने २ मार्च, १९५६ को प्रस्तुत किया था, अपना भाषण समाप्त किया । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

सोमवार, १९ मार्च, १९५६ के लिए कार्यावलि

जीवन बीमा निगम विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव ।

M97LSD—190—15-10-57—GIPF.